

नगर परिषद नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1-4-2017 से 31-3-2019

भाग-एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376/81 फिन (एल0ए0) खण्ड-पार्ट, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य निष्पादित किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नियन्त्रक अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में निम्न प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे :-

(i) अध्यक्ष

क्रम संख्या	नाम	अवधि
(1)	श्रीमती अनीता शर्मा	01.04.2017 से 16.12.2018 तक
(2)	श्रीमती रेखा तोमर	25.02.2018 से 31.3.2019 तक

(ii) कार्यकारी अधिकारी

क्रम संख्या	कार्यकारी का नाम	अवधि
(1)	श्री एस.एस. नेगी	01.04.2017 से 31.03.2018 तक
(2)	श्री अजमेर सिंह ठाकुर	05.04.2018 से 31.03.2019 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

नगर परिषद् नाहन, जिला सिरमौर के अंकेक्षण अवधि 01.04.2017 से 31.03.2019 तक

के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	दिनांक 31.3.2019 को वित्तीय स्थिति के अन्तःशेष तथा बैंक में शेष जमा में पाए गए अन्तर का समाधान न करना	4 (ग)	338.23
2	अनुदानों की राशि उपयोग हेतु शेष	8 (क)	1499.15
3	14वें वित्त आयोग से वेतन व मजदूरी पर किया गया अनियमित भुगतान	8 (घ)	276.62
4	गृहकर बकाया वसूली हेतु शेष	9.1 (क)	172.12
5	दुकानों के किराए की बकाया वसूली हेतु शेष	9.2 (क)	75.79
6	सफाई कर वसूली हेतु शेष	9.3 (क)	70.45
7	पार्किंग शुल्क वसूली हेतु शेष	9.4	8.55
8	पथ विक्रेता (Street vendors) से वसूली हेतु शेष राशि	9.5	0.71
9	मोबाईल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष	9.6 (क)	7.51
10	लाइसेंस शुल्क की वसूली हेतु शेष राशि	9.7	1.97
11	स्थापना पर नियमानुसार निर्धारित प्रावधानों से	10(क)	131.41

	अधिक अनियमित व्यय करना		
12	कम्यूनिटी ओर्गेनाइज्जर को वेतन व भत्तों का अनियमित भुगतान करना	10 (ख)	7.01
13	सेवानिवृत्त लाभों का अधिक भुगतान करना	10 (ग) (i)	1.46
14	नगरपालिका निधि से पेंशन एवं ग्रेजुटी के भुगतान हेतु पेन्शन निधि का राशि का अनियमित हस्तांतरण करना	11	193.05
15	नियमानुसार क्रय औपचारिकताओं पूर्ण किए बिना किया गया संदिग्ध क्रय	12 (क)	2.55
16	क्रय औपचारिकताओं से संबन्धित दस्तावेज़ प्रस्तुत न करना	12 (ख)	5.13
17	बल्बस, चोक आदि के संदर्भ में अपनाई गई संदिग्ध क्रय प्रक्रिया बारे	13	2.86
18	EESL (Energy efficiency services limited) को दिनांक 31/05/2019 को देय default intrest	14	1.55
19	लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों पर अनियमित व्यय	18	0.47
20	माप पुस्तिका में निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गलत गणना के कारण संविदाकारों को अधिक भुगतान करना	21, 34 (i) तथा (ii)	0.28

21	निर्माण कार्यों हेतु जारी अग्रिम राशियों का सम्बन्धित अभिलेख/लेखों में समायोजन न दर्शाना	30 (ग)	46.95
----	--	--------	-------

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जोकि अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः नगर परिषद लम्बित अंकेक्षण पैरों के निस्तारण हेतु विशेष कार्रवाई की जानी सुनिश्चित करे तदानुसार अनुपालना से यथा समय अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों को निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद नाहन, जिला सिरमौर के लेखाओं अवधि 01.04.2017 से 31.03.2019 तक का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, अवधि 03.02.2020 से 22.02.2020 तथा 18/11/2020 से 23/01/2021 तक के दौरान श्री पुनीश सागर सहायक नियंत्रक तथा श्रीमती ममता रावल अनुभाग अधिकारी द्वारा नगर परिषद के नाहन स्थित कार्यालय में निष्पादन किया गया। विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 09/2017 व 10/2018 तथा व्यय के लिए 09/2017 व 11/2018 का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद नाहन द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं के आधार पर किया गया है।

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत होने, अपूर्ण होने अथवा उपलब्ध ही न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क

अंकेक्षण अवधि 01.04.2017 से 31.03.2019 तक के लेखाओं का अंकेक्षण का शुल्क ₹139000/- आंका गया जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र०, शिमला-171009 का अदा करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 42, दिनांक 23/01/2021 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नाहन, से अनुरोध किया गया था । अतः अंकेक्षण शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से अविलंब प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये ।

4

4.1

द्वारा " ख " पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार सामान्य निधि की अवधि 1.4.17 से 31.3.19 तक की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :-

वित्तीय	₹	₹	आय/₹	कुल ₹	₹	₹
₹	(₹)	(₹)	₹यां	(₹)	(₹)	(₹)
			(₹)			
2017-18	₹	54084643.00	84392340.00	138476983.00	45443588.58	93033394.42
	₹	-5552567.54	95311356.00	89758788.46	179544121.3	-89785332.86

	□□□□□					
	□□□	48532075.46	179703696.00	228235771.50	224987709.9	3248061.56
2018-19	□□□□□□	93033394.42	95044587.00	188077981.40	42767217.98	145310763.4
	□□□□□					
	□□□□□	-89785332.86	69633424.70	-20151908.16	117697645.9	-137849554.1
	□□□	3248061.56	164678011.70	167926073.30	160464863.9	7461209.36
□□□□□□ 31/03/2019 □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□						
□□□□ □□□						₹7461209.36
□□□□□□ 31/03/2019 □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□						
□□□□□□ □□□ □□□						₹41288797.19
□□□□□□ 31/03/19 □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□						
□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□						₹33827587.83
□□□□□□ 31/03/2019 □□ □□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□ □□						
□□□□□□ □□□ जमा						₹42296741.00
(परिशिष्ट 'ख' में वर्णित विवरणानुसार)						
□□□□□□ 31/03/19 □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□						
□□□□□□ □ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□						₹34835531.64
(क) □□□□□□ 31/03/19 □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□						
□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ :-						
□□□□□□						□□□□ (₹)
	□□□□□□ 31/03/2019 □□ □□□□□□ □□□□□□ □□					7461209.36
	□□□□□□ □□□ □□□					
□□□	□□□□□□ 01/04/17 □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□					(+) 28496528.26
:-	□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ 31/03/17 □□□					
	□□□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□					

	<p>31/03/19 तक का संचयन</p> <p>संचयन खाता</p>				
<p>:-</p>	<p>2017-18 का 2018-19 तक</p> <p>संचयन खाता संचयन खाता संचयन खाता</p> <p>31/03/19 तक संचयन खाता संचयन खाता (संचयन खाता "ख-1")</p>				
	<p>संचयन खाता</p> <p>संचयन खाता</p>	<p>संचयन खाता</p> <p>संचयन खाता</p> <p>संचयन खाता (₹)</p>	<p>संचयन खाता</p> <p>संचयन खाता</p> <p>संचयन खाता (₹)</p>	<p>संचयन खाता (₹)</p>	
	2017-18	224987709.9	218584685.40	(-)6403024.5	
	2018-19	160464863.9	162429964.8	(+)1965100.9	
	<p>संचयन खाता संचयन खाता संचयन खाता</p> <p>संचयन खाता संचयन खाता</p>			(-)4437923.6	(+) 4437923.60
<p>:-</p>	<p>31/03/19 तक संचयन खाता संचयन खाता संचयन खाता</p> <p>संचयन खाता संचयन खाता संचयन खाता ₹37880801.22</p> <p>संचयन खाता संचयन खाता ₹41288797.19 संचयन खाता संचयन खाता</p> <p>₹3407995.97 संचयन खाता संचयन खाता संचयन खाता</p> <p>संचयन खाता दिनांक 31.3.19 तक संचयन खाता संचयन खाता</p>				(+) 3407995.97
<p>:-</p>	<p>2017-18 का 2018-19 तक</p> <p>संचयन खाता संचयन खाता संचयन खाता/संचयन खाता संचयन खाता</p> <p>संचयन खाता संचयन खाता संचयन खाता संचयन खाता</p> <p>संचयन खाता 31/03/19 तक संचयन खाता संचयन खाता संचयन खाता</p>				

(□□□□□□□□ "ख-1")				
□□□□□□□□ □□□□	□□□□□□□□ □□□□ □□) ₹ (□□□□ □□□□ □□□ दशाई गई □□□□ □□ (₹ (□□□□ (₹ (
2017-18	179703696	186585953	(+)6882257	
2018-19	164678011.7	155280894.7	(-)9397117	
□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□ कम □□□□□□ □□ □□			(-)2514860	(-) 2514860.00
□□□□□□ 31/03/2019 □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□: □□□□				41288797.19

(i) □□□□□□ **31/03/2019** □□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□
□□□□: □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ **₹333.28** □□□ □□ □□□□□□ □□
□□□□

□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□□
□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ **01/4/2017** □□
□□□□□□ □□□ **₹28496528.26** □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ **2017-18** □□□□
2018-19 □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□
₹2514860/- □□□□□□□□□□ □□ □□, □□□□□□ □□□□ **₹4437923.60**
□□□□□□□□□□ □□ कम □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□ कारण □□□□□□
31/03/19 □□ रोकड़ बही के अन्तशेष में **₹3407995.97** □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□
□□, □□□□□□□□: □□□□□□□□ **31/03/2019** □□ □□□□: □□□□ □□□□ कुल

₹33827587.83 शुद्ध पाया गया 31/03/2019 द्वारा वित्तीय अन्तःशेष में अन्तर का पूर्ण इस बैंक द्वारा

(ख) 31/03/19 बैंक अन्तःशेष :-				
		राशि (₹)		अभियुक्ति
31/03/19 अन्तःशेष		=	7461209.36	[7314561.36 + 96890/- () + 49758 /- () चैक ([
:-	(1) 04/15 03/17, 4(1) के अनुसार (क्रमशः reconciled & unreconciled = ₹30108896.9 & + ₹318174.36)	(+)	30427071.26	
	(2) 65047070129 (SBI) :- 57210101638 (HPSCB):-	security deposit, income tax = ₹747126.81 = ₹375555.00 =	(+)	1122681.81

		₹1122681.81			
	(3) 55710107583 (HPSCB) :-	31/03/19	(+) 24375		Do
	(4) 31/03/2019	(+) 3395516.57	34969644.64	(+) 34969644.64	
	कुल				
:-	(1) 65047070129 (SBI) :-	3/6/18	40000		("B")
	(2) :-	IPO	30		Do

(3) 55710107583 (HPSCB):-	31/03/19	87399		Do
(4) 57210101638 (HPSCB):-		6684		Do
कुल		134113	(-) 134113	
31/03/19 जमा			42296741/-	("A")

(ग) बैंक समाधान विवरणी

बैंक समाधान विवरणी
 31/03/2019 के अंत में बैंक समाधान विवरणी
 ₹338.23 के अंत में बैंक समाधान विवरणी
 31/03/2019 के अंत में बैंक समाधान विवरणी :-

(i) 31/03/2019 के अंत में बैंक समाधान विवरणी
 ₹338.23 के अंत में बैंक समाधान विवरणी

द्वारा प्रस्तुत 31/03/19 के अंत में बैंक समाधान विवरणी
 की समाधान विवरणी के अंत में बैंक समाधान विवरणी
 ₹338.23 के अंत में बैंक समाधान विवरणी
 वित्तीय विवरणी | : के अंत में बैंक समाधान विवरणी
 के अंत में बैंक समाधान विवरणी के अंत में बैंक समाधान विवरणी

□□□□□□ 21/01/2021 □□□ 38 □□□□□□ 22/01/2021 द्वारा □□ □□□
□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□ | □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□ 6 □□□□□□ 20/03/2020 □□ □□□□□□ □□□ □□□□□ द्वारा
ACCTT/MCN/Audit/2020-79 □□□□□□ 14/01/2021 □□□□
ACCTT/MCN/Audit/2020-110 □□□□□□ 21/01/2021 द्वारा □□□□ □□□ □□□
□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□
□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ SI.
MCN /2021-127 □□□□□□ 22/01/2021 □□□□□□ □□□□□□□□ □□□
□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□ □□
□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□
□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□ |

(iii) □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□

□□□ □□□□□□□ द्वारा □□□□□□□ 31/03/2018 □□□ 31/03/2019 □□
□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□: 89785332.86 □□□ ₹137849554.10 □□□□□□□
□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□
□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ द्वारा □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□
□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□
□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

के आय-व्यय का विवरण

के आय-व्यय का विवरण

:-

वित्तीय	₹	₹	₹	₹	₹
₹	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
2016	63778417.4	77919676	141698093.4	93166018	48532075.4
-17	6		6		6
2017	48532075.4			224987709.9	
-18	6	179703696	228235771.5	0	3248061.56
2018		164678011.7	167926073.2	160464863.9	
-19	3248061.56	0	6	0	7461209.36

(iv) बैंक समाधान विवरणी में दिनांक 31/03/19 को जमा शीर्ष के अन्तर्गत ₹375555/- खाता संख्या 57210101638 (बैंक HPSCB) तथा ₹747126.81 खाता संख्या 65047070129 (बैंक SBI) दर्शाए गए थे जोकि निर्माण कार्यो बिलों से की गई वैधानिक कटौतियों (statutory deductions, income tax, gst आदि) से संबन्धित थे और जिनका रोकड़ बही में तो भुगतान दर्शाया गया था परंतु वास्तविकता में दिनांक 31/03/19 तक भुगतान के चैक जारी ही नहीं किए गए थे I अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित कार्यवाही करके अन्तर का समाधान करना सुनिश्चित किया जाए I

(v) बैंक समाधान विवरणी के अनुसार जमा शीर्षक के अन्तर्गत दिनांक 03.06.18 को भुगतान हेतु जारी चैक ₹40000 दिनांक 31.3.19 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था परन्तु विवरणी में चैक का नं0 वर्णित नहीं था I इसके अतिरिक्त नियमानुसार यह चैक कालातीत हो चुका है I अतः भुगतान की बैंक से पुष्टि करने के उपरांत रोकड़ बही में reverse प्रविष्टि करके अन्तर का समाधान करना सुनिश्चित किया जाए तथा चैक नं0 की सूचना सहित कृत अनुपालना की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाना सुनिश्चित किया जाए I

(vi) बैंक समाधान विवरणी में जमा शीर्षक के अन्तर्गत ₹1142056.81 दर्शाए गए थे जिनका वास्तविक योग ₹1147056.81 (747126.81 + 24375+ 375555) बनता था जोकि ₹5000 अधिक था। कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी ₹5000 (607981.01 - 602981.01) के अन्तर का अंकेक्षण को स्पष्ट नहीं किया गया। अतः इस सन्दर्भ में अब पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए ₹5000 के अन्तर का समाधान करने हेतु अपेक्षित कार्रवाही अमल में लाना सुनिश्चित किया जाए।

(vii) खाता संख्या 55710107583 (बैंक HPSCB)

बैंक समाधान विवरणी में ₹916/- (दिनांक 1/2/18), ₹60/- (दिनांक 26/2/18) तथा ₹484/- (27/2/18) = ₹1460 जमा शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त आय जिसकी रोकड़ में गणना नहीं की गई थी, के रूप में जमा दर्शाए गए थे परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि इन राशियों की प्रविष्टि पहले ही रोकड़ बही में कर दी गई थी तथा इन्हें समाधान / मिलान हेतु पुनः जोड़ना औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए रोकड़ बही व बैंक शेष में ₹1460/- (916+60+484) के अंतर का पूर्ण छानबीन उपरान्त उचित समाधान करना सुनिश्चित किया जाए।

(viii) खाता संख्या 50100100484403 (बैंक HDFC)

बैंक समाधान विवरणी में ₹6684/- घटाव (minus) शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाए किए गए परन्तु राशि का पूर्ण विवरण वर्णित नहीं किया गया था जिसके अभाव में बैंक समाधान विवरण का पूर्ण सत्यापन सम्भव न हो सका। अतः इस सन्दर्भ में अब वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए संबन्धित अपेक्षित अभिलेख/सूचना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 23 दिनांक 06/01/2021 द्वारा परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक परिषद द्वारा कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

4.2 NULM (National livelihoods urban mission)

नगर परिषद द्वारा यथा परिशिष्ट "घ" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार

अवधि 1.4.2017 से 31.3.2019 तक NULM की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	अन्य प्राप्तियां (₹)	अनुदान (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2017-18	8036320.36	538704	1930000	10505024.36	2893014.29	7612010.07
2018-19	7612010.07	396369	1340000	9348379.07	943429.32	8404949.75
वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31/03/19 को अन्तशेष = ₹8404949.75----- (1)						
बैंक / सावधि के अनुसार दिनांक 31/03/19 को शेष जमा =						
खाता संख्या 604602010003166, UBI = ₹32985.25						
खाता संख्या 1933104000025294, IDBI = ₹8371991.50						
कुल योग = ₹8404949.75 ---- (2)						
दिनांक 31/03/19 को अन्तशेष में अंतर = शून्य --- (2-1)						

4.3 अंशदाई पेंशन योजना (Contributory Pension scheme) निधि

नगर परिषद द्वारा यथा परिशिष्ट "ड" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार

अंकेक्षण अवधि 1.4.2017 से 31.3.2019 तक Contributory Pension scheme की

वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	प्राप्तियां (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)

2017-18	2611447	2494449	5105896	4002131	1103765
2018-19	1103765	1899757	3003522	0	3003522
रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31/03/19 को अन्तशेष = ₹3003522/---(1)					
बैंक (खाता संख्या 55910117293, HPSCB) के अनुसार दिनांक 31/03/19 को शेष जमा = ₹3003522/-(2)					
दिनांक 31/03/19 को अन्तशेष में अंतर = शून्य (2-1)					

4.4 Pension & Grauity निधि

(i) वित्तीय स्थिति

नगर परिषद नाहन द्वारा यथा परिशिष्ट "च" पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार

Pension & Grauity निधि की अवधि 1.4.17 से 31.3.19 तक की वित्तीय स्थिति

निम्न प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियां (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2017-18	1001434.71	14744444	15745878.71	14746027	999851.71
2018-19	999851.71	14713122	15712973.71	14689848	1023125.71
रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.19 को अन्तशेष					₹1023125.71 - -(1)
बैंक (खाता संख्या 5590108622, HPSCB) के अनुसार दिनांक 31.03.19 को शेष जमा					₹2934840.71 - (2)
दिनांक 31.03.19 को अन्तशेष में अंतर					₹1911715 (2-1)
(ख) बैंक समाधान विवरणी दिनांक 31.03.19 को					

विवरण		राशि (₹)
रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.19 को अन्तशेष		1023125.71
जमा :- माह 12/18 व 03/19 में रोकड़ बही में दर्शाया गया पेन्शन का भुगतान जोकि वास्तविकता में पेन्शन निधि बैंक खाते की अपेक्षा मुख्य निधि बैंक खाते से किया गया जिसका समाधान दिनांक 31.03.19 तक नहीं किया गया था (निम्न उप पैरा 4.4 में वर्णित विवरणानुसार)		
माह 12/18	880966	
माह 03/19	1030749	
कुल योग	₹1911715	(+) 1911715.00
बैंक के अनुसार दिनांक 31.03.19 को शेष जमा		₹2934840.71

(ग) निधि लेखों में ₹19.12 लाख के अन्तर का समाधान न करना

बैंक समाधान विवरणी के अनुसार परिषद द्वारा माह 12/18 व 3/19 में निम्न विवरणानुसार ₹1911715 की पेन्शन का भुगतान पेन्शन निधि रोकड़ बही में दर्शाया गया था परन्तु वास्तविकता में वर्णित भुगतान मुख्य निधि के हि०प्र० राज्य सहकारी बैंक में संचालित खाता संख्या 55710107583 में राशि को पेन्शन निधि को हस्तांतरित करके किया गया था परन्तु परिषद द्वारा दिनांक 31.3.19 तक पेन्शन निधि को रोकड़ बही में मुख्य निधि से पेन्शन निधि को निम्न राशि हस्तांतरण करने की प्रविष्टि नहीं की गई थी :-

क्रमांक	चैक संख्या	दिनांक	माह	राशि (₹)	
1	895632	अंकित नहीं	12/2018	846371	
2	895634	-यथोपरि-	12/2018	34595	880966
3	896042	-यथोपरि-	03/2019	884700	
4	896043	-यथोपरि-	03/2019	109444	

5	896044	-यथोपरि-	03/2019	36605	1030749
				कुल योग	₹1911715

अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए ₹1911715 (880966 + 1030749) के हस्तांतरण की प्रविष्टि पेन्शन निधि रोकड़ बही के आय पक्ष में करके अन्तर का यथानुसार समाधान करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.5 सामान्य भविष्य निधि General Provident Fund

नगर परिषद द्वारा यथा परिशिष्ट "छ" पर उपलब्ध कारवाई गई सूचनानुसार अंकेक्षण अवधि 1.4.2017 से 31.3.2019 तक General Provident Fund की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	प्राप्तियां (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2017-18	2391331	6716288	9107619	8943349	164270
2018-19	164270	10746974	10911244	6568961	4342283
रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31/03/19 को अन्तशेष = ₹4342283/---					
(1)					
बैंक (खाता संख्या 5590113482, HPSCB) के अनुसार दिनांक 31/03/19 को शेष जमा = ₹5786535/---- (2)					
दिनांक 31/03/19 को अन्तशेष में अंतर = ₹1444252/- (2-1)					
बैंक समाधान विवरणी					
विवरण					राशि (₹)
रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31/03/19 को शेष =					4342283/-
जमा :- चैक संख्या 456166 दिनांक 27/3/19 भुगतान हेतु जारी किया					1444252/-

गया परंतु बैंक द्वारा 31/3/19 तक डेबिट नहीं किया गया (cleared on 5/4/19)	
बैंक के अनुसार दिनांक 31/03/19 को शेष जमा	5786535/-

4.6 (SWM) Solid waste management

नगर परिषद द्वारा यथा परिशिष्ट "झ" पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अंकेक्षण अवधि 1.4.2017 से 31.3.2019 तक Solid waste management की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	प्राप्तियां (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2017-18	342567	13840	356407	शून्य	356407
2018-19	356407	2851	359258	359258	शून्य
रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31/03/19 को अन्तशेष = शून्य /--- (1)					
बैंक (खाता संख्या 55910117293,) के अनुसार दिनांक 31/03/19 को शेष जमा = शून्य /- --- (2)					
दिनांक 31/03/19 को अन्तशेष में अंतर = शून्य /- (2-1)					

4.7 (HFA) Housing For All

नगर परिषद द्वारा यथा परिशिष्ट "ञ" पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अंकेक्षण अवधि 1.4.2017 से 31.3.2019 तक Housing For All की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	प्राप्तियां (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2017-1	9334019	20503012	29837031	11635500	18201531

8					
2018-	18201531	6849525.10	25051056.1	1460403	10447024.10
1			0	2	
9					
रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31/03/19 को अन्त शेष = ₹10447024.10---(1)					
बैंक(खाता संख्या 193310400000799, IDBI) के अनुसार दिनांक 31/03/19 को शेष जमा= ₹10447024.10---(2)					
दिनांक 31/03/19 को अन्तशेष अंतर = शून्य (2-1)					

(क) वित्तीय वर्ष 2017-18 की रोकड़ बही का रख रखाव न करना

नगर परिषद द्वारा HFA से संबन्धित रोकड़ बही का रख रखाव 2018-19 से आरंभ किया गया था जबकि वित्त वर्ष 2017-18 से संबन्धित वित्तीय स्थिति बैंक पास बुक में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर तैयार की गई थी | नियमानुसार HFA से संबन्धित लेखों की स्पष्ट स्थिति दर्शाने हेतु रोकड़ बही का रख रखाव HFA को परिषद में लागू / आरंभ करने की तिथि से किया जाना अपेक्षित था परंतु कई बार आग्रह के पश्चात भी इस बारे में वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई | अतः इस संदर्भ में अब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

4.8 प्रतिभूति निधि (security)

नगर परिषद द्वारा यथा परिशिष्ट "ट" पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अंकेक्षण अवधि 1.4.2017 से 31.3.2019 तक security fund की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	प्राप्तियां (₹)	कुल योग (₹)	भुगतान (₹)	अंतिम शेष (₹)
2017-18 (1.2.18 से 31.3.18)	3519557.00	256678	3776235	339894	3436341

2018-19	3436341	1959335	5395676	1773563	3622113
रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31/03/19 को अन्तशेष = ₹3622113/--- (1)					
बैंक (खाता संख्या 55910117293,) के अनुसार दिनांक 31/03/19 को शेष जमा = ₹3625613/---- (2)					
दिनांक 31/03/19 को अन्तशेष में अंतर = 3500/- (2-1)					
बैंक समाधान विवरणी					
विवरण					राशि (₹)
रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31/03/19 को शेष =					3622113/-
जमा :- Un-reconciled राशि =					(+) 500/-
जमा:-भुगतान हेतु जारी चैक जो जारी किया गया परन्तु बैंक द्वारा 31.3.19 तक डेबिट नहीं किए गए					
चैक संख्या	दिनांक	राशि			
433186	11/18	1000/-			
433186	11/18	2000/-			(+) 3000
बैंक खाते के अनुसार दिनांक 31/03/19 को शेष जमा =					₹3625613

(क) रोकड़ बही व बैंक खातों में ₹500 के अन्तर का समाधान न करना

बैंक समाधान विवरणी के अनुसार दिनांक 31/03/19 को ₹500/- जमा शीर्ष के अन्तर्गत un-reconciled राशि के रूप में दर्शाये गए थे परन्तु कई बार आग्रह के पश्चात भी इस संदर्भ में अपेक्षित समाधान करके अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया। इसके अतिरिक्त माह 03/19 को रोकड़ बही में दर्शाये गए शेषों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था। अतः इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब उपरोक्त ₹500/- के अंतर का समाधान तथा रोकड़ बही को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) रोकड़ बही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

नगर परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी माह 02/18 से पूर्व की रोकड़ बही तथा 04/17 से 01/18 तक की वित्तीय स्थिति अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई जोकि अनियमित है क्योंकि वर्णित अभिलेख/सूचना के अभाव में निधि से लेन-देन का पूर्ण अंकेक्षण

संभव नहीं हो सका | अतः इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब संबन्धित सूचना/अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये |

अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06 दिनांक 20/03/2020 द्वारा भी परिषद के ध्यान में अपेक्षित कार्यवाही हेतु लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक इस संदर्भ में कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया |

4.9 CLC (City livelihood centre)

नगर परिषद द्वारा यथा परिशिष्ट "ठ" पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अंकेक्षण अवधि 1.4.2017 से 31.3.2019 तक CLC की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	प्राप्तियां (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2017-18	404804.12	10258838	10663642.12	9696618.65	967023.47
2018-19	967023.47	12112315	13079338.47	10401676.70	2677661.77
रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31/03/19 को अन्त शेष = 2677661.77 /--- (1)					
बैंक (खाता संख्या 193310400000799, IDBI) के अनुसार दिनांक 31/03/19 को शेष जमा = 2677661.77---- (2)					
दिनांक 31/03/19 को अन्तशेष में अंतर = शून्य (2-1)					

(क) अंकेक्षण को अपेक्षित सूचनाएं प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 6 दिनांक 20/03/2020 द्वारा नगर परिषद में अनुरक्षित सभी रोकड़ बहियों की वित्तीय स्थितियाँ सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परंतु

CLC से संबन्धित वित्तीय स्थिति सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई तथा न ही इस संदर्भ में लिखित रूप में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब अपेक्षित सूचनाये सत्यापित करवाकर अविलम्ब अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

5 सावधि निवेश

(क) नगर परिषद द्वारा यथा परिशिष्ट "ग" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/19 को निम्नानुसार ₹57448649 सावधि जमा में निवेशित थे :-

शीर्ष	सावधि में निवेशित राशि (₹)
नगर परिषद निधि	26424513
GPF	14660840
CPS	16363296
कुल योग	₹57448649

(ख) अभिलेख में सावधि जमा की परिपक्वता पर अर्जित/प्राप्त ब्याज की रोकड़ बही में गणना न करना तथा सावधि जमा से संबन्धित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

(i) अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी दिनांक 27/11/2016 को सावधि जमा में निवेशित ₹2016909/- (CBI) तथा 2150005/- (HPSCB) के क्रमशः दिनांक 27/11/2017 व 27/11/2018 को परिपक्व होने पर प्राप्त ब्याज का लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करके अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ii) नगर परिषद द्वारा यथा परिशिष्ट "ग" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 27/11/18 को ₹2150005/- सावधि जमा में निवेशित दर्शाये गए थे परंतु कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी इस संदर्भ में बैंक द्वारा जारी जमा रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत

नहीं की गई जिसके अभाव में लेन-देन का पूर्ण अंकेक्षण संभव नहीं हो सका । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

(ग) सावधि जमा की परिपक्वता पर ₹3026/- का ब्याज कम प्राप्त होना

अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद द्वारा किए गए विभिन्न सावधि निवेशों की परिपक्वता पर प्राप्त ब्याज की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार परिषद को ₹3026/- का ब्याज कम प्राप्त हुआ प्रतीत होता है :-

बैंक का नाम	सावधि जमा संख्या	निवेश की तिथि	निवेशित राशि (₹)	ब्याज दर	अवधि	परिपक्वता की तिथि	अपेक्षित परिपक्व राशि (₹) (1)	वास्तविकता में परिपक्वता पर प्राप्त राशि (₹) (2)	ब्याज की कम राशि (1-2)
SBOP/ SBI	65229941480	16/4/15	7373647	8.5% प्रतिवर्ष	2 वर्ष	16/4/17	8724467	8721441/-	3026/-

अतः वर्णित प्रकरण सम्बन्धित बैंक से उठा कर वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए कम प्राप्त ब्याज का जमा प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(घ) सावधि जमा पंजिका का उचित रख-रखाव न करना

अंकेक्षण को प्रस्तुत सावधि जमा योजना के रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा सावधि जमा पंजिका का रख-रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा था अर्थात् इसमें सावधि जमा की कब-2 कितनी राशि परिपक्व हुई तथा कब-2 पुनः निवेशित की गई इस बारे सम्पूर्ण विवरण नहीं दर्शाया जा रहा था जिसके अभाव में सावधि निवेशों का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव नहीं होता । वर्णित अनियमितता अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06 दिनांक 20.3.2020 द्वारा परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी उतर प्राप्त नहीं हुआ । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में सावधि पंजिका में सम्पूर्ण विवरण दर्शाने के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय -2 पर जारी निर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंकों की अपेक्षा सहकारी बैंकों में

बचत खातों एवं सावधि निवेश का रख रखाव करना भी सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

रोकड़ बही के रख रखाव संबंधी एवं अन्य अनियमितताएं

6 रोकड़ बही (सामान्य, नगर परिषद निधि एवं विभिन्न अनुदान) के रख रखाव संबंधी अनियमितताएं

नगर परिषद की रोकड़ बही का अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(क) ₹4527/- बैंक में जमा न पाया जाना

रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 23 के अनुसार नगर परिषद द्वारा दिनांक 5/3/18 को प्राप्त आय ₹4527/- संबन्धित बैंक खाते में जमा नहीं पाई गई जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए या तो अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹4527/- की वसूली उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित करके परिषद निधि में जमा करवाई जाए ;

(ख) प्राप्त आय में से बैंक में खाते में ₹6542 कम जमा करना

नगर परिषद को रसीद संख्या 43 से 52/486 तक ₹1300 की आय प्राप्ति हुई थी परंतु दैनिक संग्रह पंजिका (Day book) में दिनांक 1/9/17 को केवल ₹1200/- की प्रविष्टि/गणना की गई थी ₹100/- (1300-1200) कम थी तथा यथानुसार संबन्धित बैंक खाते में भी ₹100/- कम जमा किए गए थे।

इसी प्रकार रसीद संख्या 52/59 दिनांक 28/9/18 तथा 70/57 दिनांक 10/10/18 द्वारा क्रमशः ₹3682/- तथा ₹2760/- की आय प्राप्ति हुई थी परंतु दैनिक संग्रह पंजिका (Day book) में कोई प्रविष्टि/गणना ही नहीं की गई थी । परिणामस्वरूप संबन्धित बैंक खाते में भी ₹6442/- कम जमा किए गए थे जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए या तो अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाए

अन्यथा ₹6542 की वसूली उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित करके परिषद निधि में जमा करवाई जाए ।

(ग) दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता बहियों का रख-रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता बहियों का रख-रखाव नहीं किया गया था जोकि निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा इस संदर्भ में जारी निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है । इसके अतिरिक्त वर्गीकृत खाता बहियों का रख-रखाव न करने के कारण किस मद से कितनी आय प्राप्त हुई, किस मद पर कितना व्यय हुआ, व्यय की गई राशि अनुमोदित बजट प्रावधान के भीतर है या नहीं, अनुदान का व्यय निर्धारित सीमा के भीतर एवं विहित उद्देश्यों हेतु किया गया या नहीं, इन तथ्यों की अंकेक्षण में पुष्टि कर पाना संभव नहीं होता है । गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह अनियमितता नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना एक गम्भीर चिंता का विषय है। अतः इस अनियमितता बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अविलंब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल लेखा संहिता के अध्याय - III के पैरा 19 (3) के अनुसार प्रत्येक मास के अंत में रोकड़ बही को अध्यक्ष, नगर परिषद से सत्यापित नहीं करवाया गया था । इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में कई पृष्ठों पर प्राप्ति एवं भुगतानों के योग भी नहीं किए गए थे । अतः इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए ।

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11 दिनांक 29/12/2020 तथा 37 दिनांक 21/01/2021 द्वारा नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति

तिथि तक न तो कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया तथा न ही अपेक्षित कार्यवाई करके अंकेक्षण को अवगत करवाया गया ।

7 रसीद बुक संबंधी अनियमितताएं

अंकेक्षण के दौरान रसीदों के उपयोग संबंधी निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

(क) किसी भी संस्थान द्वारा राशि की प्राप्ति की एवज में उतनी राशि की रसीद की मूल प्रति संबन्धित व्यक्ति / फर्म को दी जाती है तथा कार्यालय प्रति अपने पास रखी जाती है । रसीद पर प्राप्त राशि एवं व्यक्ति / फर्म का नाम संबंधी विवरण लिखते समय मूल प्रति तथा कार्यालय प्रति के बीच में carbon paper रखा जाता है ताकि मूल प्रति के साथ रसीद की कार्यालय प्रति पर भी विवरण दर्ज हो जाए तथा दर्ज विवरण के अनुसार संबन्धित अभिलेख में प्रविष्टि की जा सके । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा लकड़ी के विक्रय के संदर्भ में जारी रसीद संख्या 0084/487 दिनांक 2520/- की कार्यालय प्रति carbon प्रति नहीं थी तथा कार्यालय प्रति पर प्रविष्टि पेन से लिख कर की गई थी जिसके कारण रसीद की मूल एवं कार्यालय प्रति के अनुसार प्राप्त राशि सही थी व एक समान थी इस तथ्य की अंकेक्षण में पुष्टि कर पाना संभव नहीं हो पाया तथा ऐसे में किसी दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता । अतः इस सन्दर्भ में पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित किया जाये ।

(ख) प्रचलित कार्यप्रणाली के अनुसार रसीद की मूल प्रति संबन्धित व्यक्ति / फर्म को दी जाती है तथा रसीद की कार्यालय प्रति संबन्धित संस्थान द्वारा अपने पास रखी जाती है । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में रसीदों की मूल प्रतियाँ तो रसीद बुक में मौजूद थी परंतु कार्यालय प्रतियाँ मौजूद नहीं थी जोकि अनियमित है :-

क्रम संख्या	रसीद संख्या	राशि (₹)
1	86/488	50/-
2	87/488	50/-
3	88/488	100/-

इस सन्दर्भ में पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) संस्थान को यदि किसी रसीद को कुछ कारणवश रद्द करना पड़ता है तो उस स्थिति में रसीद की मूल एवं कार्यालय प्रति पर इस संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रसीद संख्या 00049/484 की कार्यालय प्रति खाली (blank) थी परंतु न तो इस रसीद की मूल प्रति साथ में संलग्न थी तथा न ही इसे सक्षम प्राधिकारी से रद्द करवाया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित स्पष्ट करते हुए नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए ।

(घ) अंकेक्षण के दौरान नमूना परीक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रसीदों की मूल एवं कार्यालय प्रतियाँ रसीद बुक में मौजूद नहीं थी । ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें फाड़ दिया गया था तथा फाड़ी गई रसीदों की क्रम संख्या अगली रसीद की मूल प्रति में लिख कर उपयोग किया गया था परंतु फाड़ी गई रसीद की कार्यालय प्रति के अभाव में प्राप्त राशि की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं की जा सकी । इसके अतिरिक्त अभिलेख में इस संदर्भ में न तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई प्रमात्रा पत्र दर्ज किया गया था और न ही इस संदर्भ में अंकेक्षण को वस्तु स्थिति स्पष्ट की गई जोकि एक गंभीर अनियमितता है :-

क्रम संख्या	विवरण

1	रसीद संख्या 3/481 दिनांक 16/08/17 की मूल एवं कार्यालय प्रति रसीद बुक में संलग्न नहीं थी तथा अगली रसीद संख्या 4/481 की मूल प्रति को लिख कर 3/481 का दिया गया था । जिसमें ₹300/- की प्राप्ति दर्शाई गई थी ।
2	रसीद संख्या 33/485 दिनांक 24/08/17 की मूल एवं कार्यालय प्रति रसीद बुक में संलग्न नहीं थी तथा अगली रसीद संख्या 34/485 की मूल प्रति को लिख कर 33/485 का दिया गया था । जिसमें ₹20/- की प्राप्ति दर्शाई गई थी ।
3	रसीद संख्या 65/485 दिनांक 31/08/17 की मूल एवं कार्यालय प्रति रसीद बुक में संलग्न नहीं थी तथा अगली रसीद संख्या 66/485 की मूल प्रति को लिख कर 65/485 का दिया गया था । जिसमें ₹5125/- की प्राप्ति दर्शाई गई थी ।
4	रसीद संख्या 27/486 दिनांक 31/08/17 की मूल एवं कार्यालय प्रति रसीद बुक में संलग्न नहीं थी तथा अगली रसीद संख्या 28/486 की मूल प्रति को लिख कर 27/486 का दिया गया था । जिसमें ₹450/- की प्राप्ति दर्शाई गई थी ।

अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण छानबीन उपरान्त औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8 अनुदान

(क) अनुदानों की ₹1499.15 लाख उपयोग हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा यथा परिशिष्ट "ड" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31/03/19 को अनुदानों में से निम्न विवरणानुसार ₹149914533.58 उपयोग हेतु शेष थे । अनुदान राशि का समयबद्ध उपयोग न होने के कारण जहाँ लाभार्थी जनता को प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित होना पड़ता है वही अनुदान निधि का भी अनावश्यक अवरोधन होता है जोकि गम्भीर अनियमितता है ।

क्रम संख्या	अनुदान का शीर्ष	राशि (₹)
1	4 th FC	8536075
2	14 th FC	28451654.73
3	ULB Roads	1611998
4	MLA LAD	506482
5	MMGPY	100000
6	MUCK Debris	2004659
7	BRGF	10831861
8	SDP	1003082
9	RAIN Damages	466853
10	SWM	342567
11	CRF	837821
12	PARKING	8763366
13	Development of Parks	3500000
14	HFA	10328743.10
15	NULM	8404949.75
16	Other GIA	64224422
	कुल योग	₹149914533.58

अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अनुपयोग अनुदान को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी उपयोग अनुदान राशियों के संबन्धित funding agencies को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण

पत्र (Grant in aid utilisation certificates) अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

(ग) प्राप्त अनुदानों बारे स्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट न करना

नगर परिषद द्वारा HFA (Housing for all) की रोकड़ बही (04/18 से 03/19) में निम्न तालिका में दर्शाई गई अनुदान से संबन्धित प्राप्त एवं हस्तांतरित राशियां दर्शाई गई थी परन्तु वर्णित राशियाँ HFA शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से संबन्धित प्रतीत नहीं होती है क्योंकि नगर परिषद द्वारा HFA शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों का विवरण (परिशिष्ट "ड") जो अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाया गया था उसमें सम्मिलित नहीं थी । नगर परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी इन राशियों की प्राप्ति एवं उपयोग बारे कोई विवरण अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में लेन-देन का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका । अतः वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख/सूचनाएं आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए :-

क्रम संख्या	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	दिनांक	प्राप्त राशि (₹)	विवरण
1	1	10/4/18	500000	HP State Distt. Planning officer
2	1	24/4/18	2500000	यथोपरि
3	2	25/5/18	1969350	हस्तांतरित राशि

(घ) 14 th FC अनुदान संबंधी अनियमितताएं

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अनुदानों से संबन्धित जानकारी के अवलोकन पर निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियाँ अपेक्षित है :-

(i) अनुदान के उपयोग से संबन्धित प्रस्तुत सूचना (परिशिष्ट "ड") में वेतन पर ₹13182415.29 (वर्ष 2017-18) तथा ₹14480071.98 (वर्ष 2018-19) का

एक मुश्त व्यय दर्शाया गया था परंतु परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी किए गए व्यय का वाउचरवार विस्तृत विवरण अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है । इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा वेतन के व्यय से संबन्धित उक्त प्रस्तुत सूचना भी उचित प्रतीत नहीं होती है क्योंकि परिषद के पत्र संख्या क्रमांक .ले०शा०/न०पा०प०ना०/2019 -2854 दिनांक 29/05/2019 द्वारा निदेशक शहरी विकास विभाग, शिमला, हि०प्र० को प्रेषित अनुदान के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान 14 th FC के अंतर्गत प्राप्त सम्पूर्ण अनुदान ₹49125202/- का उपयोग वेतन पेंशन के भुगतान हेतु किया गया था जबकि परिशिष्ट (ड, ड-1) द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान वेतन पर व्यय केवल ₹14480071.98 दर्शाया गया था । परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी वर्णित विसंगति के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई । वैसे भी 14 th FC के अंतर्गत प्राप्त अनुदान राशि में से वेतन तथा पेंशन पर किया गया भुगतान अनुचित प्रभार होने के कारण अनियमित भी है । अतः इस के संदर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित सूचना/अभिलेख उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त 14th FC में से किए गए अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

(ड.) नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदानों के उपयोग से संबन्धित जानकारी (परिशिष्ट "ड") के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न तालिका में दर्शाये गए व्यय 14th FC अनुदान पर उचित प्रभार प्रतीत नहीं होते हैं । अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रम	वाउचर	दिनांक	विवरण	राशि व्यय
------	-------	--------	-------	-----------

संख्या	संख्या			(₹)
1	45	10/5/1 8	Contract राशि का भुगतान	5950
2	47	10/5/1 8	Leave encashment हेतु भुगतान	100000
3	48	10/5/1 8	Medical claim हेतु भुगतान	24943
4	60	23/5/1 7	परिषद के वाहन की मरम्मत हेतु	6830
5	63	23/5/1 7	बिजली बिल का भुगतान	242328
6	64	24/5/1 7	डंपर प्लेसर की मरम्मत हेतु	22400
7	66	24/5/1 7	परिषद के वाहन की मरम्मत हेतु	52234
8	32	14/8/1 8	माली के वेतन का भुगतान	7643
8	89	29/8/1 7	Three wheeler की मरम्मत हेतु	3110
9	61	15/9/1 7	वाहन की मरम्मत हेतु	11611
10	22	3/11/1 7	वाहन की मरम्मत हेतु	60902
11	23	3/11/1 7	वाहन की मरम्मत हेतु	16300

12	46	14/11/ 17	ट्रेक्टर की मरम्मत हेतु	18473
13	52	15/11/ 17	वाहन की मरम्मत हेतु	23002
14	69	22/11/ 17	वाहन की मरम्मत हेतु	6288
15	59	23/3/1 8	वाहन की मरम्मत हेतु	74987

(च) अन्य अनुदान (Other Grants) संबंधी सूचना/अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध न करवाना

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदान सम्बन्धी सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2019 को other grants शीर्ष के अंतर्गत ₹64224422 राशि शेष अनुपयोग थी। कई बार आग्रह के पश्चात भी अंकेक्षण अवधि के दौरान वर्णित राशि के संदर्भ में प्राप्ति, भुगतान एवं शेष का शीर्षवार विवरण अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए अब संबन्धित अपेक्षित सूचना/अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(छ) अनुदान रजिस्टर / सम्बन्धित अभिलेख का का रख- रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के उपरान्त भी नगर परिषद द्वारा न तो अनुदान स्वीकृति पत्र तथा न ही अनुदान रजिस्टर अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा नियमानुसार अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/रजिस्टर का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है जोकि अनियमित है क्योंकि वर्णित प्राप्तियों उपयोग एवं शेष की सत्यापना करना सम्भव न हो सका। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित रख रखाव एवं

अद्यतन करके सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 7 दिनांक 17/12/2020, 8 दिनांक 17/12/2020 तथा 37 दिनांक 21/01/2021 द्वारा उपरोक्त अनियमितताएं अपेक्षित स्पष्टीकरण एवं कार्रवाई हेतु नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ I

9 आय

9.1 गृहकर

(क) गृह कर की बकाया ₹172.12 लाख वसूली हेतु शेष होना

अंकेक्षण को यथा परिशिष्ट "ढ" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2019 को गृहकर की बकाया ₹17211854/- वसूली हेतु शेष थी जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अंकेक्षण के दौरान अभिलेख के नमूना परीक्षण पर पाया गया कि गृहकर की मांग एवं प्राप्ति पंजिकाओं में अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित मांग एवं प्राप्ति की कई प्रविष्टियाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी जोकि अनियमित है क्योंकि इस के अभाव में दिनांक 31.3.2019 को दर्शाई गई वसूली हेतु शेष बकाया राशि की पूर्ण सत्यापना सम्भव न हो सकी I अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाने के साथ-2 गृहकर की बकाया राशि की वसूली हेतु भी प्राथमिकता के आधार पर विशेष पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) गत कई वर्षों से गृहकर बकाया की वसूली न करना

गृह कर मांग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख का चयनित आधार पर अवलोकन करने पर पाया गया कि परिषद परिशिष्ट "ढ-1" में वर्णित कुछ प्रकरणों में गत कई वर्षों से गृहकर की वसूली नहीं की गई थी जोकि ₹3756291/- देय बनती है | परिणामस्वरूप

प्रतिवर्ष बकाया राशि बढ़ती ही जा रही है जिसके कारण नगर परिषद की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः वर्णित प्रकरणों सहित इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों में भी बकाया गृह कर की अविलम्ब वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कदम उठाए जाने सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ग) सरकार के निर्देशानुसार गृहकर की निर्धारित दर से मांग व वसूली न करने के कारण राजस्व हानि

हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट, 1994 की धारा 65 में वर्णित प्रावधानों को पूर्णतया लागू करने हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग ने पत्र संख्या UDH ©(10)-7/98-II दिनांक 17.11.2003 द्वारा निर्देश जारी किए थे कि अवधि 2002-03 में 7.5% की दर से गृहकर अधिरोपित करके इसमें प्रति वर्ष 1% की वृद्धि करते हुए अवधि 2007-08 तक गृहकर की दर को 12.5% किया जाए किन्तु अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार परिषद द्वारा उक्त नियमानुसार निर्धारित दर की अपेक्षा मकानों के क्षेत्रफल अनुसार प्रति वर्ग मी0 की दर से गृहकर वसूल किया गया था जोकि उक्त वर्णित प्रावधानों/निर्देशों के प्रतिकूल है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 (iii) द्वारा भी यह अनियमितता परिषद के ध्यान में लाई गई थी लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से यदि वर्तमान में वसूल किया जा रहा गृहकर सरकार द्वारा निर्धारित उक्त दरों से देय गृहकर से कम बनता हो तो राशि की गणना अपने स्तर पर करके बकाया गृहकर की वसूली सुनिश्चित की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9.2 दुकानों के किराए से आय

(क) दिनांक 31.3.2019 को दुकानों के किराए की ₹75.79 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को परिशिष्ट "ढ-ii" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा संबन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2019 तक दुकानों का किराया ₹7578718/- वसूली हेतु शेष था जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार विशेष कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) कुछ दुकानदारों से एक लाख से अधिक देय किराए की वसूली न करना

दुकानों के किराए के मांग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख का चयनित आधार पर अवलोकन करने पर पाया गया कि कुछ दुकानदारों से पिछले कुछ वर्षों से दुकानों के किराए की वसूली नहीं की गई थी जिसके कारण उनसे देय बकाया राशि एक लाख से अधिक हो गई थी जिसका सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट "ढ-iii" पर दर्शाया गया है जिसके अनुसार दिनांक 31/03/2019 को बकाया ₹2944703/- देय है । परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष बकाया राशि बढ़ती ही जा रही है जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है तथा इससे नगर परिषद की वित्तीय स्थिति भी प्रभावित होती है। अतः परिशिष्ट में वर्णित प्रकरणों सहित इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों में भी बकाया किराए की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कदम उठाए जाने सुनिश्चित किए जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9.3 सफाई कर (sanitation tax)

(क) दिनांक 31.3.2019 तक सफाई कर ₹70.45 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को परिशिष्ट "ढ-iv" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2019 को सफाई कर ₹7044718/- वसूली हेतु शेष था तथा इतनी अधिक राशि वसूली

हेतु शेष होना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। इसके अतिरिक्त अभिलेख का चयनित आधार पर अवलोकन करने पर पाया गया कि सफाई कर की मांग एवं प्राप्ति पंजिकाओं में अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित मांग एवं प्राप्ति की दर्ज प्रविष्टियाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थी जोकि अनियमित है क्योंकि इसके अभाव में दिनांक 31.3.2019 को दर्शाई गई वसूली हेतु शेष बकाया राशि की पूर्ण सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी । अतः वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार तुरन्त ठोस पग उठाए जाने के साथ-2 सम्बन्धित अभिलेख को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाना भी सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) पिछले कई वर्षों से सफाई कर की वसूली न करना :-

सफाई कर की मांग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख का चयनित आधार पर अवलोकन करने पर पाया गया कि परिषद क्षेत्र के कई आवासियों से पिछले कई वर्षों से सफाई कर ₹69975/- की वसूली नहीं की गई थी। (परिशिष्ट " ढ-v") जिससे स्पष्ट होता है कि कर की वसूली हेतु ठोस प्रयास नहीं किए जा रहा है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है । परिणामतः शुल्कों / करों की समय पर वसूली न करने के कारण जहां एक ओर नगर परिषद की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है दूसरी ओर विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। अतः वर्षों से लम्बित बकाया सफाई कर की वसूली अविलम्ब सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.4 पार्किंग शुल्क ₹8.55 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को परिशिष्ट "ढ-vi" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि दिनांक 31/03/2019 को विभिन्न संविदाकारों से ठेके पर आबंटित पार्किंग स्थलों की एवज में ₹854854/- की बकाया वसूली हेतु शेष थी

जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा वर्णित शुल्क की नियमित वसूली हेतु ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है क्योंकि जिसके इस कारण नगर परिषद की वित्तीय स्थिति भी प्रभावित हो रही है । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अविलम्ब बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये ।

9.5 पथ विक्रेता (street vendors) शुल्क ₹0.71 लाख वसूली हेतु शेष होना

अंकेक्षण को परिशिष्ट "ढ-vii" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का संबन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि दिनांक 31/03/2019 को स्ट्रीट वेंडरस से ₹70700/- की बकाया किराया वसूली हेतु शेष था जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा वर्णित शुल्क की नियमित वसूली हेतु ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है तथा इसके कारण नगर परिषद की वित्तीय स्थिति भी प्रभावित हो रही है । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली अविलम्ब सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये ।

9.6 मोबाइल टावर नवीनीकरण शुल्क

(क) मोबाइल टावर नवीनीकरण शुल्क ₹7.51 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को परिषद द्वारा यथा परिशिष्ट "ढ-viii" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/19 को विभिन्न मोबाइल कम्पनियों से अतिरिक्त antennas सहित वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ₹751250 वसूली हेतु शेष था तथा नगर परिषद द्वारा वर्णित शुल्क की नियमित वसूली हेतु ठोस प्रयत्न नहीं किया जा रहा था है । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये ।

(ख) मोबाइल टावर नवीनीकरण पंजिका का उचित रख रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा मोबाइल टावर नवीनीकरण पंजिका का उचित रख रखाव नहीं किया जा रहा था । पंजिका में प्रत्येक टावर हेतु वार्षिक देय, प्राप्ति एवं शेष संबंधी विवरण अलग-2 से नहीं दर्शाया गया था जिसके कारण देय शुल्क कि पूर्ण सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव न ही सकी । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 37 दिनांक 21/01/21 द्वारा भी नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया ।

9.7 लाईसैंस नवीनीकरण शुल्क ₹1.97 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण के दौरान परिशिष्ट "ढ-ix" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31/03/2019 को लाईसैंस नवीनीकरण शुल्क ₹196933/- वसूली हेतु शेष था जिसका संबन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा लाईसैंस शुल्क की मांग व प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेख का उचित रख-रखाव नहीं किया जा रहा था अर्थात कुछ लाइसेन्स धारकों ने 5 वर्षों के लिए लाइसेंस शुल्क की एक मुश्त राशि जमा करवाई थी परंतु यह राशि किस अवधि के लिए जमा करवाई थी इस से संबन्धित कोई विवरण अभिलेख में दर्ज नहीं था और सम्बन्धित पंजिका में शुल्क प्राप्ति की प्रविष्टियाँ भी स्पष्ट नहीं थी तथा इन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि के दौरान कुल देय शुल्क, प्राप्त शुल्क तथा वसूली हेतु शेष बकाया शुल्क की पूर्ण सत्यापना संभव न हो सकी । वर्णित अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 41 दिनांक 22/01/2021 द्वारा परिषद के ध्यान में लाई गई परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक न तो अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई गई तथा न ही कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया । अतः इस

सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अभिलेख का उचित रख रखाव व अद्यतन करके सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

9.8 विविध

(क) बिजली उपकर

शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या: एलएसएचडी (1)-9/94-खण्ड-II दिनांक 13.12.2000 के अनुसार दिनांक 1.1.2001 से नगर परिषद परिक्षेत्र के भीतर बिजली की कुल खपत का एक पैसा प्रति यूनिट की दर से शुल्क विद्युत् बोर्ड द्वारा सम्बन्धित नगर परिषद को दिया जाना अपेक्षित है परन्तु नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट "ढ-X") के अनुसार अंकेक्षण अवधि से संबन्धित बिजली शुल्क की कोई भी प्राप्ति संबन्धित विभाग से नहीं हुई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है । अतः इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित वसूली संबन्धित विभाग से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) शराब उपकर

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट "ढ -X") के अनुसार अंकेक्षण अवधि में आबकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश से परिषद क्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपये प्रति बोतल की दर से शराब उपकर की प्राप्ति नहीं हुई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है । अतः इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते ही अपेक्षित वसूली संबन्धित विभाग से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) बिजली शराब उपकर की मांग एवं प्राप्ति के अभिलेख का उचित रख-रखाव न करना

नगर परिषद द्वारा न तो अंकेक्षण अवधि के दौरान बिजली व शराब उपकर सम्बन्धित विभागों से प्राप्त गया था तथा न ही मांग व प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेख का उचित रख रखाव ही किया जा रहा था जोकि अनियमित है । गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 13

द्वारा भी अभिलेख का रख रखाव न किए जाने संबंधी अनियमितता परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु इस के बावजूद कोई भी कार्यवाही न करना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 34 दिनांक 20/01/2021 द्वारा वर्णित अनियमितता परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में संबन्धित अभिलेख का उचित अनुरक्षण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) पालतू कुत्ता शुल्क बारे

नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह (अंकेक्षण अधियाचना संख्या 68 दिनांक 28/01/2020) के पश्चात भी अंकेक्षण अवधि के दौरान पालतू कुत्ता शुल्क के संदर्भ में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई जिससे प्रतीत होता है नगर परिषद द्वारा वर्णित शुल्क की वसूली ही नहीं की जा रही है जोकि अनियमित है । गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो में भी इस संदर्भ में आपत्ति उठाई गई थी परन्तु वर्तमान अंकेक्षण तक कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में न लाना नगर परिषद की लचर कार्य प्रणाली को दर्शाता है । अतः इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित सूचना संबन्धित अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

10 स्थापना

(क) स्थापना (Establishment) पर ₹131.41 लाख का अनियमित व्यय किया जाना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 53 (1) (c) में वर्णित प्रावधानानुसार स्थापना पर व्यय नगरपालिका के कुल व्यय के एक तिहाई से अधिक नहीं किया जा सकता परन्तु नगर परिषद द्वारा यथा परिशिष्ट "ण" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान स्थापना पर निम्न विवरणानुसार ₹13141349/- का व्यय निर्धारित सीमा से अधिक किया गया था जोकि अनियमित है :-

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय (₹)	कुल व्यय का 1/3 (क) (₹)	स्थापना पर किया गया व्यय (ख) (₹)	निर्धारित सीमा से अधिक किया गया व्यय (ख-क) (₹)
2017-18	146444369.40	48814790	46135740	-----
2018-19	115522472.80	38507491	51648840	13141349

अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां 34 दिनांक 20/01/2021 द्वारा वर्णित अनियमितता कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे अब सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाये ।

(ख) कम्युनिटी ओर्गेनाईजर (Community organiser) को ₹7.01 लाख के वेतन व भत्तों का अनियमित भुगतान करना

श्रीमती वंदना, कम्युनिटी ओर्गेनाईजर (Community Organiser) की सेवा पुस्तिका का अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 1.7.2012 से वह पे बैंड ₹5910-20200+1900 ग्रेड पे में ₹7180+1900 ग्रेड पे= ₹9080 का वेतन आहरित कर रही थी तथा नगर परिषद सभा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 23.4.2013 द्वारा उन्हें नगर परिषद राजगढ़ की तर्ज पर दिनांक 1.10.2012 से संशोधित ग्रेड पे बैंड 10300-34800+3200 ग्रेड पे का लाभ प्रदान किया गया (सेवा पुस्तिका पृष्ठ संख्या 10 और 11) जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या फिन (पी0आर0)-8(7)-64/2010, दिनांक 27.9.2012 द्वारा अधिसूचित पद/सवर्ग संशोधित वेतन नियम, 2012 के अन्तर्गत न तो उक्त पद का संशोधित पे बैंड 10300-34800+3200 ग्रेड पे का लाभ अधिसूचित ही किया गया और न ही इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत ही किया गया है। इस अनियमितता के कारण परिशिष्ट "ण-1" के अनुसार उन्हें ₹701308/- के वेतन व भत्तों का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु नगर परिषद द्वारा इस बारे कोई भी

कार्यवाही नहीं की गई बल्कि इसके विपरीत अधिक दर से भुगतान किया जाना जारी रखा गया है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः अनियमित वेतन भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अनियमित भुगतान की नियमानुसार वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किए गए भुगतानों में पाई गई अनियमितताएं

(i) अवकाश नकदीकरण (Leave encashment) हेतु ₹1.46 लाख का अधिक भुगतान (वाउचर संख्या 09 माह 11/18)

वाउचर की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्न सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय अवकाश नकदीकरण के 50% का भुगतान वास्तविकता में अर्जित अवकाश खाते में जमा शेष की अपेक्षा 300 दिनों हेतु करने के कारण निम्न विवरणानुसार ₹145513/- का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है ।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम / सेवानिवृत्ति की तिथि / मृत्यु की तिथि	देय राशि का किया गया 50% भुगतान (क) (₹)	जितना 50% भुगतान किया जाना अपेक्षित था (ख) (₹)	अधिक भुगतान (क-ख) (₹)
1	श्री राजेश कुमार (जमादार) / 30/06/18	40006[16880(वेतन)+23126 (137%DA)x300/30 =400060/- 200030/- (400060 का 50%)	39863[16820(वेतन) +23043(137%DA)x252/30 =334849 167425/- (33849 का 50%)	32605/-
2	श्री प्रदीप कुमार (कनिष्ठ सहायक) / 17/7/18	40456[17070(वेतन)+23386 (137%DA)x282/30 =380260/-	38133[16090(वेतन)+22043 (137%DA)x282/30 =358450/-	10918/-

		190143/- (380260 का 50%)	179225/- (380260 का 50%)	
3	श्री रोशन लाल / माली / 30/04/18	30597[12910(वेतन)+17687 (137%DA)x300/30 =305970/- 152985/- (305970 का 50%)	30597[12910(वेतन)+17687 (137%DA)x100/30 =101990/- 50995/- (101990 का 50%)	101990/-
			कुल योग	₹145513/-

अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए या इसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा ₹145513 की वसूली उपयुक्त स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ii) नगर परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी उपरोक्त तालिका में दर्शाये गए कर्मचारियों को leave encashment से संबन्धित किया गया शेष राशि (50%) के भुगतान से संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि उपरोक्त कर्मचारियों को किए गए शेष राशि के भुगतान में भी ₹145513/- का अधिक भुगतान किया गया हो। अतः इस सन्दर्भ में भी वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए समतुल्य अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाये।

(घ) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान सेवानिवृत्त लाभों से संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्न कर्मचारी अंकेक्षण अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे परन्तु नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह (अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 12/01/2021 तथा 29 दिनांक 15/01/2021) के पश्चात भी उन्हें भुगतान किए गए सेवा निवृत्त लाभों (gratuity, leave encashment, GPF) से संबन्धित अभिलेख / वाउचर आवश्यक पड़ताल हेतु अंकेक्षण में

प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में प्रदत्त सेवानिवृति लाभों का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव नहीं ही सका। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए :-

क्रम संख्या	नाम	पद	सेवानिवृति की तिथि	अभिलेख का विवरण जो प्रस्तुत नहीं किया गया
1	श्री तेज पाल	कनिष्ठ सहायक	31/01/2018	Gratuity, leave encashment, GPF/CPF के अंतिम भुगतान से संबन्धित अभिलेख
2	श्री मोहन लाल	बेलदार	31/01/2018	यथोपरि
3	श्रीमती निर्मला देवी	सफाई कर्मचारी	28/02/2018	यथोपरि
4	श्री राम पल	चालक	31/10/2017	यथोपरि
5	श्री रोशन लाल	माली	30/04/2018	GPF/CPF के अंतिम भुगतान से संबन्धित अभिलेख
6	श्री राजेश कुमार	वरिष्ठ जमादार	30/06/2018	यथोपरि
7	श्री राम चंदर	बेलदार	30/06/2018	Gratuity, leave encashment, GPF/CPF के अंतिम भुगतान से संबन्धित अभिलेख
8	श्री बलबीर सिंह	बेलदार	31/12/2018	यथोपरि
9	श्री मुहम्मद अशरली	---	31/03/2019	यथोपरि
10	श्री ओम प्रकाश	बेलदार	-----	-----

(ड.) रोकड़ बही में ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान दर्शाना

वाउचर संख्या 09 माह 11/18 के साथ संलग्न दस्तावेजों के अनुसार विभिन्न कर्मचारियों को leave encashment हेतु ₹1480661/- का भुगतान किया जाना अपेक्षित था परंतु रोकड़ वही में इस के विरुद्ध ₹1483928/- (1293786+95071+95071) का भुगतान दर्शाया गया था जोकि ₹3267/- का अधिक होने के कारण अनियमित है । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹3267/- की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(च) कर्मचारियों को ₹1.35 लाख के महंगाई भते का अधिक भुगतान / भविष्य निधि में जमा करना

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा गणना में त्रुटि व गलत आहरित वेतन गणना में लेने के कारण कर्मचारियों को ₹135044/- का अधिक भुगतान किया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट "त" में दिया गया है । अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹135044/- की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

(छ) गलत वेतन निर्धारण करने के कारण चालकों को ₹0.02 लाख के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान करना

Govt.. of Himachal Pradesh, Finance (Pay revision) department, letter No. Fin(PR)-B(7)-64/2010, Dated : 27th, September, 2012 में विहित निर्देशों के अनुसार चालकों (क्रम संख्या 12) को higher grade pay दो साल की नियमित सेवा के पश्चात प्रदान की जानी अपेक्षित थी परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार higher grade pay देय तिथि से 29 दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 30/03/2019 के स्थान पर 01/03/2019 को ही प्रदान कर

दी गई थी जोकि अनियमित है जिसके इस कारण चालकों को ₹1856 का अधिक भुगतान

किया गया था :-

नाम	कार्य ग्रहण करने की तिथि /वेतन	आगामी वर्ष जिस तिथि को Higher Grade pay दी जानी थी	जिस तिथि को दी गई	दिनों का अधिक भुगतान	29 दिनों के लिए Grade pay का अधिक भुगतान (₹)	Grade pay DA (134%) का 29 दिनों का अधिक भुगतान (₹)	कुल अधिक भुगतान (₹)
श्री संजीव कुमार	30/03/17 (6240 + 2000)	30.03.19	01.03.19	29 दिन	374 (400x29/31)	554 (400+148%x29/31)	928 (374x928)
श्री नरेंडर कुमार	30/03/17 (6240 + 2000)	30.03.19	01.03.19	29 दिन	374 (400x29/31)	554 (400+148%x29/31)	928 (374x928)
						कुल योग	₹1856

अतः वर्णित अनियमितता स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹1856/- की वसूली उचित

स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

(ज) संविदा (contract) के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को ₹286 का अधिक भुगतान करना

नियमानुसार संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को एक साल की सेवा अवधि पूर्ण होने पर वार्षिक वृद्धि प्रदान की जानी अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को एक वर्ष पूर्ण होने से पहले ही वार्षिक वृद्धि प्रदान की गई थी जिसके कारण उन्हें ₹286/- का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है :-

क्रम संख्यां	नाम	पद	कार्य ग्रहण करने की तिथि	वार्षिक वृद्धि प्रदान करने की देय तिथि	जिस तिथि को वार्षिक वृद्धों प्रदान की गई	अन्तर दिनों में	अधिक भुगतान राशि (₹)
1	श्रीमती सुषमा	लिपिक	07.10.15 (FN)	07.10.16	01.10.16	6 दिन	45 (234/31x6)
				07.10.17	01.10.17	6 दिन	45 (234/31x6)
2	श्रीमती रुक्मणी देवी	लिपिक	08.03.17 (FN)	08.03.18	01.03.18	7 दिन	53 (234/31x7)

				08.03.19	01.03.19	7 दिन	53 (234/31x7)
3	श्री रामेश्वर कमल	लिपिक	07.08.19 (FN)	07.08.19	01.08.19	6 दिन	45 (234/31x6)
				07.08.20	01.08.20	6 दिन	45 (234/31x6)
						कुल योग	₹286

अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹286/-

की वसूली उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

(झ) ₹3256/- का अधिक भुगतान करना

वाउचर संख्या 42 दिनांक 11/2018 ₹88349/- की पड़ताल के दौरान पाया गया कि श्रीमती सविता पत्नी स्वर्गीय श्री जितेंदर का माननीय HTPT के आदेशानुसार वेतन पुनः निर्धारित करके उन्हें अवधि 1/1/14 से 18/1/15 तक देय बकाया वेतन ₹54782.80 का भुगतान किया गया था जबकि वास्तविकता में योग में त्रुटि के कारण भुगतान ₹51526/- देय बनता था I इस प्रकार उन्हें ₹3256/- का अधिक भुगतान किया गया था । इसके अतिरिक्त बकाया राशि की गणना में लिए गए वेतन due तथा drawn से संबन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः वर्णित अनियमितता का या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹3256/- की वसूली उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित करके के साथ -2 संबन्धित अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाए ।

(ञ) वेतन भुगतान संबंधी अनियमितताएं (माह 11/18 में देय माह 10/18 का वेतन,

वाउचर संख्या 1 से 6, माह 11/18, ₹3634453 का अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

(i) वेतन में ₹989/- का अधिक भुगतान करना

श्री मुहम्मद रफी (कोड संख्या = E 129) को निम्न विवरणानुसार ₹989/- के वेतन का अधिक भुगतान किया गया था जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा

₹989/- की वसूली उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित की जाए तथा अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

विवरण	वेतन बिल के अनुसार भुगतान (₹)	वेतन पंजिका के अनुसार देय वेतन (₹)
वेतन	6640	6419
ग्रेड पे	1650	1595
कुल वेतन	8290	8014
DA	11606	10979
IR	1741	1683
CCA	200	193
HRA	400	387
WA	170	48
Conveyance allowance	50	164
कुल योग	₹22457	₹21468
अंतर / अधिक भुगतान = ₹22547- ₹21468= ₹989/-		

(ट) वेतन पंजिका में वेतन भुगतान की प्रविष्टि न करना

नगर परिषद द्वारा वेतन पंजिका का उचित रख रखाव/अद्यतन नहीं किया जा रहा था जैसे कि वेतन बिल के अनुसार श्रीमती सुमन देवी को ₹17002/- वेतन का भुगतान किया गया था परंतु वेतन पंजिका कि पृष्ठ संख्या 138 पर वेतन के भुगतान की प्रविष्टि नहीं की गई थी । अतः इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ।

(ठ) वाउचर तथा वेतन पंजिका के अनुसार देय वेतन में अंतर होना

वेतन बिल (माह 11/18 में देय माह 10/18 का वेतन) की पड़ताल के दौरान पाया गया कि श्रीमती सुषमा यादव को वेतन बिल के अनुसार ₹10412/- के वेतन का भुगतान किया गया था जबकि वेतन पंजिका में ₹10185/- देय वेतन की प्रविष्टि की गई थी । इस प्रकार नगर परिषद द्वारा ₹227/- (10185- 10412) के अधिक वेतन बारे भुगतान वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई । अतः वर्णित अनियमितता का या पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹227/- (10412-10185) की वसूली उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित की जाए ।

(ड) वेतन भुगतान पंजिकाओं का उचित रख रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वेतन भुगतान पंजिका (वर्ष 2017-18 तथा 2018-19) का रख रखाव उचित रूप से नहीं किया जा रहा था अर्थात् पंजिका में वेतन के मासिक भुगतान की प्रविष्टियों को सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया जा रहा था जोकि अनियमित है । जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए इस सन्दर्भ में अब नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करने के अतिरिक्त भविष्य में हि०प्र० वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 10(4) में विहित निर्देशों का कड़ाई से अनुसरण करना सुनिश्चित किया जाए ।

(ढ) कर्मचारियों को नियमानुसार देय तिथि पूर्ण उच्च ग्रेड पे का लाभ प्रदान करने के कारण वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान करना

माननीय न्यायालय / HPTA द्वारा Mathu ram vs state एवं Rajesh Kumar vs state cases में पारित आदेश के दृष्टिगत नगर परिषद द्वारा निम्न सफाई

कर्मचारियों का दिनांक 01/11/2011 से पुनः वेतन निर्धारण किया गया था जिसका अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इनका वेतन निर्धारण Govt.. of Himachal Pradesh, Finance (Pay revision) department, No. Fin(PR)-B(7)-64/2010, Dated : Shimla-2, the 27th, September, 2012 में विहित निर्देशों के अनुसार (क्रम संख्या 13) सफाई कर्मचारियों को higher grade pay का लाभ दो साल की नियमित सेवा के पश्चात दिया जाना अपेक्षित है जबकि परिषद द्वारा वर्णित प्रकरणों में higher grade pay का लाभ दो साल की नियमित सेवा से पूर्व ही प्रदान कर दिया गया था अर्थात् सेवा अभिलेख के अनुसार वर्णित कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति की तिथि 01.11.11 थी तथा दो वर्ष की सेवा उपरांत दिनांक 1.11.13 से उच्च ग्रेड पे का लाभ देय बनता था जिसे परिषद द्वारा वर्णित देय तिथि से पूर्व ही दिनांक 1.10.12 से प्रदान कर दिया गया जोकि अनियमित है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से सम्बन्धित कर्मचारियों का नियमानुसार पुनः वेतन निर्धारण करने के उपरान्त अधिक वेतन भुगतान की गणना संस्था स्तर पर करके राशि की वसूली उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित की जाए :-

तालिका (क)

क्रम संख्या	सफाई कर्मचारी का नाम	पुनः वेतन निर्धारण की तिथि
1	श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री छोटे लाल)OA(17/669	01/01/2011
2	श्री माती आशा देवी पत्नी श्री विक्रम सहोत्रा (सफाई कर्मचारी) (OA 6411/17)	01/01/2011
3	श्यामा देवी पत्नी श्री सुंदर लाल (सफाई कर्मचारी) (OA 667/17)	01/01/2011
4	श्यामा देवी पत्नी श्री बसंत कुमार (सफाई कर्मचारी) (OA 658/17)	01/01/2011
5	बिना देवी पत्नी स्व श्री सुदेश कुमार (OA 674/17)	01/01/2011
6	श्री माती आशा देवी पत्नी श्री श्याम लाल (सफाई कर्मचारी) date of filing (OA 5602/17)	01/01/2011

तालिका " ख "

परिषद द्वारा निर्धारित वेतन				नियमानुसार अपेक्षित वेतन निर्धारण			
दिनांक	Pay	Grade pay	Basic pay	दिनांक	Pay	Grade pay	Basic pay
01/01/2011	4900	1300	6200	01/01/20 11	4900	1300	6200
01/01/2012	5090	1300	6390	01/01/20 12	5090	1300	6390
01/10/2012	5090	1650	6740 (गलत वेतन निर्धारण)	01/01/20 13	5290	1300	6590
01/01/2013	5300	1650	6950	01/01/20 13	5290	1650	6940
01/01/2014	5510	1650	7160	01/01/20 14	5500	1650	7150
01/01/2015	5730	1650	7380	01/01/20 15	5720	1650	7370
01/01/2016	5960	1650	7610	01/01/20 16	5950	1650	7600
01/01/2017	6190	1650	7840	01/01/20 17	6180	1650	7830
01/01/2018	6430	1650	8080	01/01/20 18	6420	1650	8070
01/01/2019	6680	1650	8330	01/01/20 19	6670	1650	8320

(न) सेवा पंजिकाओं का उचित रख रखाव एवं अद्यतन न करना

(i) चयनित सेवा पंजिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में अवकाश खातों को अद्यतन (update) नहीं किया गया था जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अब इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :-

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	जिस तिथि के पश्चात छुट्टी के खातों का अद्यतन (update) नहीं किया गया था
1	श्रीमती सीमा देवी	सफाई कर्मचारी	31/12/18 के बाद
2	श्री बाबू राम	बेलदार	31/12/18 के बाद
3	श्री धरम पाल	जमादार	31/12/18 के बाद
4	श्री नरेन्द्र कुमार	मेट	31/12/18 के बाद

(ii) श्री नरेन्द्र कुमार Mate के अवकाश खाते में दिनांक 30/06/17 को 141 दिनों के स्थान पर 206 दिनों का अर्जित अवकाश में शेष दर्शाया गया था जिसका मुख्य कारण कर्मचारी द्वारा अवधि 27/01/17 से 10/04/17 तक =74 दिनों के व्यतीत अर्जित अवकाश के विरुद्ध अवकाश खाते में केवल 9 दिन ही डेबिट किए गए थे जोकि अनियमित है जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

(त) शहरी विकास निदेशालय के आदेशानुसार कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत न करवाना

माननीय HPAT द्वारा Mathu ram vs state case में पारित आदेशों/ निर्णय के दृष्टिगत नगर परिषद में कार्यरत बेलदार श्रीमती ममता देवी के स्वर्गीय पति श्री पुरषोत्तम

के पक्ष में भी सभी consequential benefits जारी करने हेतु आदेश पारित किए थे तथा अनुपालना में नगर परिषद द्वारा वेतन पुनः निर्धारित करके श्रीमती ममता देवी को ₹33567/- (वाउचर संख्या 44 दिनांक 11/2018) की बकाया राशि का भुगतान किया गया था । अंकेक्षण में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त (regulation) विभाग के पत्र संख्या **Fin-(C)-A(9)-3/2016** दिनांक : शिमला -171002, 11 अप्रैल, 2018 में विहित अनुदेशों के अनुसार "In cases Hon'ble High Court / HPAT had/has issued directions to extent the benefit of regularization of services on the analogy of Mathu Ram case or other similar situated decision of Hon'ble High Court / HPAT such decisions may be contested in higher appellate court on the strength of state Government Regularization Policy and Judgements of the Hon'ble Supreme Court of India passed in Uma Devi case. तथा वर्णित आदेश शहरी विकास निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला -2 ने भी पत्र संख्या UD-II(B0(15)-9/2000-8308-8364 dated 28/04/2018 द्वारा अपेक्षित कार्रवाई हेतु सभी आयुक्तों नगर निगम, कार्यकारी अधिकारियों नगर पालिका / परिषद तथा सचिवों नगर पंचायतों को अग्रेषित (convey) किए गए थे । इसके अतिरिक्त शहरी विकास निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला -2 के पत्र संख्या **ULB-H-e(3)-39/2018 - 11779-80** dated 06/06/2018 द्वारा नगर परिषद को उपरोक्त वर्णित पत्रों में विहित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए श्रीमती ममता देवी पत्नी स्वर्गीय श्री पुरषोत्तम के प्रकरण में माननीय HPAT द्वारा दिये गए निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में तीन माह के भीतर **civil writ petition** दायर करने का आदेश दिया था । इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा नगर परिषद से मौखिक तथा लिखित अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 40 दिनांक 22/01/2021 द्वारा उपरोक्त पत्र दिनांक 06/06/2018 में विहित निर्देशों के

अनुसार कृत कार्रवाई बारे में जानकारी मांगी गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर परिषद द्वारा कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः अब वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख/सूचना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि Mathu ram vs state तथा Rakesh kumar vs state cases में निर्णय के आधार पर माननीय न्यायालय/HPAT द्वारा पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद द्वारा (परिशिष्ट "थ") अपने कुल 49 कर्मचारियों को पूर्व तिथियों से नियमितीकरण का लाभ प्रदान किया गया था । जबकि उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 11/04/2018 में विहित निर्देशों के दृष्टिगत निम्न कर्मचारियों सहित कुल 49 कर्मचारियों (परिशिष्ट "थ" के अनुसार) के पक्ष में Mathu ram vs state तथा Rakesh kumar vs state cases में निर्णय के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय / HPAT द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध उमा देवी case में दिये गए निर्णय के आधार पर माननीय सर्वोच्च / उच्च न्यायालय में चुनौती दी जानी अपेक्षित थी ।

वाउचर संख्या / माह	नाम	पद	बकाया राशि का भुगतान
वाउचर संख्या उल्लेखित नहीं / 11/18	श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री श्याम लाल	सफाई कर्मचारी	30424/-
	श्रीमती बिना देवी पत्नी सुदेश कुमार	सफाई कर्मचारी	30424/-
	श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री विक्रम सिंह	सफाई कर्मचारी	30424/-
	श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री	सफाई कर्मचारी	30424/-

	छोटे लाल		
45 / 11/18	श्रीमती सविता पत्नी स्वर्गीय जितेंदर कुमार	-----	54782/-

अतः इस संदर्भ में अंकेक्षण को वस्तु स्थिति से अपेक्षित अभिलेख/सूचना सहित अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

अंकेक्षण द्वारा उपरोक्त अनियमितताएं ज्ञापन संख्या 18 दिनांक 04/01/2021, 28 दिनांक 12/01/2021, 29 दिनांक 15/01/2021, 39 दिनांक 22/01/2021, 40 दिनांक 22/01/2021 द्वारा भी नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो इनके संदर्भ में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया तथा न ही अपेक्षित कार्रवाई उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया ।

11 पेंशन निधि की अपेक्षा सीधे नगर परिषद निधि से ₹193.06 लाख की पेंशन (pension) एवं ग्रेजुटी (Gratuity) का भुगतान करना

नगर परिषद द्वारा परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद द्वारा पेंशन एवं ग्रेजुटी निधि में यथेष्ट (sufficient) राशि न होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ₹19305661 पेंशन एवं ग्रेजुटी का भुगतान सीधे नगर परिषद निधि में से किया गया था जोकि अनियमित है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या 35 दिनांक 20/01/2021 द्वारा इस संदर्भ में नगर परिषद से आवश्यक स्पष्टीकरण मांगा गया था परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा

नगर परिषद निधि की भरपाई उचित स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

व्यय

12 स्टोर/स्टॉक के क्रय/मुरम्मत कार्यों एवं विभिन्न सेवाओं हेतु भुगतान संबंधी अनियमितताएं

अंकेक्षण के दौरान स्टोर/स्टॉक के क्रय/मुरम्मत कार्यों एवं विभिन्न सेवाओं हेतु किए गए भुगतान की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) स्टोर/स्टॉक क्रय/मुरम्मत कार्यों हेतु भुगतान ₹2.55 लाख से पूर्व नियमानुसार विहित प्रक्रिया न अपनाना

हि०प्र० वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 98 में विहित निर्देशों के अनुसार ₹3000/- से अधिक के स्टोर / स्टॉक के क्रय, विभिन्न सेवाएँ / मुरम्मत कार्यों हेतु करने से पूर्व नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाई जानी अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ₹3000/- से अधिक भुगतानों के निम्न प्रकरणों जो अवतरनें (quotations) एकत्रित की गई थी वे न तो sealed प्रतीत होती है तथा न ही diary की गई थी व कुछ प्रकरणों में अवतरनें क्रय समिति की बजाए केवल एक ही कर्मचारी द्वारा ही एकत्रित की गई थी तथा कुछ प्रकरणों में अवतरनें एकत्रित करने की तिथि भी अंकित नहीं थी जोकि अनियमित है ।

वाउचर संख्या / माह	विवरण	राशि (₹)
46 / 09/17	गलासों आदि के क्रय हेतु किया गया भुगतान	3120/-
49/ 09/17	WC seats, cisterns wash basins आदि लगाने हेतु किया गया भुगतान	10858/- [वाउचर की कुल राशि 18858/- (8000+ 10858) ₹8000/- के भुगतान से संबन्धित अवतरनें नहीं दर्शाई गई ।]
56/	टोकरी, झाड़ू आदि	60985/-

09/17	भुगतान	
61/ 09/17	वाहन संख्या HP-18-4781 की मरम्मत हेतु किया गया भुगतान	11611/-
62/ 09/17	भूसे के क्रय हेतु भुगतान	12265/-
64/ 09/17	Hydrolic oil के क्रय हेतु भुगतान	5319/-
65/ 09/17	पानी की आपूर्ति हेतु भुगतान	17500/- (25 x 700/-)
69/ 09/17	Floor,wall tiles आदि हेतु भुगतान	14898/-
70/ 09/17	Toilet seat, jet, bib cock आदि के क्रय हेतु भुगतान	14949/-
75/ 09/17	वाहन संख्या HP-18-0381 कि मरम्मत हेतु	22539/-
99/ 09/17	वाहन संख्या HP-14-0387 कि मरम्मत हेतु भुगतान	27802/-
33/ 11/18	बास झाड़ू, बास टोकरी, बास की लाठी, चुड़ी लोहा आदि का क्रय ।	52780/-
	कुल योग	₹254626/-

अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में ₹3000/- से अधिक के भुगतान नियमों में विहित प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात ही करना सुनिश्चित किया जाए ।

(ख) व्यय/भुगतान ₹5.13 लाख के संदर्भ में क्रय औपचारिकताएँ पूर्ण करने संबंधी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

हि०प्र० वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 98 में विहित निर्देशों के अनुसार स्टोर / स्टॉक के क्रय, विभिन्न सेवाएँ / मरम्मत कार्यों हेतु ₹3000/- से अधिक भुगतान करने से पूर्व नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाई जानी अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी परिषद द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये गए ₹3000/- से अधिक भुगतानों के संदर्भ में निविदा सम्बन्धी अभिलेख (quotations / tenders) अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि क्रय से पूर्व वर्णित औपचारिकता पूर्ण ही नहीं की गई थी जोकि अनियमित है । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा व्यय/भुगतानों को एकल निविदा के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

वाउचर संख्या / माह	विवरण	राशि (₹)
36 / 09/17	माह 05/17 में किए गए "Work of cleaning and recreating compost , land filling and dumping disposal of dead animal at dunping yard " के संदर्भ में श्री आशीष कुमार को किया गया भुगतान ।	48000/-
49 / 09/17	WC seats, cisterns wash basins आदि लगाने हेतु किया गया भुगतान	8000/- [वाउचर की कुल राशि 18858/- (8000+ 10858)]
53/ 09/17	बिजली के सामान (CFL 30 and 40 watt) हेतु किया गया भुगतान	11190/-
76/ 09/17	वाहन संख्या (dumper plaser) HP-71-1736 की सर्विस हेतु किया गया भुगतान	19272/- (कंपनी की price list वाउचर के साथ संलग्न नहीं थी)
79/ 09/17	मेले के दौरान पक्का टैंक के चारों ओर lighting हेतु किया गया भुगतान ।	6000/-
89/ 09/17	तालाब में पानी की आपूर्ति हेतु किया गया भुगतान	20000/-
91/ 09/17	श्री संजय सिंह को "preparation of drawing /estimate/ structure (c/o shelters for homeless(women)" हेतु किया गया भुगतान ।	34190/- (2279347 का 1.5%)
101/ 09/17	नगर परिषद भवन की मरम्मत के दौरान water fittings ,putty, brush pipes आदि के क्रय हेतु किया गया भुगतान ।	9086/- [5400 (putty, bruash आदि)+3686(wall putty)]

		वाउचर की कुल राशि 14149/- (940+830+5400+897+946 +3686+704+746)
102/ 09/17	श्री मनोज कुमार को "C/O tin shed and store and attached rain shelter at delhi gate (in work cement, labour, sand aggregate, bricks, electricity goods, water fittings, etc.)" हेतु किया गया भुगतान	115000/-
22 / 11/18	साइन बोर्ड्स तथा फ्लेक्स बेनरस बनवाने हेतु "Happy art service solan" को किया गया भुगतान	26,631/-
23 / 11/18	साइन बोर्ड्स बनवाने हेतु "Happy art service solan" को किया गया भुगतान	70800/-
24 / 11/18	साइन बोर्ड्स बनवाने हेतु "Happy art service solan" को किया गया भुगतान	113280/-
45 / 11/18	GST return भरने हेतु किया गया भुगतान	5500/-
48 / 11/18	श्री नितिन सिंह ठाकुर रानी ताल मंदिर, पुजारी के कमरे तथा चौकीदार के कमरे की मुरम्मत तथा रख रखाव हेतु एवं नई वस्तुओं की फिटिंग हेतु किया गया भुगतान	3658/-
49 / 11/18	अग्रवाल हार्डवेयर स्टोर को विभिन्न हार्ड वेयर को पाइप, टी, हुक, वाटर टैंक का क्रय एवं फिटिंग, सफेदी के समान आदि हेतु भुगतान	22191/- (5260+13806+3125) वाउचर का कुल व्यय 24939/- (5260+460+13806+7 61+3125+1527)
	कुल योग	₹512798/-

उपरोक्त अनियमितताएं ज्ञापन संख्या 14 दिनांक 31/12/2020, 17 दिनांक 04/01/2021 तथा 24 दिनांक 12/01/2021 द्वारा भी नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही अपेक्षित कार्रवाई उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया ।

13 नियमानुसार विहित औपचारिताएं पूर्ण किए बिना ₹2.86 लाख की वस्तुओं का क्रय करना

व्यय वाउचर संख्या 17 दिनांक 02/11/18 ₹286100 का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(क) नगर परिषद द्वारा Bulbs, chock आदि विभिन्न वस्तुओं का क्रय Guru Nanak Electricals, Sector 1, परवाणु से किया था जिनके क्रय हेतु नगर परिषद के पत्र संख्या 1647 दिनांक 13/06/18 द्वारा अवतरनें दिनांक 23/6/18 तक आमंत्रित की गई थी । स्पष्टतया बाकी की क्रय प्रक्रिया दिनांक 23/06/18 के बाद पूर्ण होनी थी परंतु वाउचर के साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आपूर्ति आदेश (supply order) निविदा आमन्त्रित करने की तिथि से पूर्व ही दिनांक 30/5/18 को जारी कर दिया गया तथा विक्रेता द्वारा दिनांक 15/6/18 तथा 27/6/18 को समान की आपूर्ति भी कर दी गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या एवं दिनांक	राशि (₹)
1	Bill no. 000265 dated 15/6/18	14156/-
2	Bill no. 000266 dated 15/6/18	16729/-
3	Bill no. 000267 dated 15/6/18	13646/-
4	Bill no. 000269 dated 15/6/18	11659/-
5	Bill no. 000270 dated 15/6/18	8890/-
6	Bill no. 000271 dated 15/6/18	10502/-
7	Bill no. 000258 dated 15/6/18	43310/-
8	Bill no. 000259 dated 15/6/18	41568/-
9	Bill no. 000264 dated 15/6/18	44878/-

10	Bill no. 000294 dated 27/6/18	32602/-
11	Bill no. 000293 dated 27/6/18	48160/-
	कुल योग	₹286100/-

अतः प्रकरण की पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित किया जाए ।

(ख) नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या 1647 दिनांक 13/6/18 द्वारा निम्न वस्तुओं की आपूर्ति हेतु अवतरने आमंत्रित की गई थी जिसमें वस्तुओं की मात्रा कोई उल्लेख नहीं था :-

क्रम संख्या	विवरण
1	Providing and fixing 150 watt flood lights
2	Providing and fixing 2x2 surface lights 45 watt
3	LED bulb 9 watt
4	2.5 mm three core copper wire
5	Wall light (pen से बाद में लिखी गई प्रतीत होती है)

वर्णित आपूर्ति आदेशों के विरुद्ध वाउचर के साथ संलग्न बिलों के अनुसार विक्रेता द्वारा निम्न वस्तुओं की आपूर्ति की गई थी :-

बिल संख्या / दिनांक	क्रम संख्या	वस्तु	मात्रा	रेट (₹)	राशि (₹)
Bill no. 000265 dated	1	Bulb 250 watt	4	675	2700/-
	2	Chock 250	3	1170	3510/-

15/6/18= 14156/-		watt			
	3	Capacitor	4	153	612/-
	4	Ignitor	4	171	684/-
	5	16 mm wire	30 meter	48	1440/-
Bill no. 000266 dated 15/6/18= 16720/-	1	Bulb 250 watt	4	675	2700/-
	2	Chock 250 watt	5	1170	5850/-
	3	Capacitor	3	153	459/-
	4	Ignitor	2	171	342/-
	5	16 mm wire	37 meter	48	1776/-
Bill no. 000267 dated 15/6/18= 13646/-	1	Bulb 250 watt	6	675	4050/-
	2	Chock 250 watt	3	1170	3510/-
	3	Capacitor	4	153	612/-
	4	Ignitron	2	171	342/-
Bill no. 000269 dated 15/6/18= 11659/-	1	Bulb 250 watt	3	675	2025/-
	2	Chock 250 watt	3	1170	3510/-
	3	Capacitor	4	153	612/-
	4	Ignitor	4	171	684/-
Bill no. 000270	1	Bulb 250 watt	4	675	2700/-

dated 15/6/18= 8890/-	2	Chock 250 watt	1	1170	1100/-
	3	Ignitor	4	171	684/-
Bill no. 000271 dated 15/6/18= 10502/-	1	Chock 250 watt	3	1170	3510/-
	2	Bulb 250 watt	2	675	1350/-
	3	Ignitor	4	171	684/-
	4	Capacitor	2	153	306/-
Bill no. 000258 dated 15/6/18= 43310/-	1	Chock 400 watt	10	1170	17100/-
	2	Bulb 400 watt	18	675	12150/-
	3	Ignitor	11	171	1881/-
	4	Capacitor	9	153	1377/-
Bill no. 000259 dated 15/6/18= 41568/-	1	Chock 250 watt	13	1710	22230/-
	2	Bulb 250 watt	9	675	6075/-
	3	Ignitor	7	171	1197/-
	4	Capacitor	10	153	1530/-
Bill no. 000264 dated 15/6/18=	1	Chock 250 watt	16	1170	18720/-
	2	Bulb 250 watt	14	675	9450/-

44878/-	3	Ignitor	14	171	2394/-
	4	Capacitor	8	153	1224/-
	5	2.5 mm copper Wire single core	1 roll	2050	2050/-
Bill no. 000294 dated 27/6/18= 32602/-	1	Providing and fixing 2x2 surface light	4	5500	22000/-
	2	Wall light	6	650	3900/-
	3	Led bulb	6	280	1680/-
	4	2.5 mm copper wire 3 core	18	85	1530/-
Bill no. 000293 dated 27/6/18= 48160/-	1	Providing and fixing 150 watt flood lights	2	21500	43000/-

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा जिन वस्तुओं की आपूर्ति की गई थी उनमें से अधिकतम वस्तुएं पत्र दिनांक 13/06/18 में उल्लेखित वस्तुओं में शामिल नहीं थी जिस संदर्भ में कोई भी औचित्य नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित है । अतः इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से एक निविदा के आधार पर क्रय की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाना सुनिश्चित किया जाए I

(ग) Energy efficiency services limited (EESL) द्वारा नगर परिषद में street lights हेतु LED की आपूर्ति तथा रख रखाव कार्य की देख-रेख की जाती है जिसकी एवज में नगर परिषद EESL को ₹184140/- मासिक सेवा शुल्क (service charge) का भुगतान करती है। इसके बावजूद अलग से उपरोक्त तालिका में दर्शाये गए बिजली के सामान का क्रय करना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है जिस संदर्भ में नगर परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी अंकेक्षण को वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई I अतः यह सम्पूर्ण प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित छानबीन उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाने हेतु लाया जाता है I

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 24 दिनांक 12/01/2021 द्वारा भी नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

14 Energy efficiency services limited (EESL) को दिनांक 31/05/2019 को ₹1.55 लाख के व्यतिक्रम ब्याज (Default interest) के रूप में अतिरिक्त देनदारी देय होने के कारण वित्तीय हानि

नगर परिषद द्वारा दिनांक 31/05/2019 को Energy efficiency services limited (EESL) को ₹3062085/- का भुगतान शेष था जिसमे

₹155486/- (परिशिष्ट "ध") व्यतिक्रम ब्याज की राशि भी सम्मिलित थी | नगर परिषद द्वारा 02 / 2018 से 05/2019 तक EESL को मासिक देय राशि का भुगतान नहीं किया गया था जिसके कारण व्यतिक्रम ब्याज के रूप में नगर परिषद द्वारा ₹155486/- की अतिरिक्त देनदारी देय बनती है जिसे कम्पनी को देय राशि का समय पर भुगतान करके बचाया जा सकता था | नगर परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी इस अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण को वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई I अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹155486 के देय ब्याज का उतरदायित्व निर्धारित करके परिषद निधि की भरपाई सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 24 दिनांक 12/01/2021 द्वारा भी उपरोक्त अनियमितता नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ I

15 सक्षम प्राधिकारी का ₹4.65 लाख के भुगतान से सम्बन्धित अनुमोदन/स्वीकृतियां अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 170 में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी पद के सृजन एवं तदोपरान्त नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है | इसी प्रकार हि०प्र० सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्या Fin(C)-B(15)-8/2013, दिनांक 01/07/2017 में विहित निर्देशों के अनुसार सेवाएँ out source किए जाने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त की जानी भी अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान कई बार मौखिक व लिखित आग्रह (अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14 दिनांक 31/12/2020 तथा 17 दिनांक 04/01/2021) के पश्चात भी निम्न प्रकरणों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी की अपेक्षित स्वीकृति अवलोकन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत

नहीं की गई जिसके अभाव में ₹465298/- के भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका

I

क्रम संख्या	वाउचर संख्या / माह	राशि (₹)	टिप्पणी
1	27 / 09/17	346592/-	54 सफाई कर्मचारियों की माह 08/17 से संबन्धित wages का भुगतान
2	87 / 09/17	111001/-	Wages तथा दैनिक wages बढ़ने पर wages की बकाया राशि का भुगतान
3	51 / 09/17	1705/-	श्री रोजी कुमार (चालक) को wages का भुगतान
4	30 / 09/17	6000/-	श्री राम (माली) को मानदेय का भुगतान
कुल योग		₹465298/-	

अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब सक्षम प्राधिकारी की अपेक्षित

स्वीकृति आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए I

16 नगर परिषद के वाहनों में डलवाए गए डीजल के संदर्भ में किए गए भुगतान संबंधी अनियमितताएं

नगर परिषद के वाहनों में डलवाए गए डीजल के भुगतान से संबन्धित वाउचर्स की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) अंकेक्षण को अभिलेख प्रस्तुत न करना

(i) नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह (अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10 दिनांक 29/12/2020) के पश्चात भी वाहन संख्या HP-18-4981 की लॉग बुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में निम्न तालिका में दर्शाये गए वाउचरों के अन्तर्गत गाडी में भरे गए डीजल की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी I अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित लॉग बुक आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए I

वाउचर संख्या /	राशि (₹)	वाहन हेतु डलवाए गए डीजल का मूल्य (₹)
----------------	----------	--------------------------------------

माह		
44 / 09/17	23826/-	2000/-
58 / 09/17	24926/-	5026/- (2000+2526+500)
83 / 09/17	5500/-	5500/- (2500+3000)
104 / 09/17	24500/-	7000/- (2500 + 2000 + 2000+ 500)
41 / 11/18	139977/-	43186/- (3070 + 3073 + 3064 + 3087 + 3086 + 3077 + 3331 + 3318 + 3052 + 2702 + 3028+3110+3097+3091)
	कुल योग	₹62712/-

(ii) क्रय किए गए पेट्रोल ₹0.01 लाख की प्रविष्टि/उपयोग से संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह (अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 24 दिनांक 12/01/2021) के पश्चात भी निम्न तालिका में दर्शाये गए ₹1332 मूल्य के क्रय पेट्रोल की संबन्धित अभिलेख / लोग बुक में प्रविष्टि/गणना नहीं दर्शाई गई जिसके कारण व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

वाउचर संख्या / माह / राशि	बिल संख्या	मात्रा (लीटर)	राशि (₹)
36 / 11/18	6532	5	385.20
/ 71302/-	7027	2	158.14
	7179	5	396.25
	7267	5	392.05

		कुल योग	₹1331.64
--	--	---------	----------

(ख) डीजल क्रय करने हेतु ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना (वाउचर संख्या 65A माह 09/17 ₹7538/-)

वाहन संख्या संख्या HP-18-381 की लॉग बुक की पृष्ठ संख्या 183 पर 26 लीटर डीजल भरवाने की प्रविष्टि की गई थी सम्बन्धित परंतु बिल संख्या 3373 दिनांक 15/9/17 द्वारा ₹2500 मूल्य का 43.44 लीटर डीजल भरवाया/क्रय किया गया था | इस प्रकार 17.44 लीटर डीजल हेतु अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान ₹1004/- [2500 (43.44 × 57.54 प्रति लीटर) - 1496 (26 × 57.54 प्रति लीटर)] की वसूली उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध आपूर्ति कर्ता को ₹257/- का अधिक भुगतान करना (वाउचर संख्या 41 माह 11/18 ₹139977/-)

नगर परिषद द्वारा वाहन संख्या संख्या HP-18-4981 हेतु बिल संख्या 6638 द्वारा 45 लीटर डीजल एवं 1 लीटर oil का क्रय ₹3331/- में किया गया था परन्तु वाउचर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान पारित आदेश ₹3331/- के स्थान पर ₹3074 था जबकि भुगतान ₹3331/- का किया गया था जोकि अनियमित है जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹257/- की वसूली उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

17 नगर परिषद के वाहनों की मरम्मत संबंधी अनियमितताएं

नियमानुसार प्रत्येक वाहन की सर्विस तथा टायर्स (tyres) का बदलाव वाहन द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने के पश्चात करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही

थी क्योंकि व्यय वाउचरों के साथ न तो मुरम्मत/सर्विस से संबन्धित आकलन संलग्न थे तथा न ही वाहन की सर्विस कितनी दूरी तय करने के पश्चात करवाई गई थी इससे संबन्धित कोई विवरण दर्ज था और न ही वाहनों की मुरम्मत/सर्विस लॉग बुक का रख-रखाव किया गया था जिसके अभाव में व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका । नगर परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए कृत व्यय की सत्यापना सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से करवाकर , अपेक्षित अभिलेख सहित सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाना सुनिश्चित किया जाये :-

वाउचर संख्या / माह	भुगतान राशि (₹)	विवरण
61 / 09/17	11611/-	वाहन संख्या HP-18-4781 की मुरम्मत हेतु
75 / 09/17	22539/-	वाहन संख्या HP-18-0381 की मुरम्मत हेतु
76 / 09/17	19272/-	वाहन संख्या HP-71-1736 की मुरम्मत हेतु
99 / 09/17	27802/-	वाहन संख्या HP-14-0387 की मुरम्मत एवं tyres हेतु
43 / 11/2018	10381/-	वाहन संख्या HP -18-4981 की मुरम्मत हेतु

18 समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों पर ₹0.47 लाख का अनियमित व्यय करना

नगर परिषद द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरण के अनुसार विज्ञापन छपवाने पर ₹46508/- का व्यय किया था परन्तु परिषद द्वारा इन विज्ञापनों को छपवाने से पूर्व न तो नियमानुसार विज्ञापन लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से DAVP (Directorate of Advertising & Visual Publicity) दरों पर भी छपवाए गए थे और न ही अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है । इसके अतिरिक्त अखबार की प्रति जिसमें विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, भी संबन्धित वाउचर (संख्या 47

माह 11/2018, ₹25952/-) के साथ संलग्न नहीं थी | नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित (अंकेक्षण ज्ञापना संख्या 17 दिनांक 04/01/2021 तथा 24 दिनांक 12/01/2021) आग्रह के पश्चात भी इस बारे में कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया | अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए ₹46508/- के व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त उपरोक्त अखबार की प्रति भी आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए :-

वाउचर संख्या / माह	विवरण	भुगतान राशि (₹)
63 / 09/17	अमर उजाला में tender का विज्ञापन	8766/- (5684+3082)
68 / 09/17	Himachal Prkashan Pvt. Ltd., पार्किंग हेतु विज्ञापन	5262/-
18 / 11/ 2018 (वाउचर नस्ति के अनुसार)	पंजाब केसरी दुकानों की नीलामी हेतु विज्ञापन	6528/-
47 / 11/2018 (वाउचर नस्ति के अनुसार)	विज्ञापन हेतु 1	25952
	कुल योग	₹46508/-

19 भुगतानों की वास्तविक प्राप्ति रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार किए गए भुगतानों की संबन्धित व्यक्ति/फर्मों से वास्तविक पावती (receipt) रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका I अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए :-

माह	वाउचर संख्या	राशि (₹)	विवरण
-----	--------------	----------	-------

09/17	61	11611/-	वहाँ संख्या HP-18-4781 की मुरम्मत
	62	12265/-	भूसे का क्रय
	63	8766/- (5684+3082)	विज्ञापन हेतु भुगतान
	65	17500/- (25 x 700/-)	Water tanker द्वारा पानी की आपूर्ति
	68	5262/-	विज्ञापन
	69	14898/-	Tiles के क्रय हेतु भुगतान
	70	14949/-	T oilet seat, jet, bib cock आदि हेतु भुगतान
	73	272061.75	Cement के क्रय हेतु अग्रिम राशि का भुगतान
	75	22539/-	वाहन संख्या HP-18-0381 की मुरम्मत हेतु भुगतान
	76	19272/-	वाहन संख्या HP-71-1736 की मुरम्मत हेतु भुगतान
	79	6000/-	मेले के दौरान lighting हेतु भुगतान
	84	2811/-	HPSEB, sub div nahan को security के रूप में भुगतान
	99	27802/-	वाहन संख्या HP-14-0387 की मुरम्मत हेतु भुगतान
	102	115000/-	टीन शेड एवं स्टोर के निर्माण हेतु भुगतान
	28	7000/-	विज्ञापन हेतु भुगतान
97	20000/-	HPSEB, sub div nahan को security के रूप में भुगतान	

20 आपूर्तिकर्ता को ₹0.02 लाख अग्रिम का अधिक भुगतान करना

वाउचर संख्या 50, 09/17 ₹123562/- का उपलब्ध सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिसका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(i) नगर परिषद द्वारा बिजली के सामान की आपूर्ति हेतु यह राशि विक्रेता द्वारा प्रस्तुत performa bill ₹164702/- का 75% ₹123562/- अग्रिम राशि जारी की गई थी परन्तु प्रस्तुत performa bill के अनुसार कुल देय राशि ₹161727/- बनती थी जिसका 75% ₹121295/- ही अग्रिम प्रदान करना अपेक्षित था । इस प्रकार विक्रेता को ₹2267/- (123562- 121295) अग्रिम के रूप में अधिक प्रदान किए गए थे परन्तु नगर परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी इस अनियमितता के संदर्भ में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹2267/- का समायोजन/ वसूली आपूर्तिकर्ता को भविष्य में देय शेष राशि या सम्बन्धित उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ;

(ii) अग्रिम समायोजन लेखा अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

नगर परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी उक्त अग्रिम का समायोजन लेखा संबन्धित अभिलेख सहित अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित है । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए संबन्धित अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

(iii) बिजली सामान के क्रय व खपत की प्रविष्टियाँ स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में न दर्शाना

अंकेक्षण के दौरान परिषद द्वारा क्रय किए गए बिजली के सामान की संबन्धित स्टोर/स्टॉक पंजिका में प्रविष्टियाँ तथा खपत का रजिस्टर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में क्रय सामान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु

स्थिति स्पष्ट करते हुए संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये ।

अंकेक्षण द्वारा उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14 दिनांक 31/12/20 द्वारा भी नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(क) पेंशनधारकों को महंगाई राहत ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान करना

(वाउचर संख्या 43 माह 09/2017, ₹174417/-)

नगर परिषद द्वारा पेंशन धारकों को दिनांक 01/07/2016 से महंगाई राहत की बकाया राशि ₹174417 का भुगतान किया गया था परन्तु गणना के उपरांत पाया गया कि कुल देय भुगतान ₹174417/- के स्थान पर ₹170433.60 ही बनता था । इस प्रकार पेंशन धारकों को ₹3983.40/- (174417-170433.60) का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है । परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी इस संदर्भ में अंकेक्षण को वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई । अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹3983/- की वसूली उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

(ख) सम्बन्धित विभाग में वस्तु एवं सेवाकर ₹0.03 लाख अधिक जमा करना

(वाउचर संख्या 57 माह 09/2017, ₹91756/-)

नगर परिषद द्वारा ₹91756/- का भुगतान GST के रूप में संबन्धित विभाग को किया था जोकि वास्तविकता में ₹88772/- (₹493178 का 18%) करवाया जाना अपेक्षित था। परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी इस बारे में वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹2984/-

(91756-88772) का समायोजन/ वसूली भविष्य में देय राशि से या उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

21 संविदाकार को ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान करना

नगर परिषद द्वारा माप पुस्तिका में दर्ज निष्पादित निर्माण कार्य की record entries में गणना की त्रुटि के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹5960/- का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है :-

निर्माण कार्य का शीर्ष / संविदाकार का नाम / वाउचर संख्या / माह	वास्तविक भुगतान	देय भुगतान	अधिक भुगतान (₹)
Co toilet block near Gurdwara, Ward no. 12. / Sh. Sukhvinder Singh / 34 / 9361 (83 to 87)	₹18270/- (item no. 6) tor steel in rcc work (Qty not mentioned for payement)	Rs.12740/- (182 kg x70 per kg), (item no. 6) tor steel in rcc work	5530/-
Clearance / cutting of bushes / jungles, removal of slips and supply of loader cum excavator / Sh. Parteek Mohmmad 9362 (67 to 69)	₹53794/- (62.45 hrs x 730+18%) (मद संख्या 2 supply of JCB machine.)	Rs. 53364/- (61.95 hrs x 730+18%) (मद संख्या 2 supply of JCB machine)	430/-
		कुल योग	₹5960/-

नगर परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी इस संदर्भ में अंकेक्षण को वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹5960/- की वसूली सम्बन्धित उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये :-

22 वीप होल्स की कटौती किए बिना ही कार्य मद PL CC 1:5:10 हेतु संविदाकार को ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण में पाया गया कि कार्य मद संख्या 3, pl cc 1:5:10, retaining / breast wall) की निष्पादित कार्य मात्रा मे से वीप होल्स हेतु प्रयोग 100mm पी.वी.सी .पाईप के आयतन के बराबर कार्य मात्रा की कटौती न करके क्योंकि वीप होल्स लगाने के स्थान पर CC संविदाकारों को निम्न विवरणानुसार CC 1:5:10 हेतु ₹920/- का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है जिसे या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

वाउचर संख्या / माह	निर्माण कार्य / संविदाकार का नाम	Weep holes की मात्रा ।	Weephole की घनमीटर में मात्रा जिस की CC 1:5:10 मद हेतु भुगतान से पूर्व कटौती की जानी अपेक्षित थी ।	CC 1:5:10 का रेट	अधिक भुगतान (₹)
82/09/17	Repair of kalisthan tank in ward no. 6 / Sh. Sukhvinder singh	40.80 मीटर [(68 No. x 0.60 मीटर (दीवार की औसत चौड़ाई)] [0.60 मीटर 0.80 (दीवार की तल में	0.320 घन मी. [22/7x0.05x0.05x40.80 मीटर]	2870/- प्रति घन मीटर	920/-

		चोड़ाई) +.40 (दीवार की शिखर पर चौड़ाई)]/2			
--	--	--	--	--	--

23 संविदाकार को गलत दर से भुगतान करने के कारण ₹457/- का अधिक भुगतान करना

नगर परिषद द्वारा गलत दर से भुगतान करने के कारण संविदाकार को निम्न विवरण के अनुसार ₹457/- का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है । कई बार आग्रह के पश्चात भी परिषद द्वारा इस संदर्भ में अंकेक्षण को वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई । अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹457/- की वसूली उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

निर्माण कार्य का नाम / वाउचर संख्या / माह	वास्तविक भुगतान	देय भुगतान	अधिक भुगतान (₹)
C/o of pacca rasta from school upto house of Sh. Omkar / 33(b) / 09/17	PL cc 1:6:12= 4.57 cubm x ₹2900 प्रति cubm = ₹13253/-	PL cc 1:6:12= 4.57 cubm x ₹2800 प्रति cubm = ₹12796/-	457/-

24 संविदाकारों से जल प्रभार की वसूली न करना

आवंटन पत्र की शर्त संख्या: 5 के अनुसार बिजली व पानी की परिषद द्वारा संविदाकार को आपूर्ति करने की एवज में 1½% की दर से शुल्क की वसूली की जायेगी परन्तु निर्माण कार्यो बिलों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार न तो

संविदाकारों के बिलों में से water charges की कटौती की गई थी तथा न ही इस संदर्भ में संबन्धित माप पुस्तिकाओं में उल्लेख/सत्यापन किया गया कि संविदाकारों द्वारा निर्माण कार्य हेतु पानी की व्यवस्था अपने स्तर पर की गई थी । अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस संदर्भ में देय राशि की संस्था स्तर पर गणना करके उपयुक्त स्रोत से वसूली करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

वाउचर संख्या / माह	निर्माण कार्य का शीर्ष / संविदाकार का नाम	मद जिन में के निष्पादन हेतु पानी का प्रयोग हुआ
32 / 09/17	C/O of path from house of Sh. Ramesh Saini towards house of Sh. Roshan Lal ward no. 12 ./ Sh. Manoj Kumar	Second and final bill / 1.PL cc 1:6:12= 23.30 cubm x1800= 41940/- 2. PL 1:2:4= 77.65 cubm x3675= 285364/-
33 (a) / 09/17	C/o of path near the house of Sh. Shiv Raj / Sh. Anil Kumar	First and final bill / 1. PL cc 1:6:12= 13.70x2800= 38360/- 2. PL 1:2:4= 13.70 cubm x 5100= 69870/-
33(b) / 09/17	C/o of pacca rasta from school upto house of Sh. Omkar / Sh. Anil Kumar	First and final bill / 1. PL cc 1:6:12= 4.57 cubm x 2900= 13253/- 2 Pl cc 1:2:4 = 30.45 cubm x 5200= 158340/- 3. PL rcc 1:2:4 of stone

		aggragate 20 mm size = 0.60 cubm x 4814.45= 2889/-
34 of 09/17	C/o path/ steps from rosen factory up to ward no. 2 / Sh. Rakesh choudhary	First and final bill / 1) Brick work in 1:6= 3.94 cubm x 5400= 21276/- 2)15mm thick cement plaster 1:6 =16.71 square m x 130= 2172/- .3) PL cc 1:6:12= 31.03 cubm x 3100= 96193/- 4). PL cc 1:2:4 = 29.34 x 5100= 149634/-
35 / 09/17	Renovation of MC building / Sh. Rakesh Chaudhary	First and final bill 1) pl cc 1:4:8= 0.110 cubm x 3400= 374/- 2) pl 1:2:4 = 2.01 cubm x 5500=11055/- 3) 15 mm cement plater 1:6 = 54.55 sqm x 150= 8183/- 4) 15 mm cement plaster 1:6 = 54.54 sqm x 140= 7636/- 5) Brick masonry (1:5) = 3.28 cubm x 4040= 13251/-
49 / 09/17	Repair of	1) laying of tiles in

	residential quarter in MC colony / Sh. Nitish Kumar	flooring, steps etc in 1:3.=9.22 sqm x 195= 1797.90/- 2) laying of tiles in skirting riser in 1:3= 20.85 sqm x 195= 4065.75/-
55 / 09/17	PL brick masonry PCC 1:3:6 etc. at yaswant chowk / Sh. Sukhvinder Singh	1) Pl cc 1:3:6= 10.87 cubm x 2585.15= 28101/- 2) Brick work in 1:5 =3.11 cubm x 2802.90 = 8717/- 3) Raised cut painting with cement mortar 1:4 = 8.46 sqm x 47.20= 408/- 4) 15 mm thick cement plaster in single coat (1:6)= 39.85 sqm x 78.90= 3144/-
74/09/17	C/o path and drain near h/o sh. Rajesh ward no. 11 / MS Tanu shri traders	Ist and final bill 1) p/l cc 1:4:8= 1.51 cubm x 3200= 4832/- 2) pl cc 1:2:4= 6.21 cubm x 5200= 32292/-
82/ 09/17	Repair of kalisthan tank in ward no. 6 / Sh. Sukhvinder	1) Pl cc 1:5:10 = 177.25cubm x 2870= 508708/- 2) 20cm thick stone flooring in 1:5 =

	singh	120.05 sqm x 500= 60025/- 3) pl cc 1:2:4= 15.36 cubm x 4510.80= 69286/-
105 of 09/17	Co rain shelter adjoining to toilet block at Ranital / Sh. Rijwan Ahmed	1) PL1:4:8=4.15 cubm x 3200 = 13280/- 2) brick work in 1:5= 8.30 cubm x 5300= 43990/- 3) brick work in 1:5= 3.28 cubm x 5400= 17712/- 4) 15mm cement plaster in 1:5= 42.73 cubm x 200= 8546/- 5) (EI) kota stone 49.25 x 1356.61= 66474/-
16 / 11/18	PF glazed tiles and repair of works at Ranital ward no. 9. / Sh. Mahesh Thakur	Repair of patches plaster 10 to 15 mm thick = 26.89 sqm x 210= 5640.60/-
20 / 11/18	CO drain near the house Sh. Niranjan towards purbia ka bag, ward no. 1 / Sh. Vishal Kumar	1) PL cc 1:4:8= 1.62 cubm x 3500/--= 75670/- 2) Laying of cement pipe of 300 mm dia in cement mortar 1:2= 36 rmt x2000/- = 72000/- 3) C/o brick masonry chamber in cement mortar 1:5 = 2 no. x 4500/--

		9000/-
27 / 11/18	Co of park near pacca tank, in nahan town ward no. 7 / Sh. Manoj Kumar	1. Pl cc 1:5:10= 2.70 cubm x1975= 5332/- 2. Square Rubble masonry in cement mortar (1:6)= 27.75 cubm x 2375/-= 65906/-
30 / 11/18	Repair of mc drainage and ground near Ramkundi in Ward no. 1 / Sh. Satish Ratra	1. PL cc 1:4:8= 4.68 cubm x2500= 11700/- 2. PL cc 1:3:6 = 23.69 cubm x 2750/-= 65148/-
34 / 11/18	Co toilet block near Gurdwara, Ward no. - 12. / Sh. Sukhvinder Singh	1. PL cc 1:6:12= 1.47 cubm x 2800/-= 4116/- 2. Brick work in foundation and plinth in 2 nd class in cement mortar (1:5)= 5.34 cubm x 5300/-= 28302/- 3. Brick work in super structure in cement mortar (1:5)= 8.39 cubm x 5400/-= 45306/- 4. pl cc 1:2:4= 1.49 cubm x 5200/-= 7748/-
35 / 11/18	Co pucca path in Mohalla Kumhar	1. pl cc 1:6:12= 23.61 cubm x 1851.50/- =

	galli, ward no. 1 / Sh. Ashok kumar	43714/- 2. pl cc 1:2:4= 20.06 cubm x 3700/-= 74222/-
--	--	--

25 संविदाकार के निर्माण कार्य बिलों से नियमानुसार Royalty की कटौती न करना

निर्माण कार्य स्थल पर उपयोग निर्माण सामग्री रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि पर नियमानुसार royalty की कटौती की जानी अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों में उपयोग रेत, बजरी हेतु न तो अंकेक्षण को संविदाकार द्वारा प्रस्तुत फार्म 'एम' उपलब्ध करवाया गया तथा न ही निर्माण कार्य बिलों के भुगतान से पूर्व royalty की कटौती नहीं की गई थी जोकि अनियमित है :-

निर्माण कार्य का शीर्ष / संविदाकार का नाम	वाउचर संख्या / माह	विवरण
C/O of path from house of Sh. Ramesh Saini towards house of Sh. Roshan Lal ward no. 12 ./ Sh. Manoj Kumar	32 / 09/17	Second and final bill / 1.PL cc 1:6:12= 23.30 cubm 2. PL 1:2:4= 77.65 cubm
C/o of path near the house of Sh. Shiv Raj / Sh. Anil Kumar	33 (a) / 09/17	First and final bill / 1.PL cc 1:6:12= 13.70 cubm 2. PL 1:2:4= 13.70 cubm
C/o of pacca rasta from	33(b) /	First and final

<p>school upto house of Sh. Omkar / Sh. Anil Kumar</p>	<p>09/17</p>	<p>bill / 1.PL cc 1:6:12= 4.57 cubm 2 Pl cc 1:2:4 = 30.45 cubm 3. PL rcc 1:2:4 of stone aggragate 20 mm size = 0.60 cubm</p>
<p>C/o path/ steps from rosen factory up to ward no. 2 / Sh. Rakesh choudhary</p>	<p>34 of 09/17</p>	<p>First and final bill / Brick work in 1)1:6= 3.94 cubm 2)15mm thick cement plaster 1:6 =16.71 square m .3)PL cc 1:6:12= 31.03 cubm 4). PL cc 1:2:4 = 29.34</p>
<p>Renovation of MC building / Sh. Rakesh Chaudhary</p>	<p>35 / 09/17</p>	<p>First and final bill 1) pl cc 1:4:8= 0.110 cubm 2) pl 1:2:4 = 2.01 cubm</p>

		<p>3) 15 mm cement plaster 1:6 =</p> <p>4) 15 mm cement plaster 1:6 = 54.54 square m</p> <p>5) Brick masonry (1:5) = 3.28 cubm</p>
<p>Repair of residential quarter in MC colony / Sh. Nitish Kumar</p>	49 / 09/17	<p>First and final bill</p> <p>1) laying of tiles in flooring, steps etc.=9.22 sqm</p> <p>2) laying of tiles in skirting riser 1:3= 20.85 sqm</p>
<p>PL brick masonry PCC 1:3:6 etc. at yaswant chowk / Sh. Sukhvinder Singh</p>	55 / 09/17	<p>First and final bill</p> <p>1) Pl cc 1:3:6= 10.87 cubm</p> <p>2) Brick work in 1:5 =3.11 cubm</p> <p>3) Raised cut painting with cement mortar 1:4</p>

		= 8.46 sqm 4) 15 mm thick cement plaster in single coat (1:6)= 39.85 sqm .
C/o path and drain near h/o sh. Rajesh ward no. 11 / MS Tanu shri traders	74 / 09/17	Ist and final bill 1) p/l cc 1:4:8= 1.51 cubm 2) pl cc 1:2:4= 6.21 cubm
Repair of kalisthan tank in ward no. 6 / Sh. Sukhvinder singh	82/ 09/17	2 nd and final bill 1)Pl cc 1:5:10 = 177.25cubm 2) 20cm thick stone flooring in 1:5 = 120.05 sqm 3) pl cc 1:2:4= 15.36 cubm
Co rain shelter adjoining to toilet block at Ranital / Sh. Rijwan Ahmed	105 of 09/17	First and final bill 1) stone filling 4.78 cubm 2) pl1:4:8=4.15 cubm x 3.40 = 14.11 bags

		<p>3) brick work in 1:5= 11.58 (8.30+3.28) cubm</p> <p>4) 15mm cement plaster in 1:5= 42.73 cubm x .11= 4.70</p> <p>5) kota stone 49.25x.222= 12.90 bags</p>
PF glazed tiles and repair of works at Ran ital ward no. 9. / Sh. Mahesh Thakur	16 / 11/18	Repair of patches plaster 10 to 15 mm thick = 26.89 sqm
CO drain near the house Sh. Niranjana towards purbia ka bag, ward no. 1 / Sh. Vishal Kumar	20 / 11/18	<p>1) PL cc 1:4:8= 1.62 cubm</p> <p>2) Laying of cement pipe of 300 mm dia in cement mortar 1:2= 36 rmt</p> <p>3) C/o brick masonry chamber in cement mortar 1:5 = 2 no.</p>
Co of park near pacca tank, in nahan town ward	27 / 11/18	<p>1. Pl cc 1:5:10= 2.70 cubm</p>

no. 7 / Sh. Manoj Kumar		2. Square Rubble masonry in cement mortar (1:6)= 27.75 cubm
Repair of mc drainage and ground near Ramkundi in Ward no. 1 / Sh. Satish Ratra	30 / 11/18	1. PL cc 1:4:8= 4.68 cubm - 2. PL cc 1:3:6 = 23.69 cubm
Co toilet block near Gurdwara, Ward no. -12. / Sh. Sukhvinder Singh	34 / 11/18	1. PL cc 1:6:12= 1.47 cubm 2. Brick work in foundation and plinth in 2 nd class in cement mortar (1:5)= 5.34 cubm 3. Brick work in super structure in cement mortar (1:5)= 8.39 cubm 4. pl cc 1:2:4= 1.49 cubm
Co pucca path in Mohalla Kumhar galli, ward no. 1 / Sh. Ashok kumar	35 / 11/18	1. pl cc 1:6:12= 23.61 cubm 2. pl cc 1:2:4= 20.06 cubm

इसके अतिरिक्त वर्णित प्रकरण केवल चयनित मासों से संबन्धित है वित्त वर्ष के अन्य मासों में भी इस प्रकार की अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है । अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में देय राशि की संस्था स्तर पर गणना करके उचित स्रोत से वसूली व तदोपरान्त राशि को सम्बन्धित विभाग जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

26 निर्माण कार्य सामग्री जारी करने से संबन्धित इंडेंट्स (Indents) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

नगर परिषद द्वारा संविदाकारों को निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु जारी सीमेंट के Indents कई बार आग्रह के पश्चात भी अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण निर्माण कार्यों बिलों एवं स्टॉक/स्टोर का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका:-

वाउचर संख्या / माह	निर्माण कार्य का शीर्ष / संविदाकार का नाम	जारी किए गए सीमेंट बेगस
32 / 09/17	C/O of path from house of Sh. Ramesh Saini towards house of Sh. Roshan Lal ward no. 12 ./ Sh. Manoj Kumar	325@295/- = 95875/-
33 / 09/17	C/o of path near the house of Sh. Shiv Raj / Sh. Anil Kumar	75@295/- = 22125/- bags
33 / 09/17	C/o of pacca rasta from school upto house of Sh. Omkar / Sh. Anil Kumar	122@295/- = 35990/- steel 10mm= 18.24 kg, 8mm = 11.70 kg total= 29.94 kg

55 / 09/17	PL brick masonry PCC 1:3:6 at yaswant chowk / Sh. Sukhvinder Singh	60@295/- = 17700/-
16 / 11/18	PF glazed tiles and repair of works at Ran ital ward no. 9. / Sh. Mahesh Thakur	25 bags @295/ per bag = 7375/-

इसके अतिरिक्त कई प्रकरणों में माप पुस्तिकाओं में इंडेंट संख्या व दिनांक निष्पादन हेतु सीमेंट जारी किया था उन इंडेंट संख्याओं का उल्लेख भी नहीं किया गया था जिसके अभाव में निर्माण कार्य हेतु जारी सीमेंट की सत्यापना भी अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाये तथा भविष्य में माप पुस्तिकाओं में इंडेंट संख्या व दिनांक का उल्लेख करना भी सुनिश्चित किया जाए ।

27 सीमेंट की सत्यापित खपत विवरणी तथा संविदाकार द्वारा सीमेंट क्रय के बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न निर्माण कार्यों में उपयोग सीमेंट की सत्यापित खपत विवरणी व संविदाकार द्वारा क्रय सीमेंट के बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए जिसके अभाव में भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका :-

वाउचर संख्या (नस्ति के अनुसार) / दिनांक	निर्माण कार्य का नाम / संविदाकार का नाम	कार्य मदों का विवरण जिनमें सीमेंट का उपयोग हुआ
20 / 11/18	CO drain near the house Sh. Niranjana	1) PL cc 1:4:8= 1.62 cubm x 3500/-= 75670/-

	towards purbia ka bag, ward no. 1 / Sh. Vishal Kumar	2) laying of cement pipe of 300 mm dia in cement mortar 1:2= 36 rmt x2000/- = 72000/- 3) c/o brick masonry chamber in cement mortar 1:5 = 2 no. x 4500/-= 9000/-
35 / 11/18	Co pucca path in Mohalla Kumhar galli, ward no. 1 / Sh. Ashok kumar	1. pl cc 1:6:12= 23.61 cubm x 1851.50/- = 43714/- 2. pl cc 1:2:4= 20.06 cubm x 3700/-= 74222/-

अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

28 निर्माण कार्यों से संबन्धित नस्तियाँ अभिलेख/अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

नगर परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी निम्न निर्माण कार्यों से संबन्धित नस्तियाँ (files) /अभिलेख अंकेक्षण को अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण निर्माण कार्य बिलों का पूर्ण अंकेक्षण (संबन्धित माप पुस्तिका में विभिन्न मदों के रेटस का सत्यापन, निर्माण कार्य हेतु आबंटित राशि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित प्राकलन संबंधी पड़ताल आदि) संभव न हो सका । इस संदर्भ में नगर परिषद के पत्र संख्या SI.MCN/2021-132 दिनांक 22/01/2021 द्वारा अवगत करवाया गया कि परिषद कार्यालय को नए भवन में स्थानांतरित किया गया था जिसके कारण अभिलेख नए स्टोर रूम में मिल नहीं रहा है । अतः अपेक्षित अभिलेख अब आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

वाउचर संख्या / माह	निर्माण कार्य का शीर्ष / संविदाकार का नाम
32 / 09/17	C/O of path from house of Sh. Ramesh Saini towards house of Sh. Roshan Lal ward no. 12 ./ name of contractor
33 / 09/17	C/o of path near the house of Sh. Shiv Raj / Sh. Anil Kumar
35 / 09/17	Renovation of MC building / Sh. Rakesh Chaudhary
52 / 09/17	Repair of IDSMT complex at Delhi gate / Sh. Sanjeev Sharma
55 / 09/17	PL brick masonry PCC 1:3:6 etc. at yaswant chowk / Sh. Sukhvinder Singh
74/09/17	C/o path and drain near h/o sh. Rajesh ward no. 11 / MS Tanu shri traders
82/ 09/17	Repair of kalisthan tank in ward no. 6 / Sh. Sukhvinder singh
89 / 09/17	file Renovation of kali sthan talab / Sh. Sukhvinder singh
92/ 09/17	Repair and maintenance of mc rest house / Sh. Sukhvinder singh
105 / 09/17	Co rain shelter adjoining to toilet block at Ranital / Sh. Rijwan Ahmed
19 / 11/18	Fixing of motor water tank and refixing of water supply and sanitary fitting, EO residence / Sh. Nitish Tomar
20 / 11/18	CO drain near the house Sh. Niranjana towards purbia ka bag, ward no. 1 / Sh. Vishal Kumar
21 / 11/18	Digging of holes for plantation in Nahan town / MS Tanu shree traders, ranital
25 / 11/18	Digging of holes for plantation in Nahan town / Sh. Anil Kumar
26 / 11/18	Clearance / cutting of bushes / jungles, removal of slips and supply of

	loader cum excavator / Sh. Parteek Mohmmad
27 / 11/18	Co of park near pacca tank, in nahan town ward no. 7 / Sh. Manoj Kumar
28 / 11/18	Repair of children playing equipments at ranital garden / Sh. Nitin Singh Thakur
30 / 11/18	Repair of mc drainage and ground near Ramkundi in Ward no. 1 / Sh. Satish Ratra
35 / 11/18	Co pucca path in Mohalla Kumhar galli, ward no. 1 / Sh. Ashok kumar

29 नगर परिषद सभा द्वारा पारित प्रस्ताव अंकेक्षण को अवलोकन हेतु प्रस्तुत न करना

नगर परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी निम्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु नगर परिषद सभा द्वारा पारित प्रस्ताव अंकेक्षण के अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये :-

वाउचर संख्या / माह	निर्माण कार्य का शीर्ष	वाउचर संख्या / माह	निर्माण कार्य का शीर्ष
32 / 09/17	C/O of path from house of Sh. Ramesh Saini towards house of Sh. Roshan Lal ward no. 12 ./ Sh. Manoj Kumar	16 / 9368	PF glazed tiles and repair of works at Ranital ward no. 9. / Sh. Mahesh Thakur
33 (a) / 09/17	C/o of path near the house of Sh. Shiv Raj / Sh. Anil Kumar	19 / 11/18	Fixing of motor water tank and refixing of

			water supply and sanitary fitting, EO residence / Sh. Nitish Tomar
33(b) / 09/17	C/o of pacca rasta from school upto house of Sh. Omkar / Sh. Anil Kumar	20 /11/18	CO drain near the house Sh. Niranjan towards purbia ka bag, ward no. 1 / Sh. Vishal Kumar
34 of 09/17	C/o path/ steps from rosen factory up to ward no. 2 / Sh. Rakesh choudhary	21 / 11/18	Digging of holes for plantation in Nahan town / MS Tanu shree traders, ranital
35 / 09/17	Renovation of MC building / Sh. Rakesh Chaudhary	25 / 11/18	Digging of holes for plantation in Nahan town / Sh. Anil Kumar
49 / 09/17	Repair of residential quarter in MC colony / Sh. Nitish Kumar	26 /11/18	Clearance / cutting of bushes / jungles, removal of slips and supply of loader cum excavator /

			Sh. Parteek Mohammad
52 / 09/17	Repair of IDSMT complex at Delhi gate / Sh. Sanjeev Sharma	27 / 11/18	Co of park near pacca tank, in nahan town ward no. 7 / Sh. Manoj Kumar
55 / 09/17	PL brick masonry PCC 1:3:6 etc. at yaswant chowk / Sh. Sukhvinder Singh	28 / 11/18	Repair of children playing equipments at ranital garden / Sh. Nitin Singh Thakur
74 / 09/17	C/o path and drain near h/o sh. Rajesh ward no. 11 / MS Tanu shri traders	29 / 11/18	Providing 7 no. dustbin for mc Nahan / Sh. Vishal Gupta
82/ 09/17	Repair of kalisthan tank in ward no. 6 / Sh. Sukhvinder singh	30 / 11/18	Repair of mc drainage and ground near Ramkundi in Ward no. 1 / Sh. Satish Ratra
92/ 09/17	Repair and maintenance of mc rest house / Sh. Sukhvinder	34 / 11/18	Co toilet block near Gurdwara, Ward no. -12. / Sh. Sukhvinder

	singh		Singh
105of 09/17	Co rain shelter adjoining to toilet block at Ranital / Sh. Rijwan Ahmed	35 / 11/18	Co pucca path in Mohalla Kumhar galli, ward no. 1 / Sh. Ashok kumar
36 / 09/17	C/o path/ steps from rosen factory up to ward no. 2 / Sh. Ashok kumar	----- -----	----- ----- -----

30 अग्रिम राशि जारी एवं उनके समायोजन संबंधी अनियमितताएं

अंकेक्षण के दौरान अग्रिम राशियों / संबन्धित अभिलेख के रख रखाव संबंधी निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) संविदाकारों को अग्रिम राशियाँ CPWD works manual 2014 के सेक्शन (section) 32 में विहित दिशा निर्देशों के अनुसार secured अग्रिम के रूप में या निष्पादित कार्य (work done) के विरुद्ध प्रदान की जा सकती है परन्तु नगर परिषद द्वारा संविदाकारों को निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरण के अनुसार अस्थाई अग्रिम राशियाँ जारी की गई थी जोकि उक्त वर्णित नियमानुसार देय नहीं बनती थी I इसके अतिरिक्त इन अग्रिम राशियों के समायोजन से संबन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि एक गंभीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उपरोक्त जानकारी अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अपेक्षित सूचनाएं/अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

वाउचर संख्या / माह / राशि	कुल भुगतान राशि (₹)	संविदाकार का नाम	भुगतान अग्रिम राशि (₹)
---------------------------	---------------------	------------------	------------------------

31 / 11/18	155000/-	श्री माहीपत सोलंकी	70000/-
		श्री संजीव शर्मा	45000/-
		श्री ज्ञान सिंह चौहान	40000/-
32 / 11/18	850000	श्री राकेश चौधरी	500000/-
		श्री सुखविनदर सिंह	50000/-
		तनु श्री ट्रेवल	300000/-
55 / 11/18	375000/-	MS तनु श्री	300000/-
		श्री रफीक मुहम्मद	75000/-

(ख) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर व समायोजन हेतु लम्बित अग्रिमों का विवरण अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

कई बार अस्थाई अग्रिम पंजिका अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया परंतु न तो यह पंजिका प्रस्तुत की गई तथा न ही दिनांक 31/03/19 को असमायोजित अग्रिम राशियों के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करवाई गई । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब संबन्धित अभिलेख/सूचना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

(ग) संविदाकारों को प्रदत्त अग्रिम ₹46.95 के समायोजन सम्बन्धी सूचना/अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

नगर परिषद द्वारा यथा परिशिष्ट "न" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार संविदाकारों को ₹4695000/- अग्रिम के रूप में जारी किए गए थे परंतु कई बार आग्रह के पश्चात भी न तो अग्रिमों के समायोजन से संबन्धित जानकारी/अभिलेख (अग्रिम पंजिका)

अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई तथा न ही contractor ledger अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अग्रिम राशियों के समायोजन से संबन्धित अभिलेख का रख रखाव / updation ही न किया गया है । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित अभिलेख update करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या अंकेक्षण अधियाचना / ज्ञापन संख्या 69 दिनांक 28/01/2020, 19 दिनांक 04/01/2021, 24 दिनांक 12/01/2021 तथा 28 दिनांक 12/01/2021 द्वारा नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो को प्रति उत्तर प्रस्तुत किया गया तथा न ही कोई कार्रवाई अमल में लाई गई ।

31 निर्माण कार्यों बिलों से की गई वैधानिक कटौतियों (statutory deductions) की लेखों में गणना संबंधी अनियमितताएं

(i) प्रतिभूति रजिस्टर में ₹2.88 लाख की प्रतिभूति प्राप्ति की प्रविष्टि न दर्शाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संविदाकार को निर्माण कार्य बिलों से वैधानिक कटौतियों के उपरांत देय राशि का भुगतान करते समय निम्न विवरणानुसार प्रतिभूति राशियों का प्रतिभूति निधि को हस्तांतरण सम्बन्धी भुगतान भी रोकड़ बही में दर्शाया गया था परन्तु नगर परिषद द्वारा प्रतिभूतियों से संबन्धित वर्णित राशियों की प्रतिभूति निधि रजिस्टर/रोकड़ बही/बैंक खाते में हस्तांतरित/जमा राशि की प्रविष्टियाँ अंकेक्षण में सत्यापित नहीं करवाई गई जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए अब आगामी अंकेक्षण के दौरान अपेक्षित सत्यापना सम्बन्धित अभिलेख सहित करवाना सुनिश्चित किया जाए :-

माह	वाउचर संख्या वाउचर नस्ति के अनुसार	वाउचर संख्या रोकड़ बही के अनुसार	रोकड़ बही में दर्शाई गई भुगतान से सम्बन्धित राशि	चैक संख्या (₹)

09/17	32	32	25756/-	000204
	33	33	27954/-	046548
	34	34	30452/-	046553
	35	35	12188/-	969674
	55	55	9798/-	969699
	74	74	8126/-	046559
	82	82	38322/-	967725
	92	92	7620/-	969738
	105	105	31833/-	1544463
11/18	16	14	8420/-	चैक संख्या रोकड बही में उल्लेखित नहीं थी
	20	18	7945/-	यथोपरी
	21	19	10085/-	यथोपरी
	25	23	9385/-	यथोपरी
	28	26	4075/-	यथोपरी
	29	27	32627/-	यथोपरी
	30	28	5799/-	यथोपरी
	34	36	9204/-	यथोपरी
	35	37	8719/-	यथोपरी
		कुल योग	₹288308/-	

(ii) संविदाकारो के निर्माण कार्य बिलों से की गई वैधानिक कटौतियां ₹0.36 लाख को सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न विवरण अनुसार ₹35731 की वैधानिक कटौतियां विभिन्न निर्माण कार्य बिलों से की गई थी परन्तु परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात् भी सम्बन्धित विभागों में वर्णित कटौती राशियों की जमा करने सम्बन्धी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे एसा प्रतीत होता है कि कटौती राशिया सम्बन्धित विभागों में जमा ही नहीं की गई जोकि गंभीर अनियमितता है I अतः इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

माह	वाउचर संख्या वाउचर नस्ति के अनुसार	वाउचर संख्या रोकड बही के अनुसार	राशि (₹)
9/17	35	35	1219 (Labour cess)
	82	82	3832 (Labour cess)
	82	82	10000(EPF)
	92	92	762 (Labour cess)
	105	105	3651 (Labour cess)
11/18	16	14	842 (Labour cess)
	16	14	2526 (Sales tax)
	20	18	882 (Labour cess)
	21	19	1008 (Labour cess)
	25	23	939 (Labour cess)
	26	24	2394 (Labour cess)
	27	25	746 (Labour cess)
	28	26	408 (Labour cess)

29	27	3263 (Labour cess)
30	28	955 (Labour cess)
34	36	1095 (Labour cess)
35	37	1209 (Labour cess)
कुल योग		₹35731

32 आकलन तैयार एवं सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ही कार्यों का निष्पादन करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न निर्माण कार्यों को नियमानुसार आकलन तैयार व सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ही निष्पादित करवाया गया था जोकि अनियमित है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए अब वर्णित कार्यों पर किए गए भुगतान /व्यय का सत्यापन सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

वाउचर संख्या	राशि (₹)	विवरण
49 / 09/17	18858/-(8000+ 10858)	Seats, cisterns, wash basins आदि लगाने हेतु भुगतान
89 / 09/17	20000/-	तालाब में पुनः पानी भरने हेतु
101 / 09/17	14149/- (940+830+5400+897+9 46+3686+704+746)	नगर परिषद भवन के water fittings ,putty, brush pipes आदि हेतु भुगतान
102 / 09/17	115000/-	Tin shed and store and attached rain shelter at delhi gate हेतु भुगतान
48 / 11/2018 (वाउचर नस्ति के अनुसार)	3658/-	रानी ताल मंदिर, पुजारी के कमरे तथा चौकीदार के कमरे की मुरम्मत तथा रख रखाव हेतु भुगतान
49 / 11/18	24939/-	विभिन्न हार्ड वेयर की वस्तुओं हेतु भुगतान । पानी की फिटिंग से संबन्धित पाइप, टी, हुक

(वाउचर नस्ति के अनुसार)		आदि एवं सफेदी का सामान आदि
-------------------------	--	----------------------------

33 निर्माण कार्यों संबंधी विविध अनियमितताएं

(i) निर्माण कार्यों में हुए विचलन (Deviation) के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों में कुल ₹144760/- के विचलन के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन कई बार आग्रह के पश्चात भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य बिलों में विचलन को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ही संविदाकार को भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

निर्माण कार्य का शीर्ष / संविदाकार का नाम	वाउचर संख्या / माप पुस्तिका संख्या	निर्माण कार्य हेतु आबंटित राशि (क) (₹)	निर्माण कार्य पर वास्तविक व्यय (ख) (₹)	विचलन (ख-क) (₹)
C/o of pacca rasta from school upto house of Sh. Omkar / Sh. Anil Kumar	33(b) / 09/17 / 9364	98099	199331/	101232/-
PF glazed tiles and repair of works at Ran ital ward no. 9. / Sh. Mahesh Thakur Done	16 / 11/18 / 9368	127728	84200/-	43528/-
			कुल योग	₹144760/ -

(ii) निर्माण कार्य बिलों से नियमानुसार वैधानिक कटौतियाँ (statutory deductions) किए बिना ही संविदाकार को भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर पालिका द्वारा निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों बिलों से नियमानुसार पूर्व वैधानिक कटौतियाँ किए बिना ही संविदाकार को भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है तथा नगर परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी इस संदर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं की गई ।

निर्माण कार्य का शीर्ष	वाउचर संख्या (वाउचर नस्ति के अनुसार) / माप पुस्तिका संख्या / चलित बिल	कुल भुगतान (₹)	टिप्पणी
Clearance / cutting of bushes / jungles, removal of slips and supply of loader cum excavator / Sh. Parteek Mohmmad	26 / 11/18 9362 / दूसरा चलित बिल	239381/-	प्रतिभूति से संबन्धित राशि की कटौती नहीं की गई थी ।
C/o of park near pacca tank, in nahan town ward no. 7 / Sh. Manoj Kumar	27 / 11/18 9362 / प्रथम चलित बिल	74629/-	प्रतिभूति से संबन्धित राशि की कटौती नहीं की गई थी । माप पुस्तिका में दर्ज विवरण के अनुसार प्रतिभूति की राशि अग्रिम धन (earnest money) से संबन्धित राशि 12350/- में से समायोजित की गई थी परंतु प्राप्त की गई अग्रिम धन की प्रविष्टि संबन्धित प्रविष्टि अभिलेख में नहीं दर्शाई

			गई ।
Fixing of motor water tank and refixing of water supply and sanitary fitting, EO residence / Sh. Nitish Tomar	19 / 11/18 9353 / प्रथम एवं अंतिम बिल	9975/-	प्रतिभूति, आयकर, CGST, SGST, श्रम उपकार के संदर्भ में कटौती नहीं की गई थी
Repair of residential quarter in MC colony / Sh. Nitish Kumar	49 / 09/17 / 9363	18858 /- (8000 +10858)	प्रतिभूति, आयकर, CGST, SGST, श्रम उपकार के संदर्भ में कटौती नहीं की गई थी
Providing and finxing 7 no. dustbins" /	29 / 11/18 9362 / प्रथम एवं अंतिम बिल	385000/-	परिषद द्वारा संविदाकर को भुगतान से पूर्व GST से संबन्धित राशि की कटौती नहीं की थी । संविदाकर को किए गए भुगतान में GST से संबन्धित 58729/- र० राशि भी सम्मिलित थी । नगर परिषद को अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि संविदाकार द्वारा GST संबन्धित विभाग में जमा करवाया गया था या नहीं । नगर परिषद द्वारा इस संदर्भ में कोई औचित्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे या तो सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए अन्यथा सम्बन्धित दोषी के विरुद्ध नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(iii) निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर संविदाकार से अनुबन्ध की शर्तानुसार ₹0.07 लाख penalty की वसूली न करना

संविदाकारों द्वारा निर्धारित समय अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न किए जाने की स्थिति में आबंटन पत्र में विहित शर्त के अनुसार penalty वसूल की जानी अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि संविदाकार द्वारा निम्न निर्माण कार्य विलंब से पूर्ण किए गए थे परन्तु नगर परिषद द्वारा न तो समय में बढ़ौतरी प्रदान की गई थी और न ही आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार निम्नानुसार देय ₹7056/- penalty की वसूली ही की गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹7056/- की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

निर्माण कार्य का शीर्ष / संविदाकार का नाम	वाउचर संख्या / माह	आबंटन पत्र संख्या	निर्माण कार्य हेतु निर्धारित समय अवधि	निर्माण कार्य के आरंभ एवं पूर्ण करने की तिथि	देय penalty की राशि (₹)
C/o path/ steps from rosen factory up to ward no. 2 / Sh. Rakesh choudhary	34 / 09/17	पत्र संख्या JEMC.N/- 3074 दिनांक 28/11/16	दो माह	30/05/17 / 04/06/17	4101/-
C/o path/ steps from rosen factory up to ward no. 2 / Sh. Ashok kumar	36 / 09/17	पत्र संख्या JEMC.N/- 3075 दिनांक 28/11/16	दो माह	24/1/17 / 30/5/17 /	2955/-
				कुल योग	₹7056

(iv) स्टील का गलत conversion factor लगाये जाने के कारण संविदाकार को ₹198/- का अधिक भुगतान करना

माप पुस्तिका में tor steel की किलोग्राम में मात्रा की गणना करते समय गलत conversion factor लगाए जाने तथा गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹198 का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है । अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹198 की वसूली उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

निर्माण कार्य का शीर्ष / संविदाकार	वाउचर संख्या / माह / माप पुस्तिका संख्या	मद का शीर्ष / मद संख्या	वास्तविक भुगतान राशि (क)	देय भुगतान राशि (₹) (ख)	अधिक भुगतान राशि (₹) (क-ख)
Renovation of MC building / Sh. Rakesh Chaudhary	35 / 09/17 / 9360 (63 to 71)	Tor steel 5/5	16485/- (94.20 rmt x 2.50 (20mm) x 70/-)	16287/- (94.20 rmt x 2.47 (20mm) x 70/-)	198/-

(v) निर्माण कार्यों में सीमेंट खपत की सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विवरणी अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जारी किए गए सीमेंट की नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित विवरणी खपत अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में निम्न निर्माण कार्यों बिलों का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए :-

निर्माण कार्य का शीर्ष / संविदाकार	वाउचर संख्या / माह / माप पुस्तिका संख्या	बिल संख्या	निर्माण कार्य हेतु जारी किया गया सीमेंट व मूल्य
Co of park near pacca tank, in nahan town ward no. 7Sh. Manoj Kumar	27 / 11/18 9362	प्रथम चलित बिल	25 बैग bags @295 = ₹7375/-
Repair of mc drainage and ground near Ramkundi in Ward no. 1 / Sh. Satish Ratra	30 / 11/18 9362	प्रथम चलित बिल	25 बैग @295 = ₹7375/-
Co toilet block near Gurdwara, Ward no. -12Sh. Sukhvinder Singh	34 / 11/18 9361	प्रथम चलित बिल	55 बैग @295 = ₹16225/-
PF glazed tiles and repair of works at Ran ital ward no. 9. / Sh. Mahesh Thakur	16 / 11/18 9368	प्रथम एवं अंतिम बिल	25 बैग @295/ = ₹7375/-

- 34 निर्माण कार्यों से संबन्धित विस्तृत बिलों की पड़ताल संबंधी अनियमितताएँ
विस्तृत बिल "C/O sitting hall and library for senior
citizens at Ranital Garden of Nahan Town (Award letter no.
JEMCN - 1283, dated 21/4/2017, संविदाकार -M/S Tannu Shree, MB
No. 9359, 9367, 9360")

उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित बिलों का (पहले से तीसरा तथा अन्तिम) विस्तृत अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(i) गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चलत बिलों में संविदाकार को देय राशि के कुल योग की गणना में त्रुटि के कारण निम्न विवरणानुसार ₹6786/- का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹6786/- की वसूली उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

चालित बिल	माप पुस्तिका संख्या	पृष्ठ संख्या	वास्तविक भुगतान राशि (1) (₹)	देय भुगतान राशि (2) (₹)	अधिक भुगतान राशि (1-2) (₹)
दूसरा	9360	49	295082/-	294739/-	343/-
तीसरा	9367	90	30776/-	24333/-	6443/-
				योग	₹6786/-

(ii) माप पुस्तिका में निष्पादित कार्य प्रमात्रा गलत अग्रेषित करने के कारण संविदाकार को ₹0.15 लाख का अधिक भुगतान करना

माप पुस्तिकाओं में निर्माण कार्य की दर्ज record entries की पड़ताल के दौरान पाया गया कि गणना में त्रुटि एवं निष्पादित कार्य मद की गलत मात्रा अग्रेषित (carry forward) करने के कारण निम्न विवरणानुसार संविदाकार को ₹15192 का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए

अन्यथा ₹15192/- की वसूली उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

चलित बिल	माप पुस्तिका संख्या	पृष्ठ संख्या	मद का विवरण	माप पुस्तिका में ली गई गलत गणना / C/F की गई गलत मात्रा	वास्तविक मात्रा	अंतर	अधिक भुगतान राशि (₹)
तीसरा	9367	83	Providin g & fixing anodised aluminu m work (10/10)	88.23 kg	68.24 kg	19.99 kg (88.23- 68.24)	13593/- [19.99 kg x ₹680/-]
तीसरा	9367	89	PF 9mm thick insulati on board 23/ E-I	64.13 sqm	61.48 sqm	2.65 (64.13 61.48)	1599/- (2.65 sqm x ₹603.28 sqm)
						कुल योग	₹15192/-

(iii) निर्माण कार्य मद का गलत दर से भुगतान करने के कारण संविदाकार को ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना

माप पुस्तिका में कार्य मद का गलत दर से भुगतान करने के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार संविदाकार को ₹633/- का अधिक भुगतान किया गया था जोकि

अनियमित है जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹633/- की वसूली उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

माप पुस्तिका संख्या	शीर्ष / मद संख्या	वास्तविक भुगतान (1)	देय भुगतान किया जाना अपेक्षित था (2)	अधिक भुगतान राशि (1-2) (₹)
9367 / 84	PF glazing in aluminium doors, windows etc. / 11/11	14885/- (31.67 sqm x ₹470/-)	14252/- (31.67 sqm x ₹450/-)	633/-

(iv) संविदाकार के निर्माण कार्य बिलों से नियमानुसार Royalty की कटौती न करना

निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान उपयोग में लाई गई निर्माण सामग्री रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि पर नियमानुसार निर्माण कार्य बिलों से स्रोत पर रॉयल्टी की कटौती की जानी अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य के निष्पादन के दौरान उपयोग में रेत, बजरी, पत्थर हेतु न तो अंकेक्षण को संविदाकार द्वारा प्रस्तुत फार्म "एम" उपलब्ध करवाए गए तथा न ही निर्माण कार्य बिलों से स्रोत पर royalty की कटौती ही की गई थी जोकि अनियमित है :-

मद संख्या	विवरण	निष्पादित मात्रा
2/2	Stone filling	2.32 cubm
3/3	PL cement concrete 1:4:8	1.55 cubm
4/4	PL cement concrete 1:2:4	

	(a) Column , pillar etc	2.45 cubm
	(b) Suspended floor, roofs etc.	3.51 cubm
7/7	Brick work using common burnt clay in foundation and plinth cement mortar 1:5	1.63 cubm
8/8	Brick work using common burnt clay in super structure in cement mortar 1:5	7.24 cubm
9/9	Half brick masonry using common burnt clay in foundation and plinth in cement mortar 1:4	70.26 sq m
16/16	15 mm cement plaster in cement mortar 1:5	250.23 sq m
17/17	Precast chequered tiles in cement mortar 1:6	62.25 sq m
18/18	White glazed tiles 6mm thick in cement mortar 1:3	64.13 sq m
19/19	White glazed tiles 6mm thick in cement mortar 1:3	5.04 sq m

परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी इस अनियमितता के संदर्भ में कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस संदर्भ में देय राशि की संस्था स्तर पर गणना करके उचित स्रोत से वसूली व तदोपरान्त सम्बन्धित विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए ।

(v) निर्माण कार्यों को विलम्ब से पूर्ण करने के कारण संविदाकार से देय penalty ₹0.07 लाख की वसूली न करना

आबंटन पत्र में विहित शर्त के अनुसार निर्माण कार्य के समापन हेतु दो मास की समय अवधि निर्धारित थी तथा निर्माण कार्य दिनांक 22/04/2017 को आरंभ हुआ एवं दिनांक

31/12/17 को लगभग 8 माह उपरान्त समाप्त हुआ परन्तु निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि में पूर्ण नहीं करने पर आबंटन पत्र में विहित शर्त संख्या-4 के अनुसार ₹7128/- अधिकतम penalty की संविदाकार से न तो वसूली की गई थी और न ही उन्हें समय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बढ़ौतरी प्रदान की गई थी । अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए ₹7128/- की वसूली उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

(vi) निर्माण कार्य में हुए विचलन (Deviation) को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना संविदाकार को भुगतान करना

निर्माण कार्य आबंटन पत्र दिनांक 21/04/17 द्वारा यह कार्य ₹712812/- में संविदाकार को आबंटित किया गया था परन्तु निर्माण कार्य पर वास्तविक व्यय ₹807165/- हुआ था । इस प्रकार निर्माण कार्य में ₹94353/- (807165-712812) का विचलन (deviation) था, परन्तु कई बार आग्रह के पश्चात भी विचलन के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यपाना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

(vii) संविदाकार से जल प्रभार की वसूली न करना

परिषद द्वारा संविदाकार के निर्माण कार्यो बिलों से न तो water charges की कटौती की गई थी तथा न ही इस संदर्भ में माप पुस्तिकाओं में सत्यापन/उल्लेख किया पाया गया कि संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य हेतु पानी की व्यवस्था अपने स्तर पर की गई थी । निर्माण कार्य के निष्पादन के दौरान जिन मदों में पानी का उपयोग हुआ था उनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

मद संख्या	विवरण	निष्पादित मात्रा एवं भुगतान राशि
3/3	PL cement concrete 1:4:8	1.55 cubm x 3200= ₹4960/-
4/4	PL cement concrete 1:2:4	
	(a) Column , pillar etc	2.45 cubmx5300= ₹12985/-
	(b) Suspended floor, roofs etc.	3.51 cubm x5200= ₹18252/-
7/7	Brick work using common burnt clay in foundation and plinth cement mortar 1:5	1.63 cubm x 5300= ₹8639/-
8/8	Brick work using common burnt clay in super structure in cement mortar 1:5	7.24 cubm x 5350=₹38734/-
9/9	Half brick masonry using common burtn clay in foundation and plinth in cement mortar 1:4	70.26 sq m x 700= ₹49182/-
16/16	15 mm cement plaster in cement mortar 1:5	250.23 sq m x 170= ₹42539/-
17/17	Precast chequered tiles in cement mortar 1:6	62.25 sq m x 800=₹ 49800/-
18/18	White glazed tiles 6mm thick in cement mortar 1:3	64.13 sq m x 1200= ₹76956/-

19/19	White glazed tiles 6mm thick in cement mortar 1:3	5.04 sq m x 1200=₹ 6048/-
	कुल योग	₹308095/-

अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹4621 (308095 x 1.5%) की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से सुनिश्चित की जाए ।

(viii) निर्माण कार्य हेतु 125 सीमेंट बैग जारी किए गए थे । जिनमें से 25 बेग जारी किए जाने से संबन्धित indent कई बार आग्रह के पश्चात भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए । अतः वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए :-

कुल जारी सीमेंट बैग		125 ---- (क)
जिन इंडेंट्स के द्वारा सीमेंट जारी किया गया		
इंडेंट संख्या	दिनांक	बेग्स
3796	4/51/7	25
3870	23/6/17	15
3885	25/7/17	20
3888	7/9/17	40
	कुल जारी	100 --- (ख)
शेष सीमेंट बेग्स		25 (क-ख)

(ix) निदेशालय शहरी विकास शिमला, हि०प्र० की पत्र संख्या UD-H-(F) (10) - 9/2007-Misc.Engg cell -2020-9068 दिनांक अगस्त, 2010 में विहित निर्देशों के

अनुसार नगर परिषद को जिन निर्माण कार्यों का आकलन तीन लाख से अधिक हो उनके आकलन को सहायक अभियंता (Assistant Engineer) से तकनीकी रूप से स्वीकृत करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु वर्णित कार्य हेतु ₹496500 का आकलन सहायक अभियंता के स्थान पर कनिष्ठ अभियंता द्वारा ही अनुमोदित किया गया था जोकि अनियमित है । अतः वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपलना से आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापित करवाई जाए ।

(x) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दर विश्लेषण अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

निर्माण कार्य में निम्न अतिरिक्त मदों (extra items) का निष्पादन हुआ था । अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात इन अतिरिक्त मदों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित rate analysis प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण कार्य मदों के भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका जोकि अनियमित है । अतः वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए :-

मद संख्या	विवरण	भुगतान दर (₹)
23	PF 9mm thick insulation board	603.28 (43.57% Above)
24	PF electrical fencing wiring	5 pointx 600= 3000/-

(xi) नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्य हेतु जारी DNIT/विज्ञापन से संबन्धित दस्तावेज़ अवलोकन हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए । अतः स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित दस्तावेज़ आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाये ।

(xii) नगर परिषद द्वारा न तो बिल के भुगतान से संबन्धित वाउचर दर्शाये गए तथा न ही रोकड़ बही में भुगतान वाउचर की प्रविष्टि दर्शाई गई । इस कारण इस संदर्भ में आवश्यक

अंकेक्षण संभव नहीं हो पाया | अतः स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए |

विस्तृत बिल संबंधी उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 25 दिनांक 12/01/2021 तथा 27 दिनांक 12/01/2021 द्वारा भी नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ I

35 विस्तृत बिल "Providing and fixing interlocking tiles near Kalisthan mandir in W.No. 06 of Nahan Town (Award letter no. JEMCN - 2904, dated 26/9/2017, संविदाकार -श्री राकेश चौधरी, MB No. 9364)

उपरोक्त निर्माण कार्य से संबन्धित बिल का विस्तृत अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(i) निर्माण कार्यों को विलम्ब से पूर्ण करने के कारण संविदाकार से देय penalty ₹0.53 लाख की वसूली न करना

आबंटन पत्र में विहित शर्त के अनुसार निर्माण कार्य के समापन हेतु एक मास की समय अवधि निर्धारित थी तथा निर्माण कार्य दिनांक 15/02/18 को आरंभ हुआ एवं दिनांक 05/04/19 को लगभग 1½ माह उपरान्त समाप्त हुआ परन्तु निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि में पूर्ण नहीं करने पर आबंटन पत्र में विहित शर्त संख्या 4 के अनुसार ₹52513/- अधिकतम penalty की वसूली न तो संविदाकार से की गई थी और न ही निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु समय अवधि बढ़ाने संबंधी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अंकेक्षण व संविदाकार

का आवेदन पत्र अवलोकन हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत न किया गया । अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹52513/- की वसूली उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित की जाये ।

(ii) निर्माण कार्य में हुए विचलन (Deviation) का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना संविदाकार को भुगतान करना

निर्माण कार्य आबंटन पत्र संख्या 2904 दिनांक 26.9.17 के अनुसार यह निर्माण कार्य ₹525134/- में संविदाकार को आबंटित किया गया था परंतु निर्माण कार्य पर वास्तविक व्यय ₹1139507/- हुआ था । इस प्रकार निर्माण कार्य में ₹614373/- (1139507-525134) का विचलन (deviation) था परंतु कई बार आग्रह के पश्चात भी विचलन के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अवलोकन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

(iii) संविदाकार के निर्माण कार्य बिलों से नियमानुसार Royalty की कटौती न करना

निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान उपयोग में लाई गई निर्माण सामग्री रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि पर नियमानुसार निर्माण कार्य बिलों से स्रोत पर रॉयल्टी की कटौती की जानी अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य के निष्पादन के दौरान रेत, बजरी, पत्थर हेतु न तो अंकेक्षण को संविदाकार द्वारा प्रस्तुत फार्म 'एम' उपलब्ध करवाए गए तथा न ही निर्माण कार्य बिलों से स्रोत पर royalty की कटौती ही की गई थी जोकि अनियमित है :-

मद संख्या	विवरण	निष्पादित मात्रा
2	PL cement concrete 1:4:8	22.98 cubm x 2200= 50556/-
3	PL cement concrete 1:2:4	41.69 cubm x 420= 17509/-

परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी इस अनियमितता के संदर्भ में कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस संदर्भ में देय राशि की संस्था स्तर पर गणना करके उचित स्रोत से वसूली व तदोपरान्त सम्बन्धित विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

(iv) संविदाकार से जल प्रभार की वसूली न करना

परिषद द्वारा संविदाकार के निर्माण कार्यों परंतु बिलों न तो water charges की कटौती की गई थी तथा न ही इस संदर्भ में माप पुस्तिकाओं में सत्यापन/उल्लेख किया पाया गया कि संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य हेतु पानी की व्यवस्था अपने स्तर की गई थी । निर्माण कार्य के निष्पादन के दौरान जिन मदों में पानी का उपयोग हुआ था उनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

मद संख्या	विवरण	निष्पादित मात्रा	राशि (₹)
2	PL cement concrete 1:4:8	22.98 cubm@2200 /cubm	50556/-
3	PL cement concrete 1:2:4	41.69 cubm @4200 / 4200 cubm	175098/-
		कुल योग	₹225654/-

अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य किया जाये अन्यथा ₹3384/-

[225612x1.5%] की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से सुनिश्चित की जाये ।

(v) निदेशालय शहरी विकास शिमला, हि०प्र० की पत्र संख्या UD-H-(F)(10)-9/2007-Misc.Engg cell -2020-9068 दिनांक अगस्त, 2010 में विहित निर्देशों के अनुसार नगर परिषद को तीन लाख से अधिक निर्माण कार्यों के आकलन सहायक अभियंता (Assistant Engineer) से तकनीकी रूप से स्वीकृत करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु वर्णित निर्माण कार्य हेतु ₹350000 को आकलन को सहायक अभियंता के स्थान पर कनिष्ठ

अभियंता द्वारा अनुमोदित किया गया था जोकि अनियमित है | अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए I

(vi) नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्य हेतु जारी DNIT/विज्ञापन से संबन्धित अभिलेख अवलोकन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में निर्माण कार्य बिलों का पूर्ण अंकेक्षण संभव नहीं हो सका | अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए I

(vii) नगर परिषद द्वारा न तो बिल के भुगतान से संबन्धित वाउचर दर्शाये गए तथा न ही रोकड़ बही में भुगतान वाउचर की प्रविष्टि दर्शाई गई | इस कारण इस संदर्भ में आवश्यक अंकेक्षण संभव नहीं हो पाया | अतः स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए |

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 12/01/2021 द्वारा भी नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ |

36 सामान्य भविष्य निधि संबंधी

अंकेक्षण के दौरान व्यय की पड़ताल के दौरान सामान्य भविष्य निधि संबंधी निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(i) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम एवं आहरण प्रदान करना

Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & General Provident Fund) Rule 2000 के नियम 13 (i) में विहित प्रावधान के अनुसार "The advances, withdrawals and final payment from GPF shall be sanctioned by the Director" | अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी नगर परिषद द्वारा निम्न कर्मचारियों को अग्रिम एवं आहरण प्रदान करने के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सा०भ०नि० आहरण/अग्रिम बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से प्रदान किया गया है जोकि अनियमित है :-

क्रम संख्या	माह	नाम	पद	राशि	विवरण
1	09/2017	श्री देश राज	सफाई कर्मचारी	20000	अग्रिम
2	यथोपरि	श्री लिकत राम	बेलदार	25000	अग्रिम
3	यथोपरि	श्री गुरविंदर सिंह	बेलदार	60000	आहरण
4	यथोपरि	श्री हरिचन्द्र	माली	80000	आहरण
5	यथोपरि	श्री राजेश कुमार	जमादार	20000	आहरण
6	यथोपरि	श्री नथु राम	बेलदार	35000	आहरण
7	यथोपरि	श्री सूरत राम	बेलदार	20000	अग्रिम
8	यथोपरि	श्री भूपेन्द्र सिंह	बेलदार	30000	अग्रिम
9	यथोपरि	श्री बानु राम	बेलदार	50000	आहरण
10	11/2018	श्री स्वर्ण सिंह	बेलदार	40000	अग्रिम
11	यथोपरि	श्री गुलाब सिंह	बेलदार	100000	आहरण
12	यथोपरि	श्री अशोक कुमार	सफाई कर्मचारी	100000	आहरण
13	यथोपरि	श्री कमल कुमार	बेलदार	10000	आहरण

अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

37 HFA (housing for all) के अंतर्गत भुगतान संबंधी

अंकेक्षण के दौरान व्यय कि पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(i) TA/DA के भुगतान से संबन्धित अनियमितताएं (वाउचर दिनांक 3/11/2018, 2700/-)

(क) ₹840/- TA का अधिक भुगतान करना

निदेशालय, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD(F)-(1)-10/97-NULM-Attendance-18601-610. दिनांक 14.1.16 में विहित निर्देशों के अनुसार NULM के अंतर्गत deployed experts को यात्रा भत्ता एवं allowances का भुगतान हि०प्र० सरकार, वित्त विभाग के आदेश दिनांक 20.4.12 में वर्णित B category के अनुसार किया जाना अपेक्षित है जिसके अनुसार नगर परिषद द्वारा HFA के अंतर्गत MIS Specialist को भुगतान यात्रा भत्ता व्यय वाउचर का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि HFA के अंतर्गत के तौर पर कार्यरत श्री Sh. Gaurav Dhiman MIS Specialist को निम्न विवरणानुसार ₹840/- के यात्रा भत्ता का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है।

दिनांक	यात्रा का विवरण	TA का भुगतान (कार द्वारा) (1)	TA का जितना भुगतान किया जाना अपेक्षित था । (साधारण बस किराया) (2)	अधिक भुगतान (1-2)
10/10/18 से 12/10/18	Nahan से Rajgarh एवं वापिस / 3 दिन	1050/- (120 km x 8.75/-)	210/- [120x1.75]	840/-

अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹840/-

की वसूली उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

(ख) इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा NULM के अनर्गत नियुक्त experts हेतु जारी उपरोक्त पत्र दिनांक 14/01/2016 के आधार पर HFA के अनर्गत नियुक्त specialists को भी TA/DA का भुगतान किया जा रहा था जबकि HFA के अनर्गत आने वाले experts को TA/DA के भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी से अलग से दिशा निर्देश प्राप्त किए जाने अपेक्षित थे परंतु इस संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऐसे कोई दिशा निर्देश अवलोकन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए । अतः वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए इस संदर्भ में अब सक्षम प्राधिकारी से अविलंब दिशा निर्देश प्राप्त किए जाये तथा experts को TA/DA का भुगतान तदानुसार ही करना सुनिश्चित किया जाए ।

(ग) यात्रा कार्यक्रम एवं यात्रा दैनिकी (Tour programme & tour dairy) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

नगर परिषद द्वारा निम्न विवरण के अनुसार संबन्धित विशेषज्ञों (Specialist) को यात्रा भत्ते TA/DA का भुगतान किया गया था परंतु व्यय वाउचर के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / सत्यापित यात्रा कार्यक्रम एवं यात्रा दैनिकी संलग्न नहीं थे जिसके अभाव में किया गया भुगतान अनियमित है ।

माह	वाउचर दिनांक	Specialist का नाम	भुगतान राशि (₹)
11/2018	3/11/2018	श्री गौरव धीमान	2700/-
11/2018	3/11/2018	श्री कृपा राम शर्मा	600/-

अतः वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

(ii) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना किश्तें जारी करना

नगर परिषद द्वारा माह 11/2018 में विभिन्न लाभार्थियों को PMAY के अंतर्गत किश्तें जारी की गई थी । लाभार्थियों को किए गए भुगतान की संबन्धित अभिलेख

[लाभार्थियों की नस्तियों (files)] के साथ पड़ताल के दौरान पाया गया कि किश्त जारी करते समय निम्न प्रकरणों में नस्तियों पर कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे ।

माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या / दिनांक	भुगतान राशि (₹)	टिप्पणी
11/18	08 / 05/11/18	765000/-	श्री ओम प्रकाश को नस्ति पर किया गया ₹45000/- (दूसरी किश्त) का भुगतान कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं था ।
	08 / 14/11/18	330000/-	श्री हरप्रीत सिंह को नस्ति पर किया गया ₹30000/- (चौथी किश्त) का भुगतान कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं था ।
	08 / 16/11/18	630000/-	रीना को नस्ति पर किया गया ₹45000/- (दूसरी किश्त) का भुगतान कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं था ।
	08 / 22/11/18	450000/-	-----

अतः स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपलना से

अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(iii) अंकेक्षण को अभिलेख प्रस्तुत न करना

(क) व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) के अंतर्गत निम्नलिखित लाभार्थियों को आवास बनाने हेतु किश्तों का भुगतान किया गया था । कई बार आग्रह के पश्चात भी भुगतान से संबन्धित अभिलेख (पंजिका / नस्ति आदि जिसमें आवास हेतु स्वीकृत राशि, पूर्व में जारी की गई राशि, बकाया राशि आदि) अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में किए गए भुगतानों का पूर्ण अंकेक्षण संभव नहीं हो सका

:-

माह	वाउचर संख्या	भुगतान राशि (₹)	किश्त संख्या	विवरण
09/17	66	90000/-	पहली	प्रति लाभार्थी ₹45000/- प्रत्येक की दर से 2

				लाभार्थियों को जारी की गई राशि
67	585000/-	पहली	प्रति लाभार्थी ₹45000/- प्रत्येक की दर से 13 लाभार्थियों को जारी की गई राशि ।	
93	90000/-	तीसरी	प्रति लाभार्थी ₹45000/- प्रत्येक की दर से दो लाभार्थियों को जारी की गई राशि ।	
94	405000/-	दूसरी	प्रति लाभार्थी ₹45000/- प्रत्येक की दर से 9 लाभार्थियों को जारी की गई राशि ।	
95	240000/-	अंतिम	प्रति लाभार्थी ₹30000/- प्रत्येक की दर से 8 लाभार्थियों को जारी की गई राशि	
103	2970000/-	दूसरी	प्रति लाभार्थी ₹45000/- प्रत्येक की दर से 66 लाभार्थियों को जारी की गई राशि ।	

अतः इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

(ख) व्यय का अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) के अंतर्गत निम्नलिखित लाभार्थियों को आवास बनाने हेतु किशतों का भुगतान किया गया था तथा वर्णित प्रकरणों में वास्तविक लाभार्थी की मृत्यु होने पर किशतों का भुगतान उनके परिवार के सदस्य को किया गया था परन्तु नगर परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात मृत लाभार्थी के परिवार की सूची अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में भुगतानों का आवश्यक अंकेक्षण संभव नहीं हो सका ।

माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या / दिनांक / वाउचर की राशि राशि	नाम	जारी की गई किशत संख्या	भुगतान राशि (₹)
11/18	08 / 3/11/18 / 765000/-	Om Prakash Late Hukmi chand	पहली	45000/-
	08 / 16/11/18 / 630000/-	Smt. Lakhvinder Kaur Late Bakshish Singh	पहली	45000/-
	08 / 21/11/18 / 450000/-	Raj Pal late Om Praksh	दूसरी	45000/-

अतः इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए संबन्धित अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 31 दिनांक 16/01/2021 द्वारा भी नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

38 NULM (National Urbans Livelihood Mission) के अनर्गत भुगतान संबंधी

अंकेक्षण के दौरान व्यय कि पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई

(i) TA/DA के भुगतान से संबन्धित अनियमितताएं (वाउचर संख्या 43 of 11/18 of ₹4240/-)

(क) ₹2897/- TA एवं DA का अधिक भुगतान करना

निदेशालय शहरी विभाग के पत्र संख्या UD(F)-(1)-10/97-NULM-Attendance-18601-610. दिनांक 14.01.16 में विहित निर्देशों के अनुसार NULM के अंतर्गत deployed experts को यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्तों का भुगतान हि०प्र० सरकार वित्त विभाग के आदेश दिनांक 20.4.12 में वर्णित B category के अनुसार किया जाना अपेक्षित है जिसके अनुसार व्यय वाउचरों क अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि NULM के अंतर्गत Specialist के तौर पर कार्यरत श्री अखिलेश सिंह को निम्न विवरणानुसार ₹2897/- के यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है :-

यात्रा की तिथि	यात्रा का विवरण	TA का भुगतान (own car) (1) (₹)	TA हेतु जितना भुगतान किया जाना अपेक्षित था (Ordinary bus fare) (2) (₹)	अधिक भुगतान (1-2) (₹)	DA हेतु भुगतान (1) (₹)	DA हेतु जितना भुगतान किया जाना अपेक्षित था (2) (₹)	अधिक भुगतान (1-2) (₹)
20/6/18	सोलन से नाहन तथा वापिस सोलन	-----	-----	-----	200/-	96/- (Journey DA)	104/-
21/6/18	सोलन से परवाणु	720/- (90 km x 8/-)	158/- [90x1.75 प्रति किलोमीटर)	562/-	1000/-	400/-	600/-
22/6/18	परवाणु से सोलन						
28/6/18	सोलन से नाहन	760/- (95 km x 8/-)	166/- [95x1.75 प्रति किलोमीटर)	594/-	-----	-----	594
18/9/18	नाहन से पांवटा साहिब एवं वापिस (8AM से 7.30PM)	-----	-----	-----	200/-	67/- (Journey DA का 70%)	133/-
29/9/18	नाहन से राजगढ़ एवं वापिस	-----	-----	-----	170/-	96/- (Journey DA)	74/-

5/10/18	नाहन से पांवटा साहिव एवं वापिस (8AM से 7.30PM)	-----	-----	-----	200/-	67/- (Journey DA का 70%)	133/-
6/10/18	नाहन से पांवटा साहिव एवं वापिस (8AM से 7.30PM)	-----	-----	-----	170/-	67/- (Journey DA का 70%)	103/-
			योग		1156/-	योग	1741/-
कुल योग = 2897/- (1156+1741)							

अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹2897/- की वसूली उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये ।

(ख) यात्रा कार्यक्रम एवं यात्रा दैनिकी (Tour programme & tour dairy) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार संबन्धित विशेषज्ञ (Specialist) को यात्रा भत्ते का भुगतान किया गया था परंतु व्यय वाउचर के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / सत्यापित यात्रा कार्यक्रम एवं यात्रा दैनिकी संलग्न नहीं थे, जिसके अभाव में किया गया भुगतान अनियमित है । अतः वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

माह	वाउचर संख्या	Specialist का नाम	राशि (₹)
11/2018	43	श्री अखिलेश सिंह	4240/-

(ii) नियमानुसार निविदा सम्बन्धी औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ₹0.34 लाख का व्यय करना (वाउचर संख्या 32 दिनांक 09/17 ₹20750/-)

(क) हि०प्र०वित्तीय नियमावली 2009 के अनुसार स्टोर/स्टॉक के क्रय एवं अन्य भुगतान करने से पूर्व इस नियमावली के नियम 97 तथा 98 में विहित औपचारिकताओं का पूर्ण किया जाना अनिवार्य है । अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा BPL परिवारों हेतु

Name plates बनवाने हेतु उपरोक्त व्यय वाउचर के अन्तर्गत द्वारा ₹20750/- तथा पूर्व में किए गए ₹13250 सहित कुल ₹34000/- (13250+20750) का भुगतान किया था परन्तु उक्त नगर परिषद द्वारा नियमानुसार क्रय/भुगतान से पूर्व निविदा संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गईं हो जोकि अनियमित है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

(ख) अंकेक्षण के दौरान name plates के आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की एवज में उससे रसीद भी प्राप्त नहीं की गई थी | अतः स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इस संदर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(ग) योजना के निर्धारित अनुदेशों के अन्तर्गत ₹3400/- का भुगतान सेवा शुल्क के रूप में शहरी आजीविका केंद्र (CLC) को किया था परन्तु कृत भुगतान की वास्तविक प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई थी | अतः वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाए I

(iii) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन सहित नियुक्ति प्रदान करने हेतु पूर्ण की गई औपचारिकताओं से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

NULM के अन्तर्गत वाउचर संख्या 42 दिनांक 11/18 द्वारा कुमारी आँचल को ₹8000/- वेतन का भुगतान बतौर प्रबन्धक रेन शैल्टर (Manager, Rain shelter) के रूप में कार्य करने की एवज में किया गया था परन्तु नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार का पूर्ण की गई औपचारिकताएं संबन्धित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन सहित अंकेक्षण को कई बार आग्रह के पश्चात भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गईं जिसके अभाव में नियुक्ति का किए गए वेतन भुगतान सहित पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका I अतः वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाये आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए I

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 30 दिनांक 15/01/2021 द्वारा भी नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

39 Log book के रख रखाव सम्बन्धी अनियमितताएं

लॉग बुकों के नमूना परीक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(क) लॉग बुक संख्या (Tractor, HP -18-4935)

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 07/07/2017 से 31/03/2018 तक वाहन उपयोग/संचालन (movement) के संदर्भ में लॉग बुक में कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी जबकि लॉग बुक में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार माह 09/17 के दौरान वाहन में लगभग ₹7027/- (121.15 लीटर x 58 प्रति लीटर) मूल्य डीजल भरा गया था जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए ।

(ख) लॉग बुक संख्या (Three wheeler, HP -18B- 0408)

लॉग बुक में अवधि 01/04/17 से 31/03/19 तक वाहन उपयोग/संचालन (movement) से संबन्धित कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई थी जिसके कारण वाहन का optimum उपयोग न होने के कारण वाहन क्रय करने पर किया गया व्यय निष्फल प्रतीत होता है जिस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए ।

अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 10 दिनांक 29/12/2020 द्वारा भी उपरोक्त अनियमितताएं नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक इनके संदर्भ में न तो कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया तथा न ही अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाया गया । अतः स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अनियमितताओं के संदर्भ में

अपेक्षित कार्रवाई एवं वसूली करके संबन्धित अभिलेख सहित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये । यह प्रकरण केवल चयनित मासों से संबन्धित है । अंकेक्षण अवधि के दौरान अन्य मासों में भी इस प्रकार की अनियमितताओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है । मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है ।

लॉग बुक अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

नगर परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी निम्न लॉग बुक अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण लॉग बुकों का पूर्ण अंकेक्षण संभव नहीं हो सका ।

क्रमांक	गाड़ी संख्या	अवधि
1	Tipper, HP-18-4981	1.4.17 से 31.3.19 तक
2	Jeep, HP-18-0381	1.4.18 से 31.03.19 तक
3	Tracter HP-18-4935	1.4.18 से 31.3.19 तक

अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

लॉग बुक में मासिक औसत तेल खपत की गणना न करना

नगर परिषद द्वारा निम्न वाहनों की लॉग बुक में औसत तेल खपत की गणना प्रत्येक माह के अन्त में नहीं दर्शाई गई थी जिसके अभाव में लॉग बुक का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका :-

क्रमांक	गाड़ी संख्या	अवधि
1	Dumper placer, HP-71-1736	9/17 व 11/18
2	Jeep, HP-18-0381	4/17 से 3/18

अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना करवाना सुनिश्चित किया जाए ।

40 स्टोर / स्टॉक

अंकेक्षण के दौरान स्टोर/स्टॉक के नमूना परीक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(क) सीमेंट एवं स्टील के स्टोर/ स्टॉक

(स्टॉक पंजिका 4 तथा 12)

(i) इंडेंट्स (indents) द्वारा जारी निर्माण सामग्री की प्रविष्टि/गणना स्टॉक पंजिका में न करना

संविदाकारों को जारी की गई निर्माण सामग्री की मात्राओं को स्टॉक पंजिका तथा दर्ज किया जाना अपेक्षित है ताकि अभिलेख निर्माण सामग्री के शेषों तथा उनकी बकाया वसूली आदि के बारे में सही स्थिति दर्शाये । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दर्शाये गए इंडेंट्स (indents) द्वारा जारी सीमेंट की प्रविष्टि/गणना संबन्धित स्टॉक पंजिका व संविदाकार बही (contractor ledger) में संविदाकार के खाते में नहीं की गई थी ।

इंडेंट संख्या	जारी किए गए सीमेंट बैग / रेट प्रति बेग (₹)	संविदाकार का नाम	निर्माण कार्य का नाम
3868	50 / 295/-	श्री रफीक	C/o R/wall near house of Smt. Omvati
3900	50 /- 295/-	श्री राहुल पुंडीर	C/o RCC slab at Jagan Wali
3926	25 / 295/-	श्री तरुण कुमार	C/o Path near house of Sh. Maya Ram
4049	20 / 295/-	श्री राकेश चौधरी	C/o Path to Gali near Krishan Chudiwala, ward no. 9

नगर परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई जोकि अनियमित है । अतः वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए इस संदर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

(ii) स्टॉक पंजिका का अद्यतन (update) न करना

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार (परिशिष्ट "प") दिनांक 31/03/19 को स्टील (8mm) का शेष 389 किलोग्राम दर्शाया गया था परंतु संबन्धित स्टॉक पंजिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि स्टील स्टॉक खाता केवल दिनांक 28/02/18 तक अद्यतन ही था जिस दिन शेष 389 किलोग्राम दर्शाया गया था । कई बार आग्रह के पश्चात भी स्टॉक पंजिका दिनांक 31/03/19 तक update नहीं की गई जिसके कारण दिनांक 31/03/19 को स्टील के शेष 389 किलोग्राम सही होने संबंधी पुष्टि अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी । अतः इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना करवाना सुनिश्चित किया जाए ।

(iii) सीमेंट क्रय के बिल अवलोकन हेतु प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार समय-2 पर क्रय सीमेंट कई बार आग्रह के पश्चात भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण क्रय करने के उपरांत स्टॉक पंजिका में दर्ज सीमेंट की मात्राओं के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी:-

स्टॉक पंजिका पृष्ठ संख्या	दिनांक	बिल संख्या	क्रय सीमेंट बैग
135	1/5/17	9249004321 दिनांक 29/4/17	500

135	1/5/17	9249004331 दिनांक 29/4/17	500
139	23/5/17	9249007478 दिनांक 22/5/17	500
139	23/5/17	9249007479 दिनांक 22/5/17	500
147	18/9/17	29021100011005 दिनांक 16/09/17	480
149	13/11/17	29021100018853 दिनांक 11/11/17	300
149	13/11/17	29021100018874 दिनांक 12/11/17	500
150	17/11/17	29021100018840 दिनांक 11/11/17	500
152	30/11/17	29021100021689 दिनांक 29/11/17	500
152	30/11/17	29021100021693 दिनांक 29/11/17	500
157	6/1/18	29021100027659 दिनांक 5/1/18	300
157	6/1/18	29021100027666 दिनांक 5/1/18	300
157	6/1/18	29021100027670 दिनांक 5/1/18	300
160	24/2/18	29021100034609 दिनांक 24/2/18	360
161	24/2/18	29021100034613 दिनांक 24/2/18	360
161	24/2/18	-----	280
165	13/4/18	2902110001804 दिनांक 12/4/18	280
165	14/4/18	2902110001897 दिनांक 13/4/18	360
165	16/4/18	2902110002570 दिनांक 15/4/18	360
169	19/11/18	29021100029938 दिनांक 18/11/18	300
169	19/11/18	29021100029941 दिनांक 18/11/18	300
		कुल योग	₹8280

अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सतापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

(iv) Indent books का पूर्ण उपयोग न करना

सामान्यता इंडेंट बुक में संलग्न सभी इंडेंट्स के प्रयोग किया जाना अपेक्षित है तथा एक इंडेंट बुक के पूर्णतया प्रयोग के उपरांत ही दूसरी इंडेंट बुक का प्रयोग आरंभ किया जाना चाहिए । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार इंडेंट बुकों का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं किया गया था तथा अन्य Indent book उपयोग हेतु जारी कर दी गई थी जोकि अनियमित है जिसके कारण जहाँ एक ओर स्टेशनरी का पूर्ण सदुपयोग भी नहीं होता वही ऐसी अवस्था में अनियमितताओं की संभावना भी बनी रहती है । नगर परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी इस संदर्भ में कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार indent book का उपयोग हेतु जारी व पूर्ण रूप से सदुपयोग करना सुनिश्चित किया जाए :-

क्रम संख्या	इंडेंट बुक संख्या	विवरण
1	3951-4000	इंडेंट संख्या 3974 दिनांक 16/12/17 तक प्रयोग की गई
2	4051-4100	इंडेंट संख्या 4051 दिनांक 26/6/18 तक प्रयोग की गई

(ख) ईंधन लकड़ी (Fuel wood) स्टोर/ स्टॉक

(i) स्टॉक में ₹1800/- मूल्य की 400 किलोग्राम लकड़ी कम दर्शाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ईंधन लकड़ी पंजिका पृष्ठ संख्या 64 पर दिनांक 7/11/17 को ₹1800 (400 किलोग्राम x 4.50 किलोग्राम प्रति किलोग्राम) मूल्य की 400 किलोग्राम लकड़ी अंतिम शेष में कम दर्शाई गई थी अर्थात् दिनांक 7/11/17 को

560 किलोग्राम लकड़ी का विक्रय किया गया था, तदोपरान्त अंतिम शेष 43461 किलोग्राम (44021-560) के स्थान 43061 किलोग्राम ही दर्शाया गया था, जोकि अनियमित है जिसका औचित्य कई बार आग्रह के पश्चात भी अंकेक्षण को स्पष्ट नहीं किया गया । अतः वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए इस संदर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए ।

(ii) 520 कि०ग्रा० लकड़ी विक्रय पर ₹180/- की कम वसूली करना

ईंधन लकड़ी पंजिका पृष्ठ संख्या 71 में दर्ज विवरण के अनुसार दिनांक 15/10/18 को 520 किलोग्राम लकड़ी विक्रय की गई थी व रसीद संख्या 76/57 के अन्तर्गत विक्रय ₹2160/- प्राप्ति की गई थी जबकि ₹2340/- (520x4.50) प्राप्त किए जाने अपेक्षित थे । इस प्रकार ₹180/- (2340-2160) कम की वसूली की गई थी जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹180/- की वसूली उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित करके परिषद निधि में जमा करवाया जाए ।

(iii) ईंधन लकड़ी के क्रय बिल अवलोकन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी ईंधन लकड़ी के क्रय से संबन्धित निम्न बिल अवलोकन हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण स्टॉक पंजिका में दर्ज क्रय ईंधन लकड़ी की मात्रा के सही होने संबंधी पुष्टि अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए :-

क्रम संख्या	दिनांक	क्रय ईंधन लकड़ी की मात्रा (किलोग्राम)
1.	28/5/17	12400
2.	29/5/17	12110
3.	30/5/17	12800
4.	1/6/17	12600

5.	2/6/17	12490
6.	2/6/17	8360
7.	6/11/17	8500
8.	29/11/17	5885
9.	9/1/18	4986
10.	17/1/18	8835
11.	18/1/18	8341
12.	1/2/18	8740
13.	23/1/18	8816
14.	27/1/18	10222
15.	28/1/18	9443
16.	28/1/18	9044
17.	30/1/18	8303
18.	31/1/18	8151
19.	1/2/18	8350
20.	2/2/18	9272
21.	3/2/18	8721
22.	29/9/18	5700
23.	2/10/18	6806
24.	5/10/18	10103
25.	5/10/18	8203
26.	7/10/18	10236
27.	22/10/18	10331
28.	23/10/18	4061
29.	24/10/18	1995
30.	14/12/18	12136

31.	25/12/18	7593
32.	10/1/19	6588
33.	30/1/19	2850
34.	27/3/19	10388
35.	28/3/19	9951
36.	29/3/19	8450

(ग) स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन (Physical verification) न करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 140 तथा 141 में विहित निर्देशों तथा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43(सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार स्टोर एवं स्टॉक का नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। अंकेक्षण के दौरान कई बार मौखिक एवं लिखित (अंकेक्षण पत्र / अधियाचना संख्या 69 दिनांक 28/01/2020) आग्रह के पश्चात भी नगर परिषद द्वारा स्टोर एवं स्टॉक के भौतिक सत्यापन से संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण में अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परिषद द्वारा स्टोर एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया था जोकि उपरोक्त नियमों में विहित निर्देशों / प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह अनियमितता परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई न करना परिषद की लचर कार्यशैली को दर्शाता है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए इस सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए। परिषद ने इस संदर्भ में पत्र संख्या SI.MCN/2021-133 दिनांक 20/01/2021 द्वारा स्टोर एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवाए जाने का आश्वासन दिया है।

(घ) Inventory Register का रख रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी inventory register अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा inventory register का रख रखाव नहीं किया जा रहा है जैसा कि विभिन्न पंजिकाओं को मुख्य स्टोर से जारी करते समय Inventory संख्या अंकित न होने से भी स्पष्ट होता है inventory register के अभाव में कार्यालय प्रयोग में लाये जा रहे विभिन्न पंजिकाओं बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं होती है । अतः भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि inventory register का रख रखाव करके परिषद की सभी पंजिकाओं को Inventory Register में दर्ज एवं inventory no. का उल्लेख करना भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ड) स्टॉक में स्थाई/अर्ध स्थाई वस्तुओं को जारी/स्थापित करने के उपरान्त शेष शून्य दर्शाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद के स्टॉक में निम्न स्थाई/अर्ध स्थाई वस्तुओं को जारी/स्थापित करने के उपरान्त शेष शून्य दर्शाया गया था जोकि अनियमित है, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके कारण वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता । नगर परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया । अतः वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए तथा इस संदर्भ में अब नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए :-

क्रम संख्या	पंजिका का शीर्ष	पृष्ठ संख्या	क्रय की गई वस्तु	विवरण	टिप्पणी
1	T&P पंजिका (संख्या -2)	86	1000 लीटर की एक पानी की टंकी	बिल संख्या 688 दिनांक 31/07/18	जारी करने के पश्चात पंजिका में शेष शून्य दर्शाया गया था ।

2	स्टॉक पंजिका संख्या B-2	67	तीन ताले	बिल संख्या 697 दिनांक 14/08/18	यथोपरि ।
3	यथोपरि	82	5 ब्रुश (Wire brush)	यथोपरि	यथोपरि ।
4	यथोपरि	29	2 ब्रास बाल (Brass Ball)	बिल संख्या 732 दिनांक 18/09/18	यथोपरि ।
5	यथोपरि	29	2 गेट वाल्व (GateValve)	यथोपरि	यथोपरि ।

(च) क्रय स्टोर / स्टॉक वस्तुओं की गणना/प्रविष्टियाँ संबन्धित पंजिकाओं में न करना

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी निम्नलिखित क्रय वस्तुओं की प्रविष्टियाँ/गणना सम्बन्धित पंजिकाओं में नहीं दर्शाई गई जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके कारण वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता । अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में पूर्ण छानबीन उपरांत नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित किया जाए । अतः स्थिति स्पष्ट कि जाये तथा संबन्धित पंजिकाओं में यह प्रविष्टियाँ आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाये :-

माह 09/ 2017		
वाउचर संख्या	विवरण	भुगतान राशि (₹)
37 / 09/17	Grass cutting mashine हेतु डीजल का क्रय	500/-
48	डीजल	3000/-

50	बिजली का समान	123562/-
62	भूसे का क्रय	12265/-
65 A	डीजल पाइप, डीजल, टिकटों आदि का क्रय	7538/-
69	Floor तथा wall tiles हेतु भुगतान	14898/-
70	Toilet seat, jet, bib cock आदि का क्रय	14949/-
71	अलमारी हेतु नए ताले का क्रय	600/-
73	सीमेंट	272061.75
78	Grass cutting mashine हेतु डीजल का क्रय	2788/-
101	नगर परिषद के भवन हेतु water fittings ,putty, pipes आदि का क्रय	14149/- (940+830+5400+897+946+3686+704+746)

माह 11/2018			
वाउचर संख्या वाउचर नस्ति के अनुसार	वाउचर संख्या रोकड़ बही के अनुसार	विवरण	भुगतान राशि (₹)
22	20	साइन बोर्ड्स तथा फ्लेक्स बैनर्स	26,631/-
23	21	साइन बोर्ड्स	70800/-

24	22	साइन बोर्ड्स	113280/-
39	41	टेलीफोन बिल का भुगतान	7733/-
40	42	बिजली बिलों का भुगतान	231622/-
46	49	2 अलमारी का क्रय	16998/-
50	53	Elbow, socket ,union आदि	2219/- (954 + 1265) ,
51	54	बिजली बिल	2648/-

(छ) स्टोर/स्टॉक वस्तुओं की संबन्धित पंजिकाओं में उचित लेखांकन/गणना न करना

स्टोर / स्टॉक से संबन्धित प्रत्येक वस्तु हेतु स्टोर/स्टॉक पंजिका में मदवार पृथक खाता / शीर्ष में गणना/लेखांकन करना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्णित प्रक्रिया पूर्ण रूपेण पालन नहीं किया जा रहा था जैसे कि व्यय वाउचर संख्या 17 दिनांक 02/11/18 द्वारा क्रय ₹286100/- के बिजली के सामान की प्रविष्टियाँ स्टॉक पंजिका में (पृष्ठ संख्या 48 से 51 तक) मदवार की अपेक्षा एक मुश्त की गई थी जोकि अनियमित है । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में स्टोर/स्टॉक पंजिकाओं में विभिन्न वस्तुओं की प्रविष्टियां/गणना मदवार की जानी सुनिश्चित की जाये ।

(ज) अचल संपत्ति पंजिका (Immovable Property register) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

Municipal Act 1994 की धारा 57 (3) में विहित प्रावधानों के अनुसार परिषद द्वारा अचल संपत्ति पंजिका का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है जिसमें परिषद की विभिन्न अचल सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण दर्ज हो । अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी वर्णित अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए संबन्धित अभिलेख अद्यतन (update) करके आगामी अंकेक्षण पर सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये ।

अंकेक्षण द्वारा उपरोक्त अनियमितताएं अधियाचना / ज्ञापन संख्या 69 दिनांक 28/01/20, 14 दिनांक 31/12/2020, 17 दिनांक 04/01/2021, 21 दिनांक 05/01/2021, 24 दिनांक 12/01/21 तथा 33 दिनांक 19/01/2021 द्वारा भी नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो कोई उत्तर प्राप्त हुआ तथा न ही अपेक्षित कार्रवाई करके अंकेक्षण को अवगत करवाया गया ।

41 विविध

(i) ठोस कचरा प्रबन्धन (Solid waste management) से उत्पन्न 140061 किलोग्राम खाद दिनांक 31/03/2019 को बिक्री हेतु शेष होना

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट "फ") एवं सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद द्वारा ठोस कचरा

प्रबन्धन से 50000 किलोग्राम खाद का उत्पादन तथा ₹12100/- मूल्य की 24200 किलोग्राम खाद का विक्रय 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से किया गया था | दिनांक 31/03/2019 को 140061 किलोग्राम खाद स्टॉक में शेष थी जिससे स्पष्ट विदित होता है कि खाद का उत्पादन अधिक है तथा विक्रय काफी कम | नगर परिषद द्वारा खाद का विक्रय मूल्य भी काफी कम निर्धारित किया गया है जबकि खाद बनाने में लागत अधिक आती है जिसके कारण नगर परिषद कोष को हो रही वित्तीय हानि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है | अंकेक्षण के दौरान खाद बनाने पर आई लागत एवं इस संदर्भ में संविदाकार को किए गए भुगतान बारे सूचना उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था तथा प्रति उतर में नगर परिषद द्वारा परिशिष्ट "ब" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाद बनाने हेतु किसी भी संविदाकार को भुगतान नहीं किया गया था जोकि उचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया था कि वाउचर संख्या 36 माह 09/17 द्वारा ₹48000/- का भुगतान संविदाकार श्री आशीष सिंह को "work of cleaning and recreating compost, land filling and dumping disposal of dead animal at dumping yard" माह 05/17 हेतु किया गया था | इस प्रकार नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹12100/- मूल्य की खाद का विक्रय करना तथा केवल एक माह हेतु खाद बनाने आदि हेतु ₹48000/- का भुगतान करना स्पष्ट दर्शाता है कि नगर परिषद कोष को वित्तीय हानि हो रही है तथा इस संदर्भ में पुनः नियोजन एवं उचित प्रबंधन की आवश्यकता है | गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/15 से 3/17 के पैरा संख्या 17 में भी यह अनियमितता परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है जोकि अनियमित है | अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि ठोस कचरा प्रबन्धन कार्यक्रम का सुचारु रूप से संचालन तथा इस सन्दर्भ में नगर परिषद कोष को नियमित रूप से हो रही हानि से बचाने हेतु ठोस कदम उठाए जाने सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(ii) आपूर्तिकर्ता के बिल के बिना ₹0.03 लाख का अनियमित भुगतान करना

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹12826 के भुगतानों में से ₹2800 के बिल/ केश में वाउचरों के साथ संलग्न नहीं थे जिसके कारण ₹2800 के लिए गए भुगतान अनियमित है ।

वाउचर संख्या / माह	विवरण	वाउचर की कुल राशि	टिप्पणी
65 A / 9/17	Diesel , diesel pipe , stamps आदि का क्रय	7538/-	वाउचर के साथ स्टेशनरी के क्रय से संबंधित ₹200/- का वाउचर संलग्न नहीं पाया गया ।
78 / 09/17	Grass cutting machine हेतु petrol एवं repair का भुगतान	2788/-	वाउचर के साथ संलग्न बिल 100 का बिल खाली (blank) था तथा उसमें भुगतान किए जाने संबंधी राशि अंकित नहीं थी ।
90 / 09/17	Diesel का क्रय	2500/-	वाउचर के साथ ₹2500/- का बिल संलग्न नहीं पाया गया ।
		कुल योग	₹2800/-

परिषद द्वारा कई बार आग्रह (अंकेक्षण जापन संख्या 17 दिनांक 04/01/2021)

के पश्चात भी इस इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई । अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹2800/- की वसूली उपयुक्त स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये ।

(iii) कानूनी प्रभार (Legal charges) के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अनुमोदित दर से संबन्धित दस्तावेज़ प्रस्तुत न करना (वाउचर संख्या 60, 09/17 ₹57000/)

श्री विवेका नन्द (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय) को नगर परिषद द्वारा ₹57000/- [19500 (6500×3)+ 37500 (12500×3)] का भुगतान legal charges के रूप में किया था | नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित (आग्रह ज्ञापन संख्या 14 दिनांक 31/12/2020) के पश्चात भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिवक्ता को निर्धारित देय legal charges के दर से संबन्धित दस्तावेज़ अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में किए गए भुगतान का अंकेक्षण संभव नहीं हो सका | अतः स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये |

(iv) मकान किराया भत्ता व चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संदर्भ में कर्मचारियों से आवश्यक प्रमाण पत्र/प्राप्त प्रस्तुत न करना

मकान किराया भत्ता व चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संदर्भ में समय-2 पर समस्त कर्मचारियों से नियमानुसार विहित प्रपत्रों पर आवश्यक सयुक्त घोषणा पत्र (Joint declaration) तथा परिवार के आश्रितों की सूची (list of family dependents) से संबन्धित प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने अपेक्षित है ताकि जिन कर्मचारियों के पति या पत्नी सरकारी/अर्ध-सरकारी विभाग, बोर्ड कॉर्पोरेशन इत्यादि में कार्यरत हो तो उपरोक्त भुगतान दोनों में से किसी एक कर्मचारी द्वारा ही प्राप्त किया जाए। अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 40 दिनांक 22/01/2021 द्वारा इस संदर्भ में परिषद द्वारा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संदर्भ में न तो संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत किया गया तथा न ही कोई उत्तर प्राप्त हुआ | गत अंकेक्षण में भी यह अनियमितता नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु इस संदर्भ में कार्रवाई न करना

परिषद की लचर कार्यशैली को दर्शाता है । अतः वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित अभिलेख/सूचना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

(v) बिजली बिल पंजिका का उचित रख रखाव न करना

बिजली बिल पंजिका में माह 09/17 में भुगतान किए गए बिजली के बिलों की प्रविष्टियों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि पंजिका में की गई प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त मीटर / खाता संख्या HSD 1000073, की बिल राशि ₹45/- का भुगतान औसत के आधार पर किया गया था जबकि बिलों का भुगतान बिजली की वास्तविक खपत के आधार पर किया जाना अपेक्षित है । परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी इस बारे में कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित अनियमितताओं के संदर्भ में अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(vi) अंकेक्षण को अभिलेख प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी निम्न वर्णित अभिलेख अवलोकन हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण लेन-देन का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका

:-

वाउचर संख्या / माह	राशि (₹)	विवरण	टिप्पणी
29 / 09/17	10000/-	पार्किंग अनुबंध की समाप्ति के उपरांत अजय कान्त अग्रवाल को प्रतिभूति की वापिसी	प्रतिभूति की प्राप्ति एवं वापिसी से अभिलेख नहीं दर्शाया गया
45 / 09/17	7000/-	जीप की मुरम्मत हेतु जारी	अग्रिम राशि का समायोजन

		अग्रिम राशि	नहीं दर्शाया गया ।
47 / 09/17	16701/-	EPF की PF commissioner में जमा	जमा की गई राशि का विवरण नहीं दर्शाया गया तथा राशि जमा करवाने के एवज में संबन्धित विभाग की रसीद भी नहीं दर्शाई गई
57 / 09/7	91756/-	GST की जमा	जिस आय के आधार पर GST की गणना की गई थी उससे संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया
73 / 09/17	272061.75	HP State civil supply corporation को 50 MT (1000 बैग्स) सीमेंट हेतु जारी की गई अग्रिम राशि	स्टॉक में सीमेंट की प्रविष्टि तथा अग्रिम राशि के समायोजन से संबन्धित अभिलेख नहीं दर्शाया गया ।
80 / 09/17	10000000/-	खाता संख्या 65047070129 से 5571017665 में हस्तांतरित राशि	संबन्धित अभिलेख में प्रविष्टि नहीं दर्शाई गई ।
81/ 09/17	6166400/-	खाता संख्या 65047070129 से 50100110084416 में हस्तांतरित राशि	यथोपरि
84 /	2811	HPSEB उप मण्डल नाहन	HPSEB में जमा की गई

09/17		में जमा की गई प्रतिभूति	प्रतिभूति की एवज में प्राप्त रसीद नहीं दर्शाई गई
97 / 09/17	20000	HPSEB में जमा की गई प्रतिभूति	HPSEB में जमा की गई प्रतिभूति की एवज में प्राप्त रसीद नहीं दर्शाई गई
12 (रोकड़ वही के अनुसार)	26201	----- -----	भुगतान संबंधी वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया
13 (रोकड़ वही के अनुसार)	12472	----- -----	यथोपरि
37 (वाउचर नस्ति के अनुसार)	168973	खाता संख्या 6504707129 (SBI) से खाता संख्या 55910117293 (HPSCB) में हस्तांतरित राशि ।	संबन्धित अभिलेख नहीं देशाया गया
38 (वाउचर नस्ति के अनुसार)	41358	आय कर की जमा	यथोपरि
उल्लेखित नहीं	147441	बिंदल फर्नीचर को भुगतान	भुगतान वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया
उल्लेखित नहीं	79395	-----	दिनांक 3/11/8 को

		-	(रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 12) को 79395/- र० की प्रविष्टि रद्द की गई थी परंतु इस संदर्भ में कोई औचित्य संबन्धित अभिलेख सहित प्रस्तुत नहीं किया गया ।
--	--	---	---

अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

(vii) वाउचर संख्याओं का रोकड़ बही में प्रविष्टियों से मेल न खाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माह 11/18 में रोकड़ बही में उल्लेखित भुगतान वाउचर संख्याएँ इसी माह की वाउचर नस्ति में उपलब्ध सम्बन्धित वाउचर पर उल्लेखित वाउचर संख्याओं से मेल नहीं खाती थी जबकि इनका एक समान होना अपेक्षित था । इस अनियमितता से संबन्धित कुछ प्रकरण निम्न तालिका में दर्शाये गए हैं । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

वाउचर नस्ति के अनुसार वाउचर संख्या	रोकड़ बही के अनुसार वाउचर संख्या	विवरण	राशि (₹)
18	16	पंजाब केसरी में विज्ञापन हेतु ।	6528/-
22	20	साइन बोर्ड्स हेतु भुगतान ।	26,631/-
23	21	यथोपरि	70800/-
24	22	यथोपरि	113280/-

अंकेक्षण द्वारा उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14 दिनांक 31/12/2020, 17 दिनांक 04/01/2021 तथा 24 दिनांक 12/01/21 द्वारा भी नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया तथा न ही अपेक्षित कार्रवाई करके अंकेक्षण को अवगत करवाया गया ।

- 42 लघु आपत्ति विवरणी :- यह अलग से जारी नहीं की गई अपितु सभी लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था ।
- 43 निष्कर्ष :- लेखों के रख- रखाव में अत्याधिक सुधार व लम्बित अंकेक्षण पैरों के समायोजन हेतु ठोस कार्यवाही करने की नितान्त आवश्यकता है ।

हस्ता / -
(हेमराज भारद्वाज)
संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009.
फोन नं0 -0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या :- फिन (एल0ए0)एच(2)सी15(V) 44/86 खण्ड-8-5469-5470 दिनांक 27.11.21 , शिमला-09.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला-2. को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है ।
- पंजीकृत:- 2 कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

हस्ता / -
(हेमराज भारद्वाज)

परिशिष्ट-“क”

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1(ग) में सन्दर्भित

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1960 से 3/1961

1	पैरा 4(ए)(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 4(ए)(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(ए)(3)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(बी)	अनिर्णीत
5	पैरा 8	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/1965 से 03/1967

1	पैरा 7	अनिर्णीत
---	--------	----------

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1969 से 11/1970

1	पैरा 7	अनिर्णीत
---	--------	----------

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 12/1970 से 3/1972

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7(ए)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1972 से 3/1976

1	पैरा 8(iii)	अनिर्णीत
2	पैरा 19(ए)	अनिर्णीत
3	पैरा 9(आर)	अनिर्णीत
4	पैरा 9(एफ)	अनिर्णीत
5	पैरा 9(एच)	अनिर्णीत
6	पैरा 12(ए)	अनिर्णीत
7	पैरा 13(बी)	अनिर्णीत
8	पैरा 13(डी)	अनिर्णीत
9	पैरा 13(ई)	अनिर्णीत
10	पैरा 13(एफ)	अनिर्णीत
11	पैरा 13(जी)	अनिर्णीत
12	पैरा 13(एच)	अनिर्णीत
13	पैरा 13(आई)	अनिर्णीत
14	पैरा 13(जे)	अनिर्णीत
15	पैरा 13(के)	अनिर्णीत
16	पैरा 13(एल)	अनिर्णीत
17	पैरा 13(एम)व(एन)	अनिर्णीत
18	पैरा 14(ए)	अनिर्णीत
19	पैरा 14(बी)	अनिर्णीत
20	पैरा 19(7)	अनिर्णीत
21	पैरा 19(8)	अनिर्णीत
22	पैरा 19(20)	अनिर्णीत
23	पैरा 19(21)	अनिर्णीत
24	पैरा 19(22)	अनिर्णीत
25	पैरा 20	अनिर्णीत
26	पैरा 21	अनिर्णीत

27	पैरा 25	अनिर्णीत
28	पैरा 30	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1976 से 3/1982

1	पैरा 3(डी)(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 3(डी)(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 9(2)	अनिर्णीत
4	पैरा 11	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 19	अनिर्णीत
7	पैरा 20(ई)	अनिर्णीत
8	पैरा 20(एफ)	अनिर्णीत
9	पैरा 20(जी)	अनिर्णीत
10	पैरा 20(एच)	अनिर्णीत
11	पैरा 20(जे)	अनिर्णीत
12	पैरा 23(4)	अनिर्णीत
13	पैरा 23(30)	अनिर्णीत
14	पैरा 23(32)	अनिर्णीत
15	पैरा 23(35)	अनिर्णीत
16	पैरा 23(38)	अनिर्णीत
17	पैरा 23(46)	अनिर्णीत
18	पैरा 25	अनिर्णीत
19	पैरा 26	अनिर्णीत
20	पैरा 29	अनिर्णीत
21	पैरा 31	अनिर्णीत
22	पैरा 32(बी)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1982 से 3/1984

1	पैरा 6	अनिर्णीत
---	--------	----------

2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 15(बी)	अनिर्णीत
4	पैरा 15(एफ)	अनिर्णीत
5	पैरा 17(4)	अनिर्णीत
6	पैरा 17(5)	अनिर्णीत
7	पैरा 17(13)	अनिर्णीत
8	पैरा 17(14)	अनिर्णीत
9	पैरा 17(22)	अनिर्णीत
10	पैरा 17(29)	अनिर्णीत
11	पैरा 18(22)	अनिर्णीत
12	पैरा 22(ए)	अनिर्णीत
13	पैरा 22(बी)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1985

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 14(4)	अनिर्णीत
3	पैरा 14(5)	अनिर्णीत
4	पैरा 14(6)	अनिर्णीत
5	पैरा 15(4)	अनिर्णीत
6	पैरा 20	अनिर्णीत
7	पैरा 21	अनिर्णीत
8	पैरा 23	अनिर्णीत
9	पैरा 24(ई)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1985 से 3/1986

1	पैरा 3(डी)(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7(बी)	अनिर्णीत

5	पैरा 8	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 14	अनिर्णीत
8	पैरा 15	अनिर्णीत
9	पैरा 17(बी)	अनिर्णीत
10	पैरा 19	अनिर्णीत
11	पैरा 20	अनिर्णीत
12	पैरा 21(बी)	अनिर्णीत
13	पैरा 21(एफ)	अनिर्णीत
14	पैरा 21(जे)	अनिर्णीत
15	पैरा 22(ए)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1986 से 3/1990

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 11	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 14	अनिर्णीत
7	पैरा 19(2)	अनिर्णीत
8	पैरा 24	अनिर्णीत
9	पैरा 25	अनिर्णीत
10	पैरा 26	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1990 से 3/1992

1	पैरा 5	आंशिक निर्णीत	(सरकारी अनुदानों से बची राशि को वापिस सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया गया)
2	पैरा 6	अनिर्णीत	
3	पैरा 7(क)	अनिर्णीत	

4	पैरा 8(ग)(1)	अनिर्णीत
5	पैरा 8(ग)(3)	आंशिक निर्णीत
6	पैरा 8(ड)	अनिर्णीत
7	पैरा 9(क)(1)	अनिर्णीत
8	पैरा 9(क)(3, 4)	अनिर्णीत
9	पैरा 9(ख)(ग)	अनिर्णीत
10	पैरा 10(ख)(ग)	अनिर्णीत
11	पैरा 11(क)(ख)(1से 5)	अनिर्णीत
12	पैरा 12(क)(15)	अनिर्णीत
13	पैरा 12(क)(19)	अनिर्णीत
14	पैरा 12(क)(21 से 23)	अनिर्णीत
15	पैरा 13	अनिर्णीत
16	पैरा 13(घ)	अनिर्णीत
17	पैरा 16(ख)(1)	अनिर्णीत
18	पैरा 16(ग)(घ)	अनिर्णीत
19	पैरा 17	अनिर्णीत
20	पैरा 20(क)(5)	अनिर्णीत
21	पैरा 21(क)	अनिर्णीत
22	पैरा 21(ख)(1)	अनिर्णीत
23	पैरा 21(ग से ज)	अनिर्णीत
24	पैरा 22	अनिर्णीत
25	पैरा 24	अनिर्णीत
26	पैरा 27(ख)	अनिर्णीत
27	पैरा 30	अनिर्णीत
28	पैरा 31	अनिर्णीत
29	पैरा 32	अनिर्णीत

(सफेदी करवाने के लिए मस्टरोल संख्या: 104 से कार्य की समस्त जाँच नहीं की गई)

(ठ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1992 से 3/1995

1	पैरा 5(क)(iv)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ज)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(i) से (iv)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(ग)(i)(ii)	अनिर्णीत
5	पैरा 8	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 13(क)(v)	अनिर्णीत
8	पैरा 13(फ)(vi)	अनिर्णीत
9	पैरा 13(फ)(vii)	अनिर्णीत
10	पैरा 13(एफ)(ix)	अनिर्णीत
11	पैरा 13(म)(i से vi)	अनिर्णीत
12	पैरा 15(क से ड)	अनिर्णीत
13	पैरा 16(ड)(i से vi)	अनिर्णीत
14	पैरा 16(च)(i)	अनिर्णीत
15	पैरा 17(क)(i)(ii)	अनिर्णीत
16	पैरा 17(ख)(i to v)	अनिर्णीत
17	पैरा 17(ग)(i to v)	अनिर्णीत
18	पैरा 21(iv to ix)	अनिर्णीत
19	पैरा 22(iii)	अनिर्णीत
20	पैरा 27	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/2003

1	पैरा 6(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(3)	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत

5	पैरा 8	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 10	अनिर्णीत
8	पैरा 11	अनिर्णीत
9	पैरा 13(4)	अनिर्णीत
10	पैरा 14(6)	अनिर्णीत
11	पैरा 19(1)	अनिर्णीत
12	पैरा 19(2)(3)	अनिर्णीत
13	पैरा 19(5)	अनिर्णीत
14	पैरा 20(5)	अनिर्णीत
15	पैरा 20(6)	अनिर्णीत
16	पैरा 20(7)	अनिर्णीत
17	पैरा 20(8)	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवाधि 4/2003 से 3/2007

1	पैरा 2	अनिर्णीत
2	पैरा 3(i,ii)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(ii to ix)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(x)(a)	अनिर्णीत
5	पैरा 4(xi)(a & b)	अनिर्णीत
6	पैरा 4(xii)(a to f)	अनिर्णीत
7	पैरा 4(xv) & 4(xvi)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(i to ii)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(iv)	अनिर्णीत
10	पैरा 5(viii)	अनिर्णीत
11	पैरा 5(ix)	अनिर्णीत
12	पैरा 5(xix)	अनिर्णीत
13	पैरा 5(xxiv)	अनिर्णीत

14	पैरा 6(iv to vi)	अनिर्णीत
15	पैरा 6(viii to xiv)	अनिर्णीत
16	पैरा 6(xvii to xviii)	अनिर्णीत
17	पैरा 7(ii)(ख)	अनिर्णीत
18	पैरा 7(vii to viii)	अनिर्णीत
19	पैरा 7(xi to xviii)	अनिर्णीत
20	पैरा 8(i & ii)	अनिर्णीत
21	पैरा 8(iii)	अनिर्णीत
22	पैरा 9	अनिर्णीत
23	पैरा 10	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 8	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 10	अनिर्णीत
8	पैरा 11	अनिर्णीत
9	पैरा 12	अनिर्णीत
10	पैरा 13	अनिर्णीत
11	पैरा 14	अनिर्णीत
12	पैरा 15	अनिर्णीत
13	पैरा 16	अनिर्णीत
14	पैरा 18	अनिर्णीत
15	पैरा 24	अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा 4(10 क और ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(1)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(2)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(3)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(क)(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(क)(2)	अनिर्णीत
7	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत
8	पैरा 8(1)	अनिर्णीत
9	पैरा 8(6)	अनिर्णीत
10	पैरा 8(7)	अनिर्णीत
11	पैरा 8(10 क और ख)	अनिर्णीत
12	पैरा 9	अनिर्णीत
13	पैरा 10(क) और (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा 11	अनिर्णीत
15	पैरा 12	अनिर्णीत
16	पैरा 13	अनिर्णीत
17	पैरा 14(क) और (ख)	अनिर्णीत
18	पैरा 15	अनिर्णीत
19	पैरा 16	अनिर्णीत
20	पैरा 17	अनिर्णीत
21	पैरा 18(1)	अनिर्णीत
22	पैरा 18(2)	अनिर्णीत
23	पैरा 18(3)	अनिर्णीत
24	पैरा 18(4)	अनिर्णीत
25	पैरा 19	अनिर्णीत
26	पैरा 20(1)(क)	अनिर्णीत
27	पैरा 20(1)(ख)	अनिर्णीत

28	पैरा 20(1)(ग)	अनिर्णीत
29	पैरा 20(1)(घ)	अनिर्णीत
30	पैरा 20(1)(ङ)	अनिर्णीत
31	पैरा 20(2)	अनिर्णीत
32	पैरा 20(3)	अनिर्णीत
33	पैरा 20(4)	अनिर्णीत
34	पैरा 20(5)	अनिर्णीत
35	पैरा 20(6)	अनिर्णीत
36	पैरा 20(7)	अनिर्णीत
37	पैरा 20(8)	अनिर्णीत
38	पैरा 20(9)	अनिर्णीत
39	पैरा 20(10)	अनिर्णीत
40	पैरा 20(11)	अनिर्णीत
41	पैरा 21(1)	अनिर्णीत
42	पैरा 21(2)	अनिर्णीत
43	पैरा 21(3)	अनिर्णीत
44	पैरा 21(4)	अनिर्णीत
45	पैरा 22	अनिर्णीत
46	पैरा 23(क)(i)	अनिर्णीत
47	पैरा 23(क)(ii)	अनिर्णीत
48	पैरा 23(क)(iii)	अनिर्णीत
49	पैरा 23(3)	अनिर्णीत
50	पैरा 23(4)	अनिर्णीत
51	पैरा 23(5)(क)	अनिर्णीत
52	पैरा 23(5)(ख)	अनिर्णीत
53	पैरा 23(5)(ग)	अनिर्णीत
54	पैरा 23(6)(क)	अंशतः निर्णीत (केवल श्री रोशन अली से 10617 की

राशि वसूली हेतु शेष है।)

55	पैरा 24(2)	अनिर्णीत
56	पैरा 24(3)	अनिर्णीत
57	पैरा 24(4)	अनिर्णीत
58	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत
59	पैरा 26(ख)	अनिर्णीत
60	पैरा 26(1)	अनिर्णीत
61	पैरा 26(2)	अनिर्णीत
62	पैरा 28(ख)	अनिर्णीत
63	पैरा 29(ख)	अनिर्णीत
64	पैरा 30	अनिर्णीत
65	पैरा 31(क)	अनिर्णीत
66	पैरा 31(ख)	अनिर्णीत
67	पैरा 31(ग)	अनिर्णीत
68	पैरा 33(क)	अनिर्णीत
69	पैरा 33(ख)	अनिर्णीत
70	पैरा 33(ग)	अनिर्णीत
71	पैरा 34	अनिर्णीत

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2015

1	पैरा 4.2 (iii)	अनिर्णीत
2	पैरा 5.1	अनिर्णीत
3	पैरा 5.2	अनिर्णीत
4	पैरा 5.3	अनिर्णीत
5	पैरा 5.4	अनिर्णीत
6	पैरा 7	अनिर्णीत
7	पैरा 8	अनिर्णीत
8	पैरा 9.1	अनिर्णीत

9	पैरा 9.2	अनिर्णीत
10	पैरा 12	अनिर्णीत
11	पैरा 13	अनिर्णीत
12	पैरा 14	अनिर्णीत
13	पैरा 17	अनिर्णीत
14	पैरा 17.1	अनिर्णीत
15	पैरा 19	अनिर्णीत
16	पैरा 20 (क, ख)	अनिर्णीत
17	पैरा 21	अनिर्णीत
18	पैरा 22	अनिर्णीत
19	पैरा 23	अनिर्णीत
20	पैरा 23.1	अनिर्णीत
21	पैरा 23.2	अनिर्णीत
22	पैरा 24	अनिर्णीत
23	पैरा 25 (1)	अनिर्णीत
24	पैरा 25 (2)	अनिर्णीत
25	पैरा 26	अनिर्णीत
26	पैरा 26.2	अनिर्णीत
27	पैरा 26.3	अनिर्णीत
28	पैरा 28	अनिर्णीत
29	पैरा 29	अनिर्णीत
30	पैरा 30	अनिर्णीत
31	पैरा 31	अनिर्णीत
32	पैरा 32	अनिर्णीत
33	पैरा 33	अनिर्णीत
34	पैरा 34	अनिर्णीत
35	पैरा 34.1	अनिर्णीत

36	पैरा 34.1.1	अनिर्णीत
37	पैरा 34.2	अनिर्णीत
38	पैरा 34.3	अनिर्णीत
39	पैरा 34.3.1	अनिर्णीत
40	पैरा 34.3.2	अनिर्णीत
41	पैरा 35	अनिर्णीत
42	पैरा 36 (क)	अनिर्णीत
43	पैरा 36 (ख)	अनिर्णीत
44	पैरा 37.1	अनिर्णीत
45	पैरा 38 (1)	अनिर्णीत
46	पैरा 38.1	अनिर्णीत
47	पैरा 39	अनिर्णीत
48	पैरा 40	अनिर्णीत
49	पैरा 41	अनिर्णीत
50	पैरा 42	अनिर्णीत
51	पैरा 43	अनिर्णीत
52	पैरा 44	अनिर्णीत
53	पैरा 45	अनिर्णीत

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2017

क्र०सं०	पैरा सं०	टिप्पणी	
1	पैरा 3	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
2	पैरा 4 (क) (1)	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
3	पैरा 4 (क) (2)	अनिर्णीत	
4	पैरा 4 (क) (3) (i)	निर्णीत	(अंकेक्षण 4/15 से 3/17 के दौरान निर्णीत किया गया था)
5	पैरा 4 (क) (3) (ii)	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)

6	पैरा 4 (क) (4)	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
7	पैरा 4 (ख)	निर्णीत	(पैरा Upgrade किया गया)
8	पैरा 4 (ग)	निर्णीत	(पैरा Upgrade किया गया)
9	पैरा 4 (घ) (i), (ii)	अनिर्णीत	
10	पैरा 4 (घ) (iii)	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
11	पैरा 5	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
12	पैरा 5.1, 5.2, 5.3, 5.4	अनिर्णीत	
13	पैरा 6 (i)	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
14	पैरा 6 (ii),(iii),(iv),(v), (vi)	अनिर्णीत	
15	पैरा 7 (i)	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
16	पैरा 7 (ii), (iii)	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
17	पैरा 8 (i)	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
18	पैरा 8 (ii)	अनिर्णीत	
19	पैरा 9	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
20	पैरा 10 (i)	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
21	पैरा 10 (ii)	अनिर्णीत	
22	पैरा 11	अनिर्णीत	
23	पैरा 12	अनिर्णीत	
24	पैरा 13	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
25	पैरा 14	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
26	पैरा 15 (i)	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
27	पैरा 15 (ii)	अनिर्णीत	
28	पैरा 16 (i) (ii)	अनिर्णीत	
29	पैरा 17	अनिर्णीत	

30	पैरा 18	अनिर्णीत	
31	पैरा 19	अनिर्णीत	
32	पैरा 20 (i)	निर्णीत	
33	पैरा 20 (ii)	अनिर्णीत	
34	पैरा 21 (क)	निर्णीत	(पैरा Upgrade किया गया)
35	पैरा 21 (ख) (1, 2, 3)	अनिर्णीत	
36	पैरा 21 (ग, घ, ङ, च, छ)	अनिर्णीत	
37	पैरा 22	अनिर्णीत	
38	पैरा 23	अनिर्णीत	
39	पैरा 24	अनिर्णीत	
40	पैरा 25	अनिर्णीत	
41	पैरा 26	अनिर्णीत	
42	पैरा 27	अनिर्णीत	
43	पैरा 28 (ज)	निर्णीत	(₹1741 रसीद संख्या 0009/204 दिनांक 22.1.2021 द्वारा जमा किए गए)
44	पैरा 28 (क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, झ) (i, ii, iii) (ज) (ट)(ठ)	अनिर्णीत	
45	पैरा 29	अनिर्णीत	
46	पैरा 30 (क) (i, ii, iii,iv,v) (ख) (ग)(1, 2)	अनिर्णीत	
47	पैरा 31	अनिर्णीत	
48	पैरा 32	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
49	पैरा 33	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
50	पैरा 34	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)

अनिर्णीत पैरा का सार	
31/3/2017 तक अनिर्णीत पैरों की सं०	386
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरों की सं०	39
	425
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरों की सं०	24
31/3/19 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	401